लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

28 फरवरी, 1968।9 फाल्गुन, 1889 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
152	चौदहवीं पंक्ति में 'मसाना' के स्थान पर 'मसानी' पढ़िये ।
	इसी पृष्ठ पर प्रश्न संख्या 302 के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित उत्तर पढ़िये :-- (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के के शाह) : आकाशवाणी के उप-महानिदेशक (निरीक्षण), श्री ए.के.सेन, भारतीय फिल्म संस्थान के प्रिंसिपल, श्री जगत मुरारी और टेलीविजन केन्द्र के निदेशक, श्री एस.एन.मूर्ति से युक्त एक विभागीय समिति (एक) उस टेलीविजन केन्द्र में विभिन्न प्रकार के पदों की आवश्यकता की जांच करने (दो) विभिन्न पदों के कार्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में सुझाव देने और (तीन) उपर्युक्त भाग (एक) में निर्दिष्ट पदों के लिये कर्मचारियों की भर्ती के नियमों और प्रक्रिया को सुझाने के लिये नियुक्त की गई थी । उप-महानिदेशक श्री ए.के.सेन के स्थान पर कुमारी मसानी को रखा गया था । तदानुसार श्री जे.जे.राम, अवर सचिव के कार्य अध्ययन करने के लिये कहा गया था । बाद में दोनों अध्ययनों को मिलाया गया था तथा संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था । प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है । यह कहा गया है कि समिति के विभागीय होने के कारण उनकी

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	सिफारिशों तथा उन पर की जा रही कार्यवाही को बताना वांछनीय नहीं है। इसका एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीय फिल्म संस्थान के डिप्लोमा-धारियों को टेलीविजन केन्द्र में कहां तक स्थान दिया जा सकता है।
165	नीचे से सातवीं पंक्ति से पहले निम्नलिखित पढ़िये : नियम 140 के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 1 Question No.1 under Rule 40"
235	19वीं पंक्ति में `उपाध्यक्ष` के बाद `महोदय` शब्द जोड़ दीजिये।

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 28 फरवरी, 1968/ 9 फाल्गुन, 1889 (शक)

Wednesday, February 28, 1968/ Phalguna 9, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कारखाने

*301. श्री चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में सरकारी क्षेत्र में आरम्भ किये जाने वाले कुछ बड़े औद्योगिक कारखाने आरम्भ करने की योजना त्याग दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 1968-69 में सरकारी क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया था। अतः इस प्रकार की परियोजनाओं को त्याग देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चक्रपाणि : प्रत्येक वर्ष ही हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारी योजनाएँ वित्तीय तौर पर तो पूरी हो जाती है परन्तु व्यवहारिक तौर पर पूरी नहीं होतीं। हमें चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजन्सियों से सहायता

प्राप्त करने में हुई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार विदेशी ऋण की अदायगी में विलम्ब की घोषणा करने और जीवन बीमा निगम की पूंजी को गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाने का यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह सब उस बजट से सम्बन्धित है जो कल प्रस्तुत किया जाना है।

श्री चक्रपाणि : क्या सरकार ने किन्हीं परियोजनाओं को समाप्त करने के लिए कोई सिद्धान्त बनाया है ; यदि हां तो वे क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : किसी परियोजना को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। अब भी चौथी योजना के प्रारूप में, जिस पर फिर से विचार किया जाना है और नई योजना बनानी है, में भी बहुत अधिक योजनाएं शामिल नहीं हैं। अब इस सिद्धान्त का अनुकरण किया जा रहा है कि पुरानी परियोजनाओं को जारी रखा जाये और उनके लिए आवश्यक स्रोतों की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें उच्चतम प्राथमिकता दी जाये ताकि वे शीघ्र पूरी हो जायें और दूसरे उच्चतम प्राथमिकता वाले मदों जैसे उर्वरक या विशेष इस्पात, जिनकी आवश्यकता है, के सम्बन्ध में पहले कार्यवाही की जाये। बहुत कम नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

आकाशवाणी के सम्बन्ध में मसाना समिति

*302. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी नई दिल्ली के टेलीविज़न केन्द्र के पुनर्गठन और भावी ढांचे के बारे में रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई "मसानी समिति" ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी के उप-महानिदेशक, भारतीय फिल्म संस्थान के प्रिंसिपल और टेलीविज़न केन्द्र के निदेशक से युक्त एक विभागीय समिति टेलीविज़न केन्द्र, दिल्ली में विभिन्न प्रकार के पदों की आवश्यकता की जांच करने और उनके भर्ती के नियमों को सुझाने के लिए नियुक्त की गई थी जिसमें यह भी था कि भारतीय फिल्म संस्थान के डिप्लोमा-धारियों को टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली में कहां तक स्थान दिया जा सकता है।

(ख) समिति के पूर्णतया विभागीय होने के कारण उसकी सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाही को बताना वांछनीय नहीं है।

Shri Onkar Lal Berva: May I know whether something has been mentioned regarding the suspension of the Staff Artist Contract System in the Massani Committee Report ? As you have told just now that the same system is adopted from the peon to the technical personnel, may I know whether some system has also been recommended for the staff artists also ?

श्री के० के० शाह : इस समय दो समितियां हैं। मसानी समिति जिसका उल्लेख किया गया है, यह वह समिति नहीं है जो स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। समिति

ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है परन्तु वह अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि उसकी अभी जाँच की जा रही है।

Shri Onkar Lal Berva: May I know on what basis you have fixed the salaries of the personnel working in television. Whether they have been determined on the same basis as is done by B. B. C.

Shri K. K. Shah : There are separate committees for persons working in television and for Staff Artists. There is a difference between them. . .

Shri Onkar Lal Berva : You have told that these committees are not in good terms therefore they are not able to decide. I want to know the basis on which the television artists are paid. Whether you are paying on the same basis on which they are being paid in foreign countries or you have got some rules for it ?

Shri K. K. Shah : The salaries paid by us connot be compared with B. B. C. Artists are being paid on A. I. R. basis. Massani Committee has recommended to make a variation in it and we are considering on it .

Shri Onkar Lal Berva : May I know whether they are paid on contract basis or permanent basis ?

Shri K. K. Shah : Those who are Government servants, like Producers, Programme Executive are paid on the basis of the grade fixed by A. I. R. The salaries of the staff artists are fixed on contract basis.

श्री विश्वनाथन : समिति ने टेलीविजन सेन्टरों के भविष्य के और प्रसार सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं और क्या इन टेलीविज़नों को विशेषकर मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में भी लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री के० के० शाह : चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टेलीविज़न का बम्बई, मद्रास और कलकत्ते में प्रसार किया जायेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय जाँच कर रहा है और जब उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी तो उसका वहाँ प्रसार कर दिया जायेगा।

Shri K. N. Tiwari : I want to know the terms of reference of both the Committees.

श्री के० के० शाह : जहाँ तक इस समिति का टर्म्स आफ रेफ्रेन्स का सम्बन्ध था वह टेलीविज़न सेन्टरों में विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में जाँच करना तथा विभिन्न पदों के कार्य, दायित्व और उन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के नियमों और प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियमों का सुझाव देना था।

श्री हेम बरुआ : आकाशवाणी के टेलीविज़न सेन्टरों के लिये स्टाफ आर्टिस्ट कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को सरकार की नियमित सेवा में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सी समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। क्या टेलीविज़न पर कार्य कर रहे स्टाफ आर्टिस्टों को भी वही सुविधाएं देने से इन्कार किया जा रहा है जो सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं और उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाना जैसे अमानवीय या अवमानव श्रेणी में रखा गया है।

श्री के० के० शाह : पहली माँग यह थी कि स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए और इसके सम्बन्ध में हमने काफी अध्ययन किया है। नये कान्ट्रेक्ट के अनुसार

उनकी सेवा की आयु 55 वर्ष होगी। परन्तु दुर्भाग्य से यह बात भी कही गई है कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

Shri Sheo Narain : I want to know whether any notice has been given to fulfil the recommendations of these two Committees ?

श्री के० के० शाह : जी, नहीं।

श्री रवि राय : Whether the report of the Massani Committee on Television has since been received. If so, what are its recommendations ?

श्री के० के० शाह : इस सम्बन्ध में पहले ही बता चुका हूं। यह विभागीय रिपोर्ट है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या माननीय मंत्री टेलीविज़न सैटों की वर्तमान माँग और सप्लाई की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ बतायेंगे ?

श्री के० के० शाह : इनकी माँग बहुत अधिक है, परन्तु सप्लाई बहुत कम है।

श्री लोबो प्रभु : टेलीविज़न सेवाओं का प्रसार बम्बई, मद्रास और देश के अन्य भागों में करने की बजाय क्या मंत्री महोदय ने दिल्ली के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्रित किये हैं और इस बात का पता लगाया है कि इन सेटों का प्रयोग कौन करते हैं। यदि बहुत कम व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें मेरे विचार से कोई भी संसद सदस्य शामिल नहीं हैं, तो क्या टेलीविज़न एक विलास की वस्तु नहीं है ? और क्या आपको लोगों की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने से पूर्व आपको कुछ समय प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ?

श्री के० के० शाह : जी, नहीं, इसके विपरीत टेलीविज़न का प्रयोग कृषि कार्यक्रम, विद्यार्थियों और अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जा रहा है। दुर्भाग्य से हम इसकी माँग को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसकी माँग बहुत अधिक है।

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस रिपोर्ट का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है और इसको अन्तिम निर्णय देने में काफी समय लगेगा। इन रिपोर्टों पर मंत्रालय द्वारा निम्न स्तर पर या उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

श्री के० के० शाह : इस सम्बन्ध में उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

Shri George Fernandes : At the time of formation of the Massani Committee the All India Radio employees requested to include one of their reperesenatives in that Committee. It was not done. I want to know whether the Hon. Minister will consult the Government employees before implementing the recommendations given in the report ?

Shri K. K. Shah: They will be consulted before taking the final decision.

श्री कु० मा० कौशिक : क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों की सेवाओं को अर्द्धस्थायी कर दिया गया है अथवा उन्हें अभी भी ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाना है।

श्री के० के० शाह : यह ठेका 5 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष की आयु तक का कर दिया गया है।

Shri O. P. Tyagi: May I know whether the attention of the Government has been drawn to the fact of corruption that the artists having same qualifications are geting different salaries? One person is kept on three months contract and the other on one year contract basis. Nepotism is rampant. I would like to know whether Government have any scheme to improve contract system ?

Shri K. K. Shah: There are two types of artists—permanent and casual. You mix up the casual artist with the permanent artist.

केन्द्रीय आयुद्ध डिपो, मलाड द्वारा टायरों की खरीद

*303. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या रक्षा मंत्री 27 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुद्ध डिपो द्वारा खरीदे गये कुछ टायर खराब पाये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन खराब टायरों को बेचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इन खराब टायरों की कीमत कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 138 टायरों के समय से पहले खराब होने की रिपोर्ट मिली है,

(ख) इन 138 टायरों को या तो मरम्मत/रिट्रीड कर लिया गया है और दुबारा इस्तेमाल के लिए जारी कर दिया गया है, या जब वह नाकारा हो जाते हैं, उनका साधारण ढंग से निपटारा कर दिया गया है ।

(ग) इन 138 टायरों के लिए दिया गया कुल मूल्य था 49680 रुपये ।

श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या सरकार ने उस अधिकारी पर जिसने टायर खरीदे थे, जिम्मेदारी नियत करने के सम्बन्ध में कोई जाँच की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : प्रतिरक्षा विभाग अपनी आवश्यकता की चीजें सम्भरण और निबटान महानिदेश के जरिये खरीदता है। इस विशेष मामले में राज्य व्यापार निगम भी शामिल है। प्रतिरक्षा मंत्रालय, सम्भरण और निबटान महानिदेश, और राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने उस फर्म से मुआवजा देने की सिफारिश की है ।

श्री गार्डिलिंगन गौड : इन खराब टायरों, विशेषकर प्रतिरक्षा को सप्लाई किया जाना एक गम्भीर मामला है। क्या सरकार ने इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है कि सम्बन्धित व्यक्ति को सजा दी जाये ।

श्री मं० रं० कृष्ण : हमारे निरीक्षण विभाग के विशेषज्ञ इन बातों की जाँच करते हैं। परन्तु इस मामले में ये टायर 1962-63 में सप्लाई किये गये थे और इन खराबियों का पता बहुत देर में लगा ।

श्री बूटा सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि किन-किन ठेकेदारों ने ये टायर सप्लाई किये थे और क्या इनके आचार के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : इसको आयात करने वाली एजेन्सी का नाम रामकिशन कुलवन्तरी था। इस पार्टी से मुआवजा देने के लिए कहा गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि चूंकि यह टायर 1962-63 में सप्लाई किये जाने थे अतः इसके दोषों को फर्म को पहले बताया जाना था। इसी कारण हमें इस पार्टी से मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

Shri Nathu Ram Ahirwar: May I know whether those defective tyres were used in 1965 at the time of India-Pakistan Conflict ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जब यह टायर यूनिट को भेजे जाते हैं, तो यूनिटों में आवश्यकता से अधिक टायर होते हैं और इनका गाड़ियों में लगाने के बाद गाड़ियों की जांच की जाती है। यदि उनको उचित स्तर का नहीं समझा जाता तो उन्हें किसी भी क्षेत्र में भेजने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री विक्रमचन्द महाजन : माननीय मंत्री ने यह बताया कि इन टायरों की खराबी का बहुत देर में पता लगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब प्रतिरक्षा विभाग ने इन्हें खरीदा था तो इनका निरीक्षण क्यों नहीं किया गया ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जब भी प्रतिरक्षा विभाग द्वारा कोई चीज खरीदी जाती है तो निरीक्षण विभाग के प्रतिनिधि उसकी जांच करते हैं। खरीदने वाली वस्तुओं का पहले वह निरीक्षण करता है और इस ही के बाद वे वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इस मामले में कहीं कुछ त्रुटि हुई है जब ही टायरों में खराबी थी। जिम्मेवारी नियत कर दी गई है। हम ठेकेदारों से रुपया वापिस लेना चाहते हैं परन्तु विलम्ब के कारण हमें मुआवजा मिलने में कठिनाई हो रही है।

श्री वेंकटासुब्बया : टायर सप्लाई करने वाली फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने के अलावा मंत्री महोदय से यह विशेष जानकारी भी माँगी गई थी कि क्या इस कन्ट्रेक्ट को करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी जिम्मेवारी नियत की गई है। यदि वे सम्बन्धित फर्म से देरी हो जाने के कारण मुआवजा लेने में असमर्थ हैं तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में गम्भीरता से जांच की है ताकि इसमें भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

श्री मं० रं० कृष्ण : इस सम्बन्ध में सभा को कई बार जानकारी दी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने तीन बार जांच की थी और दो रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं। इस सम्बन्ध में सभा में चर्चा भी की जा चुकी है और प्रतिरक्षा मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Shri S.M. Joshi: The Hon. Minister has just told that inspection is done before purchasing. I want to know whether inspection is also done at the time of supply also ?

श्री मं० रं० कृष्ण : प्रतिरक्षा मंत्रालय ने केवल 138 टायर नहीं खरीदे थे। उसने बहुत अधिक संख्या में टायर खरीदे थे जिनमें से 138 टायर खराब थे।

श्री हेम बरुआ : यह कहना गलत है कि चूंकि मंत्रालय ने बहुत बड़ी संख्या में टायर खरीदे थे और उनमें से केवल 138 टायर ही खराब निकले अतः यह गम्भीर मामला नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल : इस प्रकार के बड़े स्टोरों में इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है कि जब कोई माल स्टोर में भेजा जाता है तो उसकी जांच की जाती है। क्या ऐसी प्रणाली न अपनाई जाने के कारण ही इन खराबियों का पता एक लम्बे समय तक न लग सका ?

श्री मं० रं० कृष्ण : स्टोरों में अपनाई जाने वाली प्रणाली बिल्कुल उचित है। जब कभी कोई चीज यूनिटों को सप्लाई की जाती है तो यूनिटों में भी उनकी जांच करने के प्रबन्ध हैं और वे इस बात की जांच करते हैं कि जो चीजें गाड़ियों के लिए सप्लाई की गई थीं वे ठीक हैं अथवा नहीं। सप्लाई किये गये टायरों में से कुछ खराब थे और इसका पता हमें बड़ी देरी से लगा।

श्री मनुभाई पटेल : यदि इस खराबी का देरी से पता लगा तो इस प्रश्न पर पहले कैसे चर्चा की गई।

श्री मं० रं० कृष्ण : मैंने पहले बताया था कि जिस फर्म से हमने मुआवजे की मांग की थी उस फर्म ने इस बात का सहारा लिया है कि इन खराबियों को बहुत देरी से बताने के कारण वे अब मुआवजा देने के लिये तैयार नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye: Two reports regarding these defective tyres have come before us. Inter Departmental Committee was also formulated and this question was also raised here once before. I want to know the action taken against the officers found guilty in this matter with regard to black listing and suspending these officers.

May I know whether it is a fact that suits have been filed against the officers of these firms and if not, the reasons therefor?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सेना के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी संसद को दे दी गई थी। फर्म के विरुद्ध अब कोई कानूनी मामला अवलम्बित नहीं है। यह मामला अभी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह प्राप्त की जा रही है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I did not get the reply of my question. He has said that no legal case is pending but I had asked whether he is going to file suit against them and if not, why so. A proper reply is expected from the Hon. Minister.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने कहा है कि मामले की जांच वैधानिक विशेषज्ञों के परामर्श से की जा रही है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, see his two replies. In his first reply he stated that no legal case is pending and in his second reply he says that they are examining.

अध्यक्ष महोदय : कोई मामला विचाराधीन नहीं है लेकिन और क्या कार्यवाही की जा सकती है, इस बात की जांच की जा रही है।

Shri Madhu Limaye: I an speaking about cases. I have asked whether you are going to file case againist them ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह वैधानिक मामला है और इसके लिए वैधानिक परामर्श लिया जा रहा है कि किस रूप में कार्यवाही की जा सकती है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, this is being done in all cases. This Government has deteriorated thoroughly.

Shri Hukam Chand Kachwai: What action has been taken against the Officers ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री मधु लिमये अपनी हिफाजत करने में समर्थ हैं।

Shri S. M. Joshi: My question pertains to two things, firstly to go to Court against the Company and secondly, to take action against the officers. I know that no special action is taken against those officers who indulge in fraud of lakhs of rupees. They are removed from their services but as I have stated, they are not at a loss when they are allowed to go with all the money they have amassed by unfair means.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है, हम इसकी चर्चा माँगों के दौरान करेंगे ।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, no action is being taken. You should tell the Public Accounts Committee that it is a matter of security of the country. You will have to do something. It is a serious matter.

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ।

Shri Prem Chand Verma: The Hon. Minister has just now stated that when we purchase the goods the representatives of DGS & D and S.T.C.are present there. So it is a serious matter and the responsibility also falls on them because the Government do not deal directly with the firms and it is done through the Director General of Supplies and Disposal. May I know whether the Government have taken any action against the officers of the D G S & D, who are responsible for this fraud and whether any claim has been put up by the Government and if not, the reasons therefor ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हम चाहते थे कि राज्य व्यापार निगम एवं पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय पर भी इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसलिए सरकार ने एक समिति बना दी थी। उस समिति ने यह माना है कि हम उस फर्म से क्षतिपूर्ति की माँग करें ।

श्री मुहम्मद इमाम : यद्यपि माल वर्ष 1961-62 में खरीदा गया था तथापि उसमें खराबी का पता 3-4 वर्ष बाद लगाया गया। इस अवधि के दौरान क्या ये टायर उपयोग में लाए गए थे अथवा गोदाम में अप्रयुक्त पड़े रहे ? दूसरी बात यह है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में टायर खरीदने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? क्या मंत्रालय टायरों आदि के लिए टेंडर तथा नमूने माँगता है और क्या करार में खरीद की शर्तों का उल्लेख करता है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : ये टायर उपयोग में लाये गये हैं। इनका प्रयोग गाड़ियों में किया गया जिनमें शक्तिमान गाड़ियाँ भी सम्मिलित हैं, केवल प्रयोग में लाने के बाद ही उनको निरर्थक जानकर फेंका गया है ।

श्री मुहम्मद इमाम : सामान्यतः टायर एक या दो साल चलते हैं ।

श्री मं० रं० कृष्ण : टायरों की खराबियों का पता लगा लिया गया है तथा खराबी को दूर करने के बाद उनको एककों को सौंप दिया गया है, तथा एककों में उनका उपयोग किया गया है ।

श्री मु० न० नाथनूर : कितने समय से यह ठेकेदार टायरों की पूर्ति कर रहा है और विभाग ने निक्षेप राशि के रूप में उससे कितनी राशि प्राप्त की है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : हम निक्षेप राशि प्राप्त नहीं करते और न ही हम फर्मों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करते हैं बल्कि हम फर्मों के साथ सम्भरण और निबटान महानिदेशक के द्वारा सम्पर्क स्थापित करते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai: May I know whether the Government have any such instrument or machinery, whereby while purchasing the tyres their durability and resistance can be calculated and whether the Government have taken any action against the officers who committed this fault and showed carelessness while purchasing these defective tyres ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न यह बार-बार उठाया गया है और टायरों की मियाद तथा उनकी ताकत के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है, मैं फिर उसी बात पर बल देता हूँ। इन टायरों की अवधि और ताकत का अनुमान वैसी ही क्षमता वाले मानक स्वदेशोत्पन्न टायरों से तुलना करते हुए, उन टायरों द्वारा तय की गयी दूरी से किया गया जो टायर गाड़ियों से निकाल दिए गए हैं तथा जिनकी स्थानीय मरम्मत नहीं की जा सकती अथवा जिनकी मरम्मत करना मित-व्ययता की दृष्टि से लाभकर नहीं है। इन आयातित टायरों ने प्रति टायर के हिसाब से औसतन 20,747 किलोमीटर तय किया और स्वदेशोत्पन्न टायरों में प्रत्येक टायर ने औसतन 21.580 किलोमीटर तय किया।

Shri Madhu Limaye: It is absolutely wrong. Public Accounts Committee has not agreed to it.

श्री स्वर्ण सिंह: दूसरे शब्दों में, आयातित टायरों ने लगभग उतनी ही दूरी तय की जितनी कि स्वदेशोत्पन्न टायरों ने।

श्री द्वा० ना० तिवारी: एक अच्छे टायर की मियाद क्या है और उन दोनों में क्या अन्तर है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यह बता दिया है।

श्री पीलु मोडी : अब तक जो कुछ कहा गया है उससे मालूम पड़ता है कि निरीक्षण तीन स्थानों पर होता है—पहले तो वहाँ पर जहाँ खरीद की जाती है, दूसरे, जब कि यूनिट को यह दी जाती है, यूनिट की अपनी अलग पद्धति है, तीसरे जबकि टायर 21,000 किलो मीटर चल चुका होता है। यह स्पष्ट नहीं है कि जो गारन्टी इनको निर्माताओं से मिलती है उसमें कौन-सा सोपान समाहित होता है पहला, दूसरा, अथवा तीनों के तीनों, क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन तीन स्थानों में कहीं पर भी निरीक्षण का कार्य नहीं होता। यह तो विभिन्न स्थलों पर कार्य सम्पादन है।

श्री पीलु मोडी : मुझे खेद है कि मैंने प्रश्न किया।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपके प्रश्न पर गौर किया, मुझे इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए थी।

Shri Madhu Limaye: Can you ignore also ? Have you become super Speaker ? Hon. Minister cannot ignore the questions. It is the function of the Speaker. Hon. Minister should speak a bit carefully.

सिंगापुर में ब्रिटेन का नौसैनिक अड्डा

*304. **श्री गाडिलिंगन गौड** : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर स्थित ब्रिटेन के वर्तमान नौसैनिक अड्डे से ब्रिटेन द्वारा

धीरे-धीरे अपनी सेवाएं हटा लिये जाने की योजना क्रियान्वित हो जाने के बाद उस नौसैनिक अड्डे को वाणिज्यिक डाक यार्ड में बदलने के लिए सिंगापुर ने भारत से सहयोग माँगा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) ब्रिटेन के हट जाने के बाद इस नौसैनिक अड्डे को एक वाणिज्यिक गोदी में बदलने की सम्भावना का जिक्र अनौपचारिक रूप से किया गया था लेकिन भारत की सहायता के लिए खास तौर पर कोई प्रार्थना नहीं की गई थी ।

(ख) अगर भारत सरकार से प्रार्थना की गई तो वह भरसक सहायता करने के लिए तैयार है ।

श्री गार्डिलिंगन गौड : जब कि स्वयं हमारे देश में कई ऐसे बन्दरगाह हैं जिनका विकास करना है तब सिंगापुर के बन्दरगाह का विकास करने के लिए सहमत होने की स्वीकृति देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा नहीं कि हमारे बन्दरगाहों के विकास कार्यक्रम में कोई संघर्ष है । हमारे में इस बात के लिए सामर्थ्य है । यदि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो इस तथ्य के अतिरिक्त कि वहाँ एक बड़ी संख्या में भारतीय लोग काम कर रहे हैं, इसलिए भी कि यह हमारे क्षेत्र में है, अतः यह हमारे राष्ट्र के हित में है कि हम इस विकास में योगदान दें । लेकिन जैसा मैंने कहा, इस बात के लिए सिंगापुर सरकार से निवेदन आनी है ।

श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रकार की सहायता में अनुमानतः कितनी राशि लगेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि जो सहायता दी जायेगी वह तकनीकी ढंग की होगी अथवा तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी । यह तभी बताया जा सकता है यदि वे विशेष निवेदन करें ।

श्री गार्डिलिंगन गौड : मैं केवल प्राक्कलित राशि जानना चाहता हूँ ।

श्री रा० बरूआ : ब्रिटेन द्वारा सिंगापुर तथा फारस की खाड़ी से अपने नौसैनिक अड्डे हटा लिये जाने पर उस क्षेत्र में शक्ति शून्यता हो जाने की सम्भावना है । नौसैनिक शक्ति में, अपनी कमी को ध्यान में रखते हुए, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हम नहीं समझते कि वहाँ पर कोई शक्ति शून्यता है ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंगापुर नौसेना अड्डे से सिंगापुर के पूर्व के समूचे ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा आवश्यकता पूरी होती थी, साम्यवादी चीन की बढ़ती हुई नौसेना शक्ति को भी देखते हुए इस सुरक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंगापुर सरकार ने पड़ोस के देशों से कहा है कि वे किसी प्रकार की नौसेना शक्ति बनाये रखने में सहयोग दें, यदि अन्य एशियाई

देशों की सहायता से यह नौसेना अड्डा रखा जाता है तो उसके प्रति भारत सरकार का क्या रुख होगा ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। यह एक काल्पनिक प्रश्न है। इसका निर्णय सिंगापुर सरकार को करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे एक व्यापारिक क्षेत्र में बदला जायेगा न कि नौसेना अड्डे में।

श्री सम्बन्धन : ब्रिटिश नौसेना अड्डों के हटने का भारतीय राष्ट्रजनों तथा भारतमूलक लोगों पर निश्चय ही बुरा असर पड़ेगा। क्या भारत सरकार के लिए, सिंगापुर सरकार से नौसेना अड्डे को जारी रखने के लिए सहयोग देने के लिए या उसे एक समन्वित नौसेना अड्डे या एक वाणिज्यिक गोदी बनाने के लिए कहना अच्छा नहीं होगा ?

श्री ब० रा० भगत : जहाँ तक भारतीय लोगों के रोजगार का सम्बन्ध है, यदि नौसेना अड्डे को वाणिज्यिक अड्डे में बदल भी दिया जाय तो भी रोजगार समस्या का समाधान किया जा सकता है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा इस सम्बन्ध में निर्णय करना सिंगापुर सरकार का काम है।

श्री सम्बन्धन : भारत मूलक लोगों के रोजगार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या भारतीय सरकार के लिये वहाँ की सरकार को इस सम्बन्ध में कहना वांछनीय न होगा ?

श्री ब० रा० भगत : हम सिंगापुर सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि नई पृष्ठभूमि में वैकल्पिक रोजगार किस प्रकार दिया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री के वक्तव्य से ऐसा विदित होता है कि इस नौसेना अड्डे को वाणिज्यिक गोदी में बदलने में भारत सरकार सिंगापुर सरकार की सहायता करने को तैयार है। यदि ऐसा है तो, इस कार्य के आरम्भ होने से पूर्व भारत सरकार क्या शर्तें रखना चाहती है ? क्या हमें कोई वाणिज्यिक लाभ होगा ? क्या भारतीय वस्तुओं को सिंगापुर के रास्ते दूर-पूर्व की मंडियों में भेजा जा सकेगा ?

श्री ब० रा० भगत : सिंगापुर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। निर्णय करने के पश्चात् जब वे हमारी राय लेंगे तभी हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ वार्ता

*305. **श्री यशपाल सिंह** :   **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस महीने भारत आये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र प्रधान सचिव दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में भाषण करने के लिए भारत आये थे। उनकी यात्रा से हमें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचारों के आदान-प्रदान का मौका मिला।

Shri Ramavtar Shastri: May I know whether during talks with Shri. U Thant it was also discussed that while North Vietnam is prepared to come to the Conference table, but America is evading the issue and if so, whether Government of India propose to adopt a firm attitude in regard to Vietnam ?

Shri B. R. Bhagat: The talks held with him are confidential and wedo not want to go into their details. We openly declared our policy regarding Vietnam. He knows it and he likes it.

Shri Ramavtar Shastri: Do Government propose to call a conference of those who are fighting the aggression of American imperialists with a view to formulating a scheme to simplify the war policy of America and force it come to the conference table ?

Shri B.R. Bhagat: India wants the earliest deescalation of war and a peaceful soiution of the problem. We are having contacts with the various Governments in this regard and also extending our fullest co-operation to the Secretary General. I feel convening of a conference will not serve any useful purpose, it will rather create a deadlock.

श्री हिम्मत सिंहका : क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सूचित किया है कि वियतकाँग द्वारा भारी आक्रमण करने को देखते हुए जब तक उत्तर वियतनाम अपनी सैनिक शक्ति न बढ़ाने का आश्वासन नहीं देता अमरीका द्वारा बमबारी बन्द किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : हमने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। महासचिव वहाँ की स्थिति को, हाल के घोर युद्ध और शान्ति की संभावना को स्वयं जानते हैं।

Shri Mahraj Singh Bharati : May I know whether the Government apprised the U. N. Secretary-General of the non-fulfilment of the commitment on the part of the advanced nations to spend 1 percent of their national income in the undeveloped countries ? Was any constructive programme to abridge the yawning gulf between the developed and the undeveloped nations, put before him ?

Shri B. R. Bhagat: The hon. Member might have read the press reports on the views expressed by the Secretary-Gerneral and the Indian Delegation at the UNCTAD Conference. We are doing our best to press these points.

Shri Maharaj Singh Bharati: This is an evasive answer. Was this matter specifically discussed with him ?

Shri B. R. Bhagat: As regards the question of one percent help Government of India and the U. N. Secretary Gerneral hold the same view. This is what I have said.

श्री रा० कृ० सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर वियतनाम के लोग विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़ रहे हैं और अमरीका परमाणु अस्त्रों को भी वहाँ ले गया है, क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव के परामर्श से कोई कार्यवाही करने का निर्णय किया है ताकि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व युद्ध आरम्भ न हो जाये ?

श्री ब० रा० भगत : हमारी यह नीति है कि युद्ध न बढ़े और वियतनाम समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकल आये और इसके लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव को सहयोग भी दे रहे हैं।

Shri Shiv Chandra Jha: America is building air base in Pakistan from where it will be possible for Pakistan to intercept our air activities upto a depth of 1000 miles and also the net-

work of American espionage there will thwart our all defence efforts. Was this matter discussed with the U. N. Secretary General ?

Shri B. R. Bhagat: This matter did not figure in the discussions.

श्री अमृत नाहाटा : मंत्री महोदय ने बताया है कि वियतनाम में युद्ध के बढ़ने को रोकने के लिये पूरी कोशिश हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि वियतनाम में आणविक हथियारों से आक्रमण पागलपन होगा। कनाडा के प्रधान मंत्री ने भी ऐसे ही कहा है। भारत सरकार भी यह बयान क्यों नहीं देती कि वियतनाम पर आणविक आक्रमण मानव के विरुद्ध एक बड़ा अपराध होगा।

श्री ब० रा० भगत : मैंने पहले भी इस सभा में कहा है कि वियतनाम पर आणविक आक्रमण एक बड़ा निन्दनीय कार्य होगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझे आश्चर्य है कि सरकार इस प्रश्न का सीधे उत्तर देने के मामले में टाल-मटोल कर रही है। वियतनाम सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि वह अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है यदि अमरीका सभी युद्ध कार्यवाहियों बन्द कर दे। इस बारे में सरकार गम्भीरता से विचार क्यों नहीं कर रही ?

आज समूचे विश्व में अणु युद्ध का भय व्याप्त है। ऐसी स्थिति में सरकार स्पष्ट रूप से वक्तव्य क्यों नहीं देती ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे माननीय सदस्य के कथन पर बहुत आश्चर्य है। हमने अपनी शंका और भय को सभी पक्षों को बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है। हम विश्व में किसी भी स्थान पर आणविक हथियारों के प्रयोग के विरुद्ध हैं। हम अपने देश पर इस प्रकार के खतरे की गम्भीरता को समझते हैं।

Shri Sita Ram Kesari: During the United Nations Conference on Trade and Development the developed countries wanted to restrict the export of goods manufactured in developed nations. It will have adverse effect on our export. I want to know whether this was discussed in the talks ?

Shri B. R. Bhagat: This matter was not discussed but it is under discussion in the conference.

Shri Kanwar Lal Gupta: Our country wants friendship with all countries, particularly with its neighbours. I want to know whether Secretary General has been apprised of Pakistan's atitude; if so, the details thereof and his reaction on this ?

Shrimati Indira Gandhi: We told him about our stand.

श्री कंवरलाल गुप्त : मैंने पूछा था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : उनकी प्रतिक्रिया जानना बहुत कठिन है ?

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने संबंधी सन्धियों पर भारत का रुख

*306. **श्री शिवचन्द्र झा** : **श्री हिम्मत सिंहका** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी सन्धियों पर फरवरी, 1966–में जेनेवा में हुई 18–राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति की बैठक में भारत ने क्या रुख अपनाया, और

(ख) इस समिति में विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) उम्मीद है कि 18 राष्ट्रों को निरस्त्रीकरण समिति में भारत का प्रतिनिधि इस महीने के आखीर तक एक बयान देगा जिसमें वह परमाणु अस्त्रों के विस्तार प्रसार को रोकने से संबंध संधि के संशोधित मसौदे पर हमारी प्रतिक्रिया समझाएगा ; इसकी एक प्रति सदन को भेज पर पहले ही रखी जा चुकी है। जैसा कि आपको याद होगा अतारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर में यह बताया गया था कि संशाधित मसौदा उन सिद्धान्तों से पूरी तरह मेल नहीं खाता जिस पर यह आधारित होना चाहिए जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 2028 (XX) में निश्चित किए गए थे।

(ख) 18 राष्ट्रों को निरस्त्रीकरण समिति में विचार-विमर्श चल रहा है। उम्मीद की जाती है कि यह समिति 15 मार्च 1968 तक अपना काम पूरा कर लेगी और महासभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और महासभा इस वर्ष अप्रैल में किसी समय इस पर विचार करेगी। अन्तिम परिणाम क्या निकलेगा, इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

Shri Shiv Chandra Jha: It has been reported in the press that India has repudiated it. Government does not agree with it in principle. When this will be discussed in U. N. O. in April, there would be pressure. I want to know what steps are being taken in this regard ?

Shri B. R. Bhagat: We have explained our stand in eighteen nation conference in Genva; When this matter comes beore the U.N.O. we will discuss this matter with other countries.

Shri Shiv Chandra Jha: So far as nuclear explosions for peaceful purposes are concerned, we should conduct one. I want to know whether India is capable of conducting such a nuclear explosion ?

Shri B. R. Bhagat: We are making use of nuclear power for peaceful purposes. There is a provision in the treaty that nuclear explosions should not be made for peaceful purposes. This will obstruct our rescarch for peaceful purposes also: That is the point where we are considering whether we should sign this treaty or not.

श्री हिम्मत सिंहका : अणु शक्तियों के पास इस समय छः टन के लगभग डायनामाइट है। इससे वे विश्व को कई बार नाश कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अमरीका और रूस अणुशक्ति रहित देशों की सुरक्षा के लिये गारंटी की घोषणा करने को तैयार हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह इस संधि में नहीं है परन्तु संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के अनुसार आणविक हमले का मुकाबला सुरक्षा परिषद के अधिकारों के अनुसार किया जायेगा।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने विस्फोट शब्द का प्रयोग किया है। मैं इसका अंग्रेजी में अर्थ जानना चाहता हूँ।

श्री ब० रा० भगत : यह एक तकनीकी विषय है। विस्फोट और एक्सपलोजन में कोई अन्तर नहीं।

श्री समर गुह : उन्हें आरम्भिक बात की जानकारी नहीं है। परमाणु अस्त्र प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक राष्ट्र को इंजीनियरी प्रयोजनों के परमाणु शक्ति

के प्रयोग की अनुमति होगी। क्या भारत सरकार इस उपलब्ध का लाभ उठा कर परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगी और भारत में इंजीनियरी कार्यों के लिए परमाणु विस्फोट करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : संधि हो या न हो, शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए हम परमाणु शक्ति का प्रयोग करते रहेंगे।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : यदि इंजीनियरी विस्फोट के लिए परमाणु शक्ति की आवश्यकता पड़ी, तो उस पर भी विचार किया जायेगा। परन्तु इस समय ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

श्री गिरिराज शरण सिंह : परमाणु अस्त्र न बनाने की सरकार की नीति से सहमत रहते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शाँति प्रयोजनों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने में हमारे पास एक बड़ी मात्रा में खण्डनीय सामग्री जमा हो जायेगी। हो सकता है भविष्य में हमें परिस्थितियोंवश परमाणु अस्त्र बनाने की अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़े, तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम इस संधि पर किन्हीं भी परिस्थितियों में हस्ताक्षर नहीं करेंगे ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : मैं नहीं समझती कि हमें इस समय इतनी दूर की बात सोचनी चाहिए। माननीय सदस्य हमारी वर्तमान नीति से पूरी तरह अवगत हैं। वर्तमान प्रारूप संधि में हमारे दृष्टिकोण को नहीं रखा गया है और हम इसपर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : संधि के पुनरीक्षित प्रारूप में भी स्थायी सदस्यों तथा गैर-स्थायी सदस्यों में बड़ी असमानता रखी गई है। क्या सरकार स्थायी तथा गैर-स्थायी सदस्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस विभाजन को स्वीकार करती है ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : जी नहीं।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान पेकिंग के हाल ही के प्रसारण की ओर दिलाया गया है कि रूस और अमरीका दोनों भारत को परमाणु संरक्षण देने को तैयार हैं और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, यदि हाँ, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इंदिरा गाँधी : मुझे पेकिंग रेडियो सुनने की आदत नहीं है, अतः मैं इसके बारे में नहीं जानती। और फिर मैं चीनी भाषा भी नहीं जानती। यह स्वाभाविक ही है कि जिन दो देशों में सहमति है वे यह चाहते हैं कि अन्य सभी देश उसपर हस्ताक्षर करदें। फिर भी मैं आश्वासन दे सकती हूँ कि हम पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है।

अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में लोक-लेखा समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन

श्री मधु लिमये : क्या **लोक-लेखा समिति के सभापति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क कूटन के इंजनों की खरीद के बारे में लोक-लेखा समिति (चतुर्थ लोक-सभा) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों के उत्तर तथा इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का व्यौरा, इस समिति को सरकार से प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लोक-लेखा समिति के सभापति (श्री मी० रु० मसानी) : सड़क कूटने के इंजनों की खरीद के बारे में लोक सेवा समिति द्वारा चौथी लोक-सभा के अपने प्रथम प्रतिवेदन में की गई 67 सिफारिशों में से 27 सिफारिशों के बारे में सरकार से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।

पूर्ति विभाग ने सूचित किया है कि विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से 12 सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और उन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी टिप्पणी अंतिम रूप में तैयार हो जाने पर भेज दिये जायेंगे शेष 27 सिफारिशों के बारे में पूर्ति विभाग ने समिति को सूचित किया है कि इस मामले के सतर्कता संबंधी पहलू के बारे में जाँच को शीघ्र से शीघ्र पूरी करने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के निदेशक को एक पत्र भेजा जा चुका है। इस बीच पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक को कहा गया है कि यथासंभव आँकड़े एकत्रित करने के लिए एक अधिकारी को विशेष पुलिस संस्थान में लगाया जाय, ताकि समिति की सिफारिश पर टिप्पणी अंतिम रूप में तैयार किया जा सके। तथापि यह आशा है कि इन 27 सिफारिशों में से अधिकतर सिफारिशों पर इस मंत्रालय की टिप्पणी विशेष पुलिस संस्थान द्वारा सम्बन्धित रिकार्ड दिये जाने के बाद ही अंतिम रूप में तैयार की जा सकेगी।

लोक-लेखा समिति प्राप्त होने वाले की गई कार्यवाही सम्बन्धी टिप्पणी पर विचार करेगी और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लोक-सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

Shri Madhu Limaye: Has the Committee received any information as to the directors and firms blacklisted in regard to road rollers and have these firms and directors filed any suit against the Government ?

श्री मी० रु० मसानी : जैसा कि मैंने कहा तथ्यों को एक महीने तक सभा के समक्ष रख दिया जायेगा। कोई छुटपुट जानकारी देना वाँछनीय नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye: My specific question is have these firms and directors been blacklisted and have they filed any suits against the Government in a court of law ?

श्री मी० रु० मसानी : इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है और समिति उस पर विचार करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमा सड़क संगठन में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता

*307. **श्री एस्थोस** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री रमानी : **श्री सत्य नारायण सिंह** :
श्री नायनार : **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० गोपालन : **श्री पी० राममूर्ति** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन में राज्य लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के समय किए गए करार के अनुसार पूरा प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें कितना भत्ता दिया गया है;

(ग) भत्ता कम किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मंहगाई भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में इन कर्मचारियों के साथ चल रहा विवाद इस बीच निपटाया जा चुका है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : उत्तर देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकारों के कर्मचारियों को, जो प्रतिनियुक्ति पर सीमा सड़क संगठन में सेवा के लिए, लिए जाते हैं, ऐसा चुनाव दिया जाता है कि वह अपने मूल विभाग के वेतनमान लेते रहें या सीमा सड़क की सेवा के लिए सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों पर आ जाएँ। अगर प्रतिनियुक्त व्यक्ति अपने मूल विभाग के वेतनमान लेते रहना चुनते हैं, तो सभी प्रतिनियुक्तों के लिए सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति भत्ते के अधिकारी होते हैं। 15 सितम्बर, 1966 से पहले प्रतिनियुक्ति भत्ता सभी प्रतिनियुक्तों के देय था। परन्तु 15 सितम्बर, 1966 के पश्चात् प्रतिनियुक्ति भत्ता केवल उन्हें दिया जाता है, जो प्रतिनियुक्ति पर उन स्थानों पर जगाए जाते हैं जिनका वेतनमान उच्चतर हो।

ऐसा कोई मामला सरकार की नजर में नहीं आया कि जहाँ, अन्यथा प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होने पर राज्य के सर्वाजनिक निर्माण कार्यों के विभाग से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को दिया न गया हो।

(ख), (ग) तथा (घ) में उठाये गए प्रश्न इसलिए उठते ही नहीं।

जवानों को वेतन-वृद्धि का दिया जाना

*308. **श्री नम्बियार :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री उमानाथ : **श्री अब्राहम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवानों को पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने पर ढाई रुपए की वेतन-वृद्धि तथा दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर पुनः ढाई रुपए की वेतन-वृद्धि दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें अन्य कर्मचारियों की भाँति वार्षिक-वृद्धि न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जवानों को वेतन-वृद्धि देने की प्रणाली को अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि देने की प्रणाली जैसा बनाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ। परन्तु सिपाहियों को 15 वर्ष और 20 वर्षों की सेवावधि सम्पूर्ण कर लेने पर ढाई-ढाई रुपए की दो तरक्कियाँ प्राप्त होती हैं।

(ख) जवानों के वेतन का ढाँचा असैनिक सरकारी सेवकों के ढाँचे से भिन्न है।

(ग) और घ) : मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उस पर लिए गए निर्णय की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

जवानों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते में वृद्धि

*309. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 13 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवानों के मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हाँ। हाल ही में लिया गया निर्णय शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैगोन में भारतीय दूतावास पर आक्रमण

*310. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री दीवीकन :**
श्री अंबुचेजियान : **श्री हिम्मतसिंहका**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतकांग ने सैगोन में भारतीय दूतावास पर आक्रमण किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणामस्वरूप हमारे दूतावास की कितनी हानि हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी नहीं। हमारे पास इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी जहाज 'प्यूब्लो' की रिहाई

*311. **श्री दीवीकन :** **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री रामभद्रन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने उत्तर कोरिया सरकार से 'प्यूब्लो' जहाज के 83 चालक कर्मचारियों की ररिहाई के लिये भारत सरकार की सहायता माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो अमरीकी सरकार के इस अनुरोध के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) : यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की कार्यसूची में रखा गया था लेकिन कोई ठोस बातचीत नहीं हुई क्योंकि अध्यक्ष ने परिषद को स्थगित कर दिया ताकि उसके सदस्य अनौपचारिक रूप से बातचीत कर सकें। परिषद् के सदस्य की हैसियत से भारत ने उनमें हिस्सा लिया और अमरीकी अधिकारियों से संपर्क रखा। इस अनौपचारिक बातचीत का नतीजा यह हुआ कि अमरीका सरकार के प्रतिनिधियों की कोरिया लोकतंत्र गणराज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जहाज और उसके कर्मचारियों को मुक्त कराने के लिये सीधी बातचीत हो सकी।

ईरान द्वारा पाकिस्तान को सी-430 विमानों का दिया जाना

*312. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री गार्डिलिंगन गौड :** **श्री ओंकार लाल बेरवा:** **श्री ब्रह्मानन्द जी :** **श्री नारायण रेड्डी:**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईरान द्वारा पाकिस्तान को चार सी–430 विमानों के दिए जाने पर, जो कि वास्तव में पाकिस्तान पहुँच गए हैं, ध्यान दिया है;

(ख) क्या यह विमान अमरीका द्वारा पहले ईरान को दिए गए थे और अब अमरीका द्वारा इन विमानों को पाकिस्तान को दिए जाने की अनुमति दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान और भारत के बीच इससे उत्पन्न होने वाले सशस्त्र असंतुलन के बारे में अमरीका को अवगत कराने का है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) : संयुक्त राज्य अमरीका के साथ यह मामला उठाया गया था; उसने हमें बताया है कि भारत और पाकिस्तान को मामलेवार आधार पर, गैर-घातक सैनिक उपकरण बेचने की अनुमति देने की उनकी नीति के अनुसार इन विमानों की बिक्री पर अनुमति दी गई है।

Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty

*313. **Shri Y. S. Kushwah:** **Shri Virendrakumar Shah:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) Whether India has been approached for signing the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons as agreed to by the Soviet Union and the U.S.A.; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat):

(a) and (b): A revised draft of the Treaty on non-proliferation of nuclear weapons of which a copy was laid on the Table of House was presented to the Eighteen Nations' Disarmament Committee on January 18, 1968 by the U. S. A. ad and the U. S. S. R. It is now under discussion in that Committee. The U. N. General Assembly is expected to receive the report of the Committee by the 15th March 1968, and to discuss it sometime in April, 1968. It is likely that further attempts to amend the Treaty will be made in the Eighteen Nations' Disarmament Committee and the General Assembly. The question of signing or not signing the Treaty will

arise only when it assumes a final shape. India's position in regard to the Treaty in its revised form will be explained by our representatives in the Eighteen Nation Disarmament Committee and the General Assembly. It is recalled that in reply to Unstarred Question No. 270, it was stated thet the revised text does not fully conform to the principles set out in the U. N. General Assembly Resolution No. 2028 (XX).

राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का जमाव

*314. **श्री श्रीचन्द गोयल : श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान राजस्थान की सीमा के साथ-साथ इन दिनों सैनिकों का जमाव कर रहा है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ अपनी ओर सीमा-वर्ती सड़कें, हवाई पट्टियाँ, बैरकें और इच्छोगिल नहर जैसी एक नहर भी बना ली है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) : पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं के राजस्थान सीमा पर अस्तित्व के संबंध में सरकार को साधारण तौर पर ज्ञान है। उसी क्षेत्र में सैनिक महत्व के मार्गों और अन्य निर्माणों का भी उसे ज्ञान है। तदपि, इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों का ऐसा कोई जमाव नहीं है, जो आतंक का कारण बन पाए। अपनी ओर से हमने स्थिति का सामना करने के लिए जिस पर हम निरन्तर नजर रखे हैं, उपयुक्त उपाय किए हैं।

विद्रोही नागाओं को चीन और पाकिस्तान का समर्थन

*316. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं को चीन और पाकिस्तान से शस्त्रास्त्रों की सहायता बढ़ गई है और यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार विद्रोही नागाओं के चीन और पाकिस्तान के साथ बने हुए सम्पर्क को समाप्त करने में अब तक सफल हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) छिपे नागाओं का एक वर्ग चीन और पाकिस्तान के साथ संपर्क बढ़ाने में लगा हुआ है। इस सिलसिले में माननीय सदस्य का ध्यान लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 और तारांकित प्रश्न संख्या 128 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनका उत्तर क्रमशः 13-11-1967 और 20-11-1967 को दिया गया था। माननीय सदस्यगण 24-11-1967 की आधे घंट की बहस और 21-2-1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 181 और 192 पर पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर भी इस संदर्भ में देख सकते हैं।

(ख) और (ग) : अपनी सीमाओं पर सुरक्षा प्रबन्धों को और कड़ा करने के लिए आवश्यक उपाय बरते जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण यह तो स्वीकार करेंगे कि सारा ब्यौरा बताना देश के हित में न होगा।

कीनिया में भारतीय लोग

*318. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया के संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत कीनिया में रहने वाले उन एशियाई लोगों को, जिनके पास अचल सम्पत्ति होती थी, कीनिया की नागरिकता स्वतः मिल जाया करती थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस धारणा के आधार पर कीनिया में रहने वाले अनेक भारतीय लोगों ने अचल सम्पत्ति खरीदी और अपने व्यापार को बढ़ाया ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि कीनिया सरकार की नई नीति के अनुसार इन नागरिकों को कार्य परमिट के लिये आवेदन-पत्र देना पड़ता है और यदि वह परमिट उन्हे न मिले तो उन्हें देश छोड़ कर बाहर जाना पड़ता है ;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय लोग वहाँ से बड़ी संख्या में ब्रिटेन तथा अन्य देशों में चले गए हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कीनिया में भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) जी नहीं। कीनिया की नागरिकता अचल संपत्ति रखने पर किसी तरह निर्भर नहीं है। लेकिन अगर कोई एशियाई व्यक्ति कीनिया में पैदा हुआ है और उसके माँ-बाप में से कोई भी एक कीनिया में पैदा हुआ है तो वह स्वतः कीनिया की नागरिकता प्राप्त करने के योग्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कीनिया का कोई भी नागरिक (उसका मूल कोई हो) आप्रवास अधिनियम और व्यापार लाइसेंस कानून की परिधि में नहीं आता ; लेकिन जो कीनिया के नागरिक नहीं हैं, सिर्फ उन्हें कार्य-अनुज्ञा-पत्र (परमिट) लेने होते हैं।

(घ) जी हाँ। हाल में ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतीय मूल के कई व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम गए हैं।

(ङ) मोटे तोर पर कीनिया में एशियाई मूल के लोगों की चार श्रेणियाँ हैं। एक वे हैं जिन्होंने कीनिया की नागरिकता ले ली है। दूसरे वे हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं और यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं। भारतीय नागरिकों की संख्या बहुत थोड़ी है। कुछ ऐसे हैं जिनका दर्जा अभी तय नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकों का जहाँ तक संबंध है, हम उनके कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वे चाहते हैं और यह महसूस करते हैं कि अपने पूर्व निवास के देश में उनका रहना और काम करना मुश्किल हो जाएगा तो वे भारत वापस आ सकते हैं। जिन लोगों ने कीनिया की नागरिकता ले ली है, उनकी जिम्मेदारी कीनिया सरकार पर है। इन लोगों को हमारी सलाह यह है कि उन्हें उस देश के लोगों के साथ घुलमिल जाना चाहिये जिसका उन्होंने वरण किया है। जिन लोगों के दर्जे का

निश्चय नहीं किया गया है उनके मामलों पर तत्काल विचार किया जा रहा है। जो लोग अधिकांशतः यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं, उनके बारे में हमारा यह ख्याल है कि यह ब्रिटिश सरकार का कानूनी और नैतिक दायित्व है कि अगर उन्हें अपना वरणीय देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है तो वह उनकी देखभाल करे और उन्हें फिर से बस जाने की सभी संभव सुविधाएँ दे। हमने ब्रिटिश सरकार के साथ इस मामले को कई बार उठाया है और उन पर यह जोर डाला है कि वह एशियाई मूल के सभी यू० के० नागरिकों की पूरी जिम्मेदारी ले।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध सामग्री की खरीद

*319. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1968 के दैनिक समाचार पत्र **इंडियन एक्सप्रेस** में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने पश्चिमी यूरोप के देशों से हाल ही में 4 करोड़ डालर के मूल्य की युद्ध सामग्री खरीदी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उसने युद्ध सामग्री की सप्लाई के बारे में संबंधित देशों के साथ बातचीत की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :: (क) जी हाँ।

(ख) जैसा कि कई अवसरों पर स्पष्ट किया गया है, सरकार पाकिस्तानी तैयारी के प्रति सध्यान है, और वह उस द्वारा संभावित संकट का सामना करने के लिये उपयुक्त उपाय करती रही है।

ब्रिटेन में गये हुए एशियाई लोग

*320. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई लोगों के ब्रिटेन में जाने पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाने का ब्रिटेन का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) युनाइटेड किंगडम की सरकार ने हमें सूचित किया है कि कीनिया से युनाइटेड किंगडम और उसके उपनिवेशों का पासपोर्ट रखने वाली एशियाई लोगों के प्रत्याशित प्रवजन का मुकाबला करने के लिये वह वैधानिक कदम उठा रही है।

(ख) हमने जोर देकर उन्हें यह बात बताई है कि जिन लोगों के पास इस तरह के पासपोर्ट है उन लोगों के हितों की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है।

सेना में लेफ्टिनेंट जनरल

*321. **श्री दामानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सेना में लेफ्टिनेंट जनरलों की संख्या बढ़ाई जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) मुख्यतः इसका कारण है सीनियर नियुक्तियों की संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्वों में वृद्धि तथा सशस्त्र सेवाओं में वृत्तिक की सम्भावनाओं में सुधार की आवश्यकता।

Incentive to Small Newspapers

*322. **Shri Onkar Lal Bohra?** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the steps taken last year for giving incentives for the development of the regional small newspapers; and

(b) whether any special allocation is proposed to be made in this regard in the coming year ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) and (b) Systematic encouragenment and assistance was given to small newspapers by way of suitable advertisement support, preferential allocation of newsprint, sustained supply of press releases, feature articles, photographs, ebonoid blocks etc. Enhanced postal rates proposed on the budget were dropped and the then existing rate of 2 paise upto 60 grammes was retained.

Newspapers and periodicals having a circulation of below10,000 copies were given on application, 50% increase on newsprint over their entitlement for 1966-67. The newsprint allocation policy for 1968-69 has not yet been formulated. The needs of small newspapers would, however, be borne in mind when it is framed.

News Broadcast on the Death of Shri Din Dayal Upadhyay

*323. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minsiter of **Informrtion and Broacasting** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that it was broadcast in the English news bulletin at 1.30 p. m. on Sunday, the 11th February, 1968 that the dead body of the late Shri Din Dayal Upadhayaya was recovered from the compartment of the train;

(b) whether it is also a fact that it was broadcast in the Hindi bulletin immediately afterwards that the dead body was found on the railway track;

(c) whether it is also fact that in the next bulletin the cause of the death was stated that he collided with the electric pole while attempting to board the shunting train; and

(d) if so, the sources from where A. I. R. obtained the said news and broadcast them in their bulletins ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) Yes, Sir,

(b) No, Sir. The Hindi news bulletin at 13.40 hrs., carried the same story as was broadcast at 13.30 hrs., in the English bulletin.

(c) At 15.30 hrs., the English bulletin gave out the following news:—

"According to reports reaching Lucknow, Mr. Din Dayal Upadhyaya was found dead near an electric pole, beyond the Moghulsarai Station in early hours of this morning. Earlier reports said that the Jana Sangh President was found dead in the eighteen-down Express train near the station. The exact cause of the death is not known. One report said Mr. Upadhyaya had got down from the train while his bogie was being shunted and tried to get back while the train was in motion. The report added that he might have been hit by an electric mast. According to police sources, the body was recovered from the railway track, about 200 yards from the outer signal".

(d) The news broadcast by AIR was based on PTI and UNI reports.

जम्मू तथा काश्मीर की बाहरी सीमाओं पर गैर-सरकारी रेडियो स्टेशन

*324. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाई गई है कि श्रीनगर और जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र में एक गैर-सरकारी रेडियो स्टेशन काम कर रहा है जो भारत-विरोधी प्रचार करता है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जाँच की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) से (ग) : आजाद कश्मीर रेडियो और सदा-ए कश्मीर के नाम से दो गुप्त रेडियो केन्द्र भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं। किन्तु उनके स्थान की जानकारी नहीं है। जम्मू और श्रीनगर केन्द्र इन केन्द्रों के कार्यक्रमों पर नजर रखते हैं और इनके द्वारा भारत के विरुद्ध जो झूठा प्रचार किया जाता है उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए सकरात्मक और सही जानकारी देते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई जाँच करने का प्रश्न नहीं उठता।

चीनियों द्वारा पाकिस्तानियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाना

*325. **श्री श्रीचन्द गोयल** : **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों द्वारा पाकिस्तानियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) : ऐसा मानने के लिए सरकार के पास कारण हैं कि चीन द्वारा पाकिस्तान का विस्तृत सैनिक सहायता देने के अंश के तौर पर, पाकिस्तान ने सैन्विवर्ग को गुरीला ढंग के युद्ध में प्रशिक्षण की सहायता भी दी गई है। स्वाभाविक तौर पर चीन द्वारा ऐसी सहायता पर, अपने देश की प्रादेशिक एकता की सुरक्षा के लिए अपनी संक्रियात्मक योजनाओं में उचित ध्यान दिया जाता है।

Peace Talks in Vietnam

*327. **Shri Madhu Limaye**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement reported to have been made by the Foreign Minister of North Vietnam in the beginning of this year in regard to the peace talks ;

(b) whether in the background of this statement, Government have taken any initiative to start peace negotiations between the concerned countries ; and

(c) if so, the result thereof?

The Minster of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Government of India is closely following every development and has been taking appropriate and possible steps designed to help towards a peaceful settlement of the problem. Government is also supporting the efforts of U. N. Secretary General.

(c) It is not possible, at this stage to make an assessment of the results achieved.

कोलम्बो प्रस्ताव

*328. **श्री हेम बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने अभी तक कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कोलम्बो प्रस्तावों की, जिन्हें भारत पहले ही मान चुका है, वर्तमान स्थिति क्या है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क): जी हाँ।

(ख) : जहाँ तक सरकार को मालूम है कि कोलम्बो प्रस्तावों के प्रति चीन सरकार के नकारात्मक और हठपूर्ण रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

अमरीका द्वारा भारत और पाकिस्तान को घातक हथियारों की सप्लाई

*329. **श्री चेंउलराया नायडू :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने भारत को घातक हथियार सप्लाई करने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या उसने पाकिस्तान को घातक हथियार देने का पहले ही निर्णय कर लिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका पाकिस्तान को पहले दिए गए सब हथियारों के फालतू पुर्जे देने को सहमत हो गया है; जब कि उसने भारत को ऐसे फालतू पुर्जे देने से इंकार कर दिया है; और

(घ) क्या सरकार ने अमरीका सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) से (घ) : 12 अप्रैल 1967 को यू० एस० द्वारा घोषित, भारत और पाकिस्तान को सैनिक साजसामान सप्लाई करने संबंधी संशोधित नीति के अनुसार घातक साज सामान और भण्डार की सप्लाई दोनों देशों को दुबारा शुरू नहीं की गई, परन्तु हमारे प्रतिरोधों के बावजूद भी मामले के आधार पर पूर्व में यू० एस० ए० द्वारा सप्लाई किए गए घातक सामान के लिए नकद मूल्य पर दोनों देशों को फालतू पुर्जों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है।

राजस्थान नहर

*330. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह राजस्थान नहर को एक प्रतिरक्षा परियोजना के रूप में समझे और इसके शीघ्र पूरा करने के लिये पर्याप्त धनराशि का नियतन करे ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Compensation for Land Acquired at Hindon Airport

2051. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the farmers residing near Hindon Aerodrome have not so far been paid compensation for their 2,500 acres of acquired land;

(b) the total amount involved and the reasons for non-payment of compensation so far; and

(c) the time by which this amount is likely to be be paid to the farmers concerned ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) to (c): 2221 acres of land have been acquired for the construction of Hindon airfield. The acquisition cost, as assessed by the Competent Authority, is about Rs. 1.02 crores and Government of India sanction was accorded some time ago to the payment of this cost. It is understood that the Collector would commence disbursement of compensation during the 1st week of this month and complete the same by the end of April 1968. In the meantime, to mitigate hardship, an 'on account' payment of Rs.60.10 lakhs has already been made to the persons concerned.

Free Transport and Delivery of Gift Articles

2052. **Shri Shashi Ranjan:** Will the Minsister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of countries with which Government have entered into agreements for free transporting and delivering the gift articles;

(b) the total volume received and delivered in the last five years;

(c) the total cost incurred by Government; and

(d) the names of the voluntary orgainisations receiving these gifts alongwith the areas of distribution ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Miniter of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) The United States of America, the United Kingdom, Sweden and Switzerland.

(b) As supplies are received by Air, Sea and Post and there are several cases where such relief supplies though entering under agreements are exempted from payment of duties in the normal way ,no accurate assessment can be made of the total volume received and delivered in the last fiv years.

(c) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(d) List of the recipient organisations receiving gifts under the above agreements is attached. [**Placed in library See. No. L. T. 245/68.**] These organiations are spread all over India.

साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यक्रम

2053. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में साप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये किन-किन गायकों तथा वाद्यकलाकारों ने काम किया ;

(ख) इस कार्यक्रम के लिये इन कलाकारों का चयन किस आधार पर किया जाता है और उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं जो उन कलाकारों का चयन करती है तथा उनकी अर्हताएं क्या हैं ;

(ग) क्या कारण है कि कुछ कलाकारों को ही बार-बार चुना जाता है, जब कि अन्य कलाकार उपलब्ध होते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के लिये निःशुल्क गाने-बजाने के लिए योग्य अतिथि कलाकारों को आमंत्रित करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक सूची संलग्न है जिसमें उन कलाकारों के नाम दिए हुए हैं जो 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए बुक किए गए। (**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 246/68**)

(ख) संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन करने की मुख्य कसौटी है उनका प्रभावगुण, स्थिति, संगीत के क्षेत्र में उनकी मान्यता, और कार्यक्रम विशेष के लिए उनकी उपयुक्तता। चयन केन्द्रीय संगीत एकक द्वारा किया जाता है जिसमें (1) डा० के० सि० डी० बृहस्पति, मुख्य संगीत सलाहकार, (2) डा० सुमति मुतातकर, उप-मुख्य संगीत प्रोड्यूसर और (3) श्री इमानी शंकर शास्त्री, मुख्य प्रोड्यूसर, कर्नाटक संगीत हैं; जो विख्यात संगीतज्ञ और संगीत शास्त्री हैं।

(ग) कलाकारों को बार-बार उनकी लोकप्रियता, ख्याति और उनकी उपयुक्तता तथा कार्यक्रम की आवश्यकता के कारण चुना जाता है।

(घ) जी, नहीं। नीति के तौर पर किसी भी कलाकार को आकाशवाणी से निःशुल्क कार्यक्रम देने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। सभी कलाकारों से निर्धारित फीसों पर कार्यक्रम देने के लिए ठेका किया जाता है। यदि कोई अपनी सेवायें निःशुल्क देने के लिए तैयार है और यदि उसका चयन केन्द्रीय संगीत एकक द्वारा कर लिया जाता है तो उसको आमंत्रित किया जायेगा। यह तब उस पर निर्भर करता है कि वह फीस ले या न ले परन्तु सरकार उसको फीस देने के लिये तैयार होगी, कसौटी 'फीस' न होकर संगीत एकक द्वारा चयन है।

होमी भाभा अणु संधान केन्द्र के अधिकारियों की विदेश यात्रा

2054. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे स्थित होमी भाभा अणुसंधान केन्द्र के ऐसे दस सर्वोच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में विदेशों का दौरा करने के लिए भेजा गया था ; उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया था ; उनके दौरों पर कितना धन व्यय हुआ था तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा थी ; और

(ख) इस अनुसंधान केन्द्र को विदेशों के इन दौरों के परिणामस्वरूप वास्तव में कितना लाभ हुआ ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के डायरेक्टर सहित पाँच सर्वोच्च अधिकारियों, जिन पर अलग-अलग वैज्ञानिक ग्रुपों की जिम्मेदारी है, में से चार को पिछले तीन वर्षों में विदेशों के दौरों पर भेजा गया। इनके कुछ दौरे राणाप्रताप सागर और मद्रास में बन रहे बिजलीघरों के काम के बारे में थे और बाकी दौरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित परिसंवादों/नामिकाओं की बैठकों में भाग लेने या उनकी अध्यक्षता करने के बारे में थे। ज्यादातर दौरों का खर्च सम्बन्धित अन्तराष्ट्रीय संगठनों ने उठाया। आवश्यक जानकारी युक्त एक विवरण नत्थी किया जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 247-68)**

(ख) इन दौरों से विदेशों में स्थित परमाणु ऊर्जा संगठनों से सम्बन्ध स्थापित करने, परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी खोज तथा विकास कार्य के विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों में हुई आधुनिकतम तरक्की की जानकारी प्राप्त करने तथा इन क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान करने में सहायता मिली।

Land for Ex-Servicemen in Maharashtra

2055. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether land has been allotted to all ex-Army Officers and Jawans in Maharashtra;

(b) if not, the number of those on the waiting list and the reasons for not allotting land to them;

(c) whether any complaints have been received that land shown to them is uneven and not fit for agriculture and that they are not being given preference in allotment; and

(d) if so, the action taken by Government in this respect ?

The Minister of defence (Shri Swaran Singh):

(a) to (d): The information is being collected from the State Government and will be laidon the Table of the House when received.

Prime Minister 's Foreign Tour Programme for 1968

2056. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the countries from where she received invitations for visits during 1968;

(b) whether the programme of her visits of those countries has been finalised; and

(c) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Invitations to Prime Minister have been received from the following countries:

Afganistan, Algeria, Australia, Brazil, Burma, Chile, Czechoslovakia, Ethiopia, Federal Republic of Germany, Hungary, Indonesia, Iraq, Japan, Malaysia, Mauritius, New Zealand, Singapore, Sudan, Syria, Tunisia, Uganda, Uruguay, USSR, Yugoslavia.

(b) and (c): The programme of visits to Australia, Burma New Zealand, Malaysia, Singapore and Indonesia are being finalised. In respect of other countries, while the invitations have been accepted in principle, the dates of the visits have not so far been decided.

चलचित्रों का निर्यात

2057. **श्री के० कृ० दासचौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री चलचित्रों के निर्यात के बारे में 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें पूछी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : जानकारी जो विभिन्न सूत्रों से एकत्रित करनी थी, अब संकलित कर ली गई है और रिजर्व बैंक आफ इंडिया को जाँच और निष्कासन के लिए भेजी जा रही है।

वर्ष 1967-68 में राजस्थान के लिये योजना में नियत धन का उपयोग

2058. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में राजस्थान के लिये योजना में नियत समूचे धन का पूरा उपयोग किया गया है अथवा उसमें से कुछ धन बच गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन शीर्षों के अन्तर्गत धन बचा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) वर्ष समाप्त होने के बाद योजना परिव्यय के वास्तविक उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह के लिये चलचित्र

2059. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चलचित्रों के नाम क्या है, जो वर्ष 1965, 1966 और 1967 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह के लिये तथा चलचित्रों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गये थे ;

(ख) क्या 1967 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह के लिये चुने गये कुछ चलचित्र उस समारोह में शामिल नहीं किये गये थे ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन चलचित्रों के नाम क्या-क्या हैं तथा इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए तथा 1965, 1966 और 1967 में होने वाले फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुनी गई फिल्मों की एक सूची संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 248-68)**

(ख) और (ग) उन फिल्मों की सूची, जो 1967 में फिल्मों के अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में सम्मिलित की गई हैं और जो 1967 में होने वाले फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार में नहीं सम्मिलित की गई, संलग्न है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रविष्टि के लिये फिल्मों का चयन प्रत्येक समारोह के लिए, उन निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है जो ये बताते हैं कि किस प्रकार की फिल्म पात्रता रखता है। परन्तु फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार में भाग लेने के लिए फिल्मों का चुनाव और निर्णय प्राथमिक और क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता है (संकल्प की प्रतिलिपि संलग्न है)। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 248/68]** अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्मों के प्रवेश के लिये चयन की संकल्पना फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कारों की संकल्पना से मूलतः भिन्न है और यह धारणा बताना ठीक नहीं होगा कि एक फिल्म, जो अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रविष्ट की गई है, वह अवश्य ही राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये भी चुनी जानी चाहिए।

Indian Air Force Station, Hindon

2060. **Shri Nihal Singh?** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of the persons to whom contract for cutting grass in the Indian Air Force Station, Hindon, Ghaziabad was given during the last two years;

(b) whether it is a fact that the names of such individuals are not registered before their entry into the boundary of this Air Force Station and the contractors can seek entry of any person by obtaining two annas token; and

(c) if so, the reason therefor and the details of the security measures taken to prevent secrets being leaked out by such persons ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Shri Isbuddin was given contract for cutting grass at the Indian Air Force Station Hindon, for the period from 15.8.1966 to 31.12.1966 ($4\frac{1}{2}$ months) and from 1.1.1967 to 31.12.1967 (12 months). No contract was in existence prior to 15.8.1966.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

सीमांकन के बारे में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक

2062. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच अनिर्धारित सीमाओं के सीमांकन के काम की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक जो 10 और 16 जनवरी 1968 को होनी थी स्थगित कर दी गई है।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या बैठक फिर होगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) : पाकिस्तानी पक्ष के अनुरोध पर 10 जनवरी 1968 के लिए नियत की गयी मीटिंग स्थगित कर दी गयी थी। 16 जनवरी 1968 के लिए किसी मीटिंग का कार्यक्रम नहीं बनाया गया।

(ग) आशा है कि जल्दी ही एक मीटिंग आयोजित की जाएगी।

Tibetan Refugees

2063. **Shri Mohan Swarup**: Will the Minister of **Extermnal Affairs** bc pleased to state:

(a) whether it is a fact that the camps for the refugees coming from Tibet have been opened in the Districts of Pilibhit and Bijnor;

(b) if so, the number of such refugees so far settled in those camps; and

(c) the action being taken to rehabilitate them permanently ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External, Affairs (Shrimati Indira Ghandhi);

(a) Yes, Sir,

(b) The number of refugees at present in Pilibhit is 243 and in Bijnor 193.

(c) Tibetans, who are found to be genuine refugees after screening, are sent for permanent settlement to one of the Tibetan refugee resettlement camps. 182 Tibetans were sent some time back fron these camps to Mundgod in Mysore State. Instructions have been issued for sending another 105 Tibetans to Mysore.

विद्रोही मिजो लोगों का पूर्वी पाकिस्तान से अपनी गतिविधियाँ चलाना

2064. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही मिजो लोग पूर्वी पाकिस्तान में नियामी और क्यालोंग से अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं ; और प्रायः सीमा पर स्थित गाँवों को लूट रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :
(क) यह सच है कि मीजो विद्रोहियों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान चटगाँव हिल ट्रेक्ट्स जिले में, जहाँ न्यामी और कसालोंग क्षेत्र स्थित हैं, कई शिविर स्थापित किए गए हैं। हाल में, इस क्षेत्र में सक्रिय मीजो विद्रोहियों के एक सशस्त्र गिरोह ने त्रिपुरा के एक छोटे-से बाजार के दुकानदारों को बन्दूक दिखाकर उनसे कुछ नगदी और कपड़े भी लूट लिए थे।

(ख) पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा के प्रबन्ध भी सुदृढ़ कर दिए गए हैं।

सूखा सहायता अभिकरण

2065. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा सहायता अभिकरणों, के प्रतिनिधि उन्हें और खाद्य तथा कृषि मंत्री को हाल में दिल्ली में मिले थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने किन-किन विषयों पर बातचीत की और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) 30 जनवरी 1968 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सूखा सहायता कार्य में अंशदान करने वाले स्वयंसेवी अभिकरणों के प्रतिनिधियों तथा सूखा सहायता विषयक राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की एक बैठक हुई जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ खाद्य एवं कृषि मंत्री भी सम्मिलित हुए ।

(i) स्वेच्छा प्रेरित संगठनों की सहायता से दीर्घ कालीन विकास कार्यक्रमों को चालू करने के बारे में दिये गये सुझावों पर विचार ।

(ii) सहायता कार्यों के दौरान किये गये कार्य के मदों (विषयों) का उचित अनुरक्षण तथा प्रभावशाली अनुगमन ।

बैठक के कार्यवाही वृत्त की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 249–68]**

भारत और मलेशिया के बीच तकनीकी सहयोग का करार

2066. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री दीवीकन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1966 में भारत और मलयेशिया के बीच तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में कोई करार हुआ था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस करार का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी नहीं ।

लेकिन, 26 जनवरी और 2 फरवरी 1968 के बीच एक टेक्नीकल टीम मलयेशिया गई थी और उसने मजलिस अमनाह र'आयात (मारा) के अधिकारियों से और दूसरे मलयेशियाई अधिकारियों से वाणिज्य, टेक्नोलाजिकल और औद्योगिक क्षेत्रों के उन विषयों पर बातचीत की जिनमें दोनों देशों में परस्पर सहयोग सम्भव है ।

(ख) भारत अपने व्यावसायिक और शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधाएँ देने पर, खास-खास क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त करने पर, लघु उद्योग और दूसरे उद्योगों के बारे में सम्भावना सर्वेक्षण करने पर और शैक्षिक तथा टेक्नोलाजिकल संस्थानों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने पर भी राजी हो गई है ।

प्रतिरक्षा मंत्री की ईराक यात्रा

2068. **श्री यशपाल सिंह : श्री रवि राय :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे फरवरी, 1968 में ईराक गये थे ;

(ख) उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी और उसका क्या परिणाम निकला है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) जी हाँ। यह इराक के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर उनके भारत के उस भ्रमण के उत्तर में सद्भावना भ्रमण था, जो उन्होंने पहले 1967 में किया था। भ्रमण से सद्भावना पैदा हुई है, और इससे दोनों देशों के बीच मित्रता के संबंध और दृढ़ हुए हैं।

Allotment of Shops to Discharged Emergency Commissioned officers

2069. **Shri Yashapl Singh**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether his Ministry have entered into any correspondence with the Ministry of Works, Housing and Supply in regard to the allotment of shops to the discharged Emergency Commissioned Officers;

(b) if so, the number of retrenched Emergency Commissioned Officers who have been allotted shops in the capital so far; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the ministry of Defence (Shri M. R. Krishna):

(a) to (c) No, Sir. Allotment of shops and business premises is done in the capital by local bodies and not by Ministry of Works, Housing and Supply. The Ministry of Defence have no information regarding the number of released ECOs who applied for allotment of shops and the number among them, if any, who have been allotted shops.

भारत-अमरीका मैत्री समितियां

2070. **श्री विश्वनाथ मेनन : श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री चक्रपाणि :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितनी भारत-अमरीका मैत्री समितियाँ हैं ;

(ख) उनके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उन्होंने अपना कार्य करने के लिये सरकार से मंजूरी ली है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):
(क) सुलभ सूचना के अनुसार भारत के विभिन्न भागों में 23 भारत-अमरीकी मित्रता सोसाइटियाँ हैं।

(ख) इन सोसाइटियों की कुल सदस्य संख्या मालूम नहीं है और न उसका जल्दी पता लगाया जा सकता है।

(ग) चूंकि ये सोसाइटियाँ प्राइवेट-संस्थाएँ हैं, इसलिए उन्हें अपना काम चलाने के लिए सरकार की पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है और न वे अपने आपको रजिस्टर कराने के लिए बाध्य हैं।

भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का रूस की पंचवर्षीय योजना के साथ तालमेल बैठाना

2071: **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का तालमेल रूस की पंचवर्षीय योजना के साथ मिलाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) और (ख) : अध्यक्ष कोसीगिन हाल में ही भारत आये तो उन्होंने उपाध्यक्ष योजना आयोग से भारत की विद्यमान आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया। इसके दौरान उन्होंने बताया कि, आधारभूत तथा पूंजीगत सामान उद्योगों द्वारा जिन कतिपय कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उनको सुलझाने में सोवियत सरकार सहायता प्रदान करने को तैयार है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सोवियत संघ इन उद्योगों से कुछ सामान खरीदने की स्थिति में है। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई थी कि पारस्परिक हित में रूस तथा भारतीय योजनाओं में निकट का सहयोग रखने के उपायों पर विचार करने के लिए रूसी तथा भारतीय दल एक दूसरे के देश में जांय।

आयुध कारखानों में शिक्षु

2072. **श्री एस्थोस :** **श्री मुहम्मद इस्माइल:**
श्री भगवान दास : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 1964 से अब तक गन और शैल फैक्टरी, काशीपुर, आर्डनेन्स फैक्टरी, डमडम, मैटल और स्टील फैक्टरी, इछापुर और राइफल फैक्टरी, इछापुर में कुल कितने शिक्षु भर्ती किये गये ;

(ख) कितने शिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया और उनको प्रमाण-पत्र दिये गये ;

(ग) क्या प्रशिक्षण प्राप्त सभी शिक्षुओं को रोजगार दे दिया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो कारखानेवार कुल कितने शिक्षुओं को रोजगार दिया गया ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) से (ङ) : एक विवरण संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० 250-68)**

विदेशों में भारतीय मशीनों के लिये पुस्तकें तथा पत्रिकाएं

2073. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय मिशनों और दूतावासों में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकें, पत्रिकायें, समाचारपत्र आदि उपलब्ध होते रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हाँ। विदेश-स्थित भारतीय मिशनों को, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप और सुलभ साधनों की सीमा के भीतर, किताबें, पत्रिकाएँ, अखबार आदि भेजे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिये इमारतें

2074. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों में हमारे उच्चायोग मिशन दूतावास यथास्थिति अपनी इमारतों में काम कर रहे हैं ;

(ख) हमारे उच्चायोगों, मिशनों अथवा दूतावासों की इमारतों के किराये तथा अन्य सुविधाओं पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया जा रहा है ;

(ग) क्या इमारतें खरीद कर, बना कर अथवा किसी प्रकार ले कर उन्हें स्थान देना अधिक लाभप्रद है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उसमें अब तक कितनी सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) 12 देशों में हमारी चाँसरियाँ ऐसी इमारतों में हैं जिनकी मालिक सरकार है। 26 देशों में मिशन प्रमुखों के निवास-स्थान और 11 देशों में कुछ कर्मचारियों के स्टाफ क्वार्टर भी सरकार के हैं।

(ख) 1967-68 के दौरान, चांसरियों, मिशन / केन्द्र-प्रमुखों के निवास-स्थानों और भारत-आस्थानी कर्मचारियों के लिए सरकार की अपनी और किराए की इमारतों के किराए, मरम्मत और रख-रखाव पर अनुमानतः 18,627, 500 रु० खर्च आया है और फर्नीचर/अन्य साज-सज्जा की सामग्री खरीदने, बदलने पर और उनके नवीकरण पर अनुमानतः कोई 1,690,200 रु० खर्च आया है।

(ग) जी हाँ।

(घ) संपत्ति की खरीद / निर्माण धन की सुलभता पर निर्भर करती है। अब तक सरकार ने 33 देशों में एक या अधिक इमारत ले ली हैं।

सैनिक स्कूल, पुरूलिया

2075. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री प० गोपालन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के सैनिक स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों के अभिभावकों की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) बोर्डिंग में रहने वाले प्रत्येक छात्र को भोजन में क्या-क्या खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं ; और

(घ) क्या उस खुराक में विद्यमान (क्लोरी) की खाद्य तत्व की मात्रा की स्वीकृति चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :

(क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

आयुध कारखानों में शिशिक्षु

2076. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री अब्राहम : **श्री नायनार :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी संख्या में शिक्षुओं को, जिन्होंने 1964 में गन और शैल फैक्टरी, काशीपुर आर्डनेन्स फैक्टरी, डमडम, मैटल और स्टील फैक्टरी, ईच्छापुर और राइफल फैक्टरी, ईच्छापुर में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उनको उन पदों से छोटे पदों पर लगाया गया है जिन पर उनको लगाया जाना चाहिए था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शिक्षुओं की कुल संख्या कितनी है जिन्हें कारखानेवार निम्न श्रेणी के पद दिये गये हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ग) : सूपरवाइजरी एप्रेंटिसों को विशिष्ट आवश्यकताओं के विरुद्ध आयुध कारखानों में प्रशिक्षित किया जाता है, और इस उद्देश्य के लिए आयोजित वर्गीकरण परीक्षा में उनकी निष्पत्ति पर आधारित सूपरवाइजरी वर्गों में उन्हें रोजगार की पेशकश की जाती है । इसलिए उस स्थान से निम्न पद पर उनको रोजगार प्राप्य का प्रश्न उठता ही नहीं, कि जिसके वह योग्य होते हैं ।

ट्रेड एप्रेंटिसों को 1961 के एप्रेंटिस एक्ट के उपबन्धों के अन्तर्गत आयुध कारखानों में प्रशिक्षण दिया जाता है । ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक सम्पूर्ति पर जहाँ तक रिक्त स्थान प्राप्त हों रोजगार की पेशकश की जाती है । चार कारखानों में कुशल ग्रेडों से निम्न स्थानों पर काम पर लगाए गए एप्रेंटिसों की संख्या इस प्रकार है :—

गन तथा शैल फैक्टरी, डमडम	10
आयुध कारखाना, डमडम	5
राईफल कारखाना इच्छापुर	49
मैटल तथा स्टील फैक्टरी, इच्छापुर	एक भी नहीं ।
कुल जोड़	64

राकेट छोड़ने का केन्द्र, थुम्बा

2077. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री अंबचेजियान :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 2 फरवरी, 1968 को थुम्बा परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्पित कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को यह परियोजना समर्पित करने का क्या प्रयोजन है ;

(ग) उस अवसर पर विदेशों के कितने वैज्ञानिक उपस्थित थे ; और

(घ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी हाँ।

(ख) यह केन्द्र संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा के रूप में समर्पित किया गया है।

(ग) 31।

(घ) इस परियोजना को स्थापित करने तथा इसका संचालन करने के कार्य पर अब तक दो करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

गणतंत्र दिवस के समापन समारोह (1968) पर बजाई गई धुनें

2080. **श्री रवि राय :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 29 जनवरी, 1968 को गणतंत्र दिवस के समापन समारोह पर सेना के बैंड ने किन-किन गानों की धुनें बजाई थीं और क्या यह सच है कि उनमें सम्राज्ञी एलिजाबेथ के नाम में गाया गया एक गीत भी शामिल था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को सम्राज्ञी एलिजाबेथ को समर्पित किये गये एक गीत विशेष के बारे में हुई सार्वजनिक आलोचना की जानकारी है ; और

(ग) सरकार ने इसके लिए क्या कार्यवाही की है कि ऐसे समारोहों में सेना द्वारा ऐसे गीत की धुन न बजाई जाये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) : 29 जनवरी 1968 को बीटिंग रिट्रीट पर सेवाओं के बैंड बाजों द्वारा निम्न धुनें नाट्य की गई थीं :—

(1) हमारी लड़ाकू सेनाएँ।
(2) व्योमाधिपति।
(3) चिपली नान (स्लो मार्च)
(4) लड्डूरे को रेलिमाई (क्विक मार्च)

(5) स्ट्रेथ्स पे तथा रील
(6) कोंकण सुन्दरी (क्विक मार्च)
(7) तिरंगा।
(8) जल सुन्दरी (क्विक मार्च)
(9) रानी का निशान (स्लो मार्च)
(10) विवासिटी (पोस्ट हार्न ट्रायी)
(11) आई० एन० एस० दिल्ली।
(12) वीरों को श्रद्धांजलि।
(13) कर्मचारी (क्विक मार्च)
(14) देश सेवा (स्लो मार्च)
(15) सीकी अमोले (लदाखी पालना गीत)
(16) जीवन सुधार (क्विक मार्च)
(17) राजभक्ति
(18) स्वदेश प्रेम (क्विक मार्च)
(19) पटह वादन।
(20) मेरे साथ रहो।
(21) रिट्रीट
(22) हंसते लुशाई (क्विक मार्च)

'रानी का निशान' धुन हर मेजेस्टी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत भ्रमण के समय सद्भावना के तौर पर 1961 में बनाई गई थी। इस धुन से संलग्न कोई शब्द या कविताएँ नहीं हैं, और यह पूर्णतः केवल वाद्य संगीत है।

Leave Salary to Armed Forces Personnel wounded in the Field

2081. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 113 on the 13th November, 1967 and state:

(a) whether Government have come to know of certain cases in which the military personnel wounded in the field area were paid full salary for the first six months of their medical treatment and after the expiry of six months, their salaries were reduced; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) and (b) : Unstarred Question No. 113 answered on the 13th November, 1967, related to Jawans only i. e. Junior Commissioned Officers and Other Ranks. In their case, the entire period spent in a recognised hospital is treated as on duty and full pay and allowances are admissible. After discharge from hospital, sick leave on full pay and allowances is granted on the recommendation of the compentent medical authority, such leave being restricted to a period in which there is a reasonable prospect of the personnel becoming fit for duty.

On the other hand, Services officers are entitled to full pay sick leave for a period of six months including the period of annual leave for the year and thereafter sick leave on furlough rates of pay (i. e. 50 per cent of the pay) up to a period of 24 months. However, as a

special case, full pay sick leave has been allowed for the entire period of hospitalisation to officers who were wounded during the Chinese aggression in 1961 or during the Indo-Pak conflict, 1965.

During sick leave beyond six months spent outside hospital by officers, furlough rates of pay are allowed under the normal rules. It has, however, been recently decidod that for the period beyond the six months mentioned above, in the case of officers wounded in the field, full pay sick leave will be allowed up to a maximum period of 90 days, provided such leave was granted for convalescence on the recommendation of the competent medical medical authority. This decision will also apply to past cases of officers wounded during the Indo-Pak conflict

आकाशवाणी से विज्ञापनों का प्रसारण

2082. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी वस्तुएँ आकाशवाणी से होने वाले वाणिज्यिक प्रसारण के लिए निश्चित की गई हैं तथा विज्ञापन देने वाले लोगों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : आकाशवाणी का वाणिज्यिक प्रसारण सेवा में, ऐसी सभी वस्तुओं और सेवाओं का, जिन पर देश के कानूनों के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से कोई पाबन्दी नहीं है, विज्ञापन किया जा सकता है। विज्ञापन देने वाले लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी रही है। विज्ञापनों के लिए माँग इतनी है कि वह पूरी नहीं की जा सकती।

पहाड़ी डिवीजन

2083. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी डिवीजन की काफी टुकड़ियाँ मैदानों में तैनात की गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इससे सैनिकों के प्रशिक्षण तथा परिस्थिति-अनुकूलन पर कोई प्रभाव न पड़ने पाये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कुछ यूनिटें जो पर्वतीय डिवीजनों के अंग है, मैदानों में स्थित हैं।

(ख) पर्वतीय डिवीजनों के सेविवर्ग लम्बी अवधियों के लिए ऊँचे स्थानों पर नहीं रह सकते। इसलिए कुछ यूनिटों को बारी-बारी पीस स्टेशनों पर लाया जाता है। रीयर के स्थानों में कुछ समय रहने के पश्चात् वह अपने मूल डिवीजनों में फिर जा मिलती हैं। उनके पर्वतीय डिवीजनों में पुनः शामिल होने से पहले इन सेविवर्ग के वातावरण-अनुकूलन और प्रशिक्षण के लिए प्रबंध विद्यमान हैं।

Committee on Censor of Films

2084. **Shri Raghuvir Singh Shastri::** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether Government have appointed the Committee to lay down new principles for censoring the films ; and

(b) if so, the terms of reference and personnel of the Committee ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b): Government hopes shortly to notify the Enquiry Committee on Censorship being set up in pursuance of the resolution adopted in the Rajya Sabha. Terms of reference will also be annnounced at the same time.

अमरीका से संचार उपकरण

2085. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री 27 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार से राडार के प्रयोग के लिये संचार उपकरण संबंधी एक विस्तृत प्रस्ताव मिला है और उसपर क्या अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Indigenous Manufacture of Rockets

2086. **Shri O. P. Tyagi:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is fact that Indian scientists are now capable of making rockets; and

(b) if so, the range of the rockets made in India and the number of rockets launched on experimental basis so far ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Ghandhi): (a) Yes Sir. The Space Science and Technology Centre of the Department of Atomic Energy has designed and developed an indigenous rocket system.

(b) Light indigenous rockets have so far been launched and flight test rusults at the peak altitude of approximately 9 Km. have been obtained. As these are sounding rockets, we are concerned with high altitude and not long range.

Manufacture of Missiles

2087. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government propose to make missiles besides rockets; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

रोडेशिया में एक भारतीय स्कूल अध्यापक की गिरफ्तारी

2088. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रोडेशिया में एक भारतीय स्कूल अध्यापक की, जो एक अंग्रेज महिला का पति है, विक्टोरिया फाल्ज सीमा चौकी पर रहस्यमय ढंग से हुई गिरफ्तारी की जानकारी है;

(ख) क्या उस भारतीय को 2 जनवरी, 1968 से सम्पर्क वर्जित व्यक्ति के रूप में घोषित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भारतीय और उसकी पत्नी लिविंगस्टोन के दक्षिणी जम्बियाई नगर से, जहाँ वे रहते थे उसी दिन सीमा पार करके आये थे; और

(घ) क्या सरकार ने उसे रिहा कराने के लिये रोडेशिया के प्राधिकारियों से इस मामले में बातचीत की है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) सरकार ने, रोडेशिया की गैर-कानूनी सरकार द्वारा श्री देसमोन्द फ्रांसिस के गिरफ्तार किए जाने की खबरें अखबारों में देखी हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीकी एशियाई हैं और जंबिया के एक स्कूल में अध्यापक हैं।

(ख) और (ग): बताया जाता है कि इस दक्षिण अफ्रीकी एशियाई और ब्रिटेन में उसकी पत्नी को सीमा पार करते समय रोडेशियाई सीमा अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। पत्नी को तो जंबिया वापस भेज दिया गया है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्री फ्रांसिस को दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया है।

(घ) इस मामले में भारत सरकार के बीच में पड़ने का सवाल नहीं उठा क्योंकि न तो उसकी तरफ से भारत सरकार के पास कोई पहुँच की गई थी, स्पष्टतः क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रिक नहीं हैं, और न ही रोडेशिया की गैर-सरकारी शासन से भारत सरकार का कोई संबंध है।

Station Canteens

2089. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to run the Station Canteens on contract basis instead of running them departmentally at a low profit of 4 percent;

(b) if so, how the assets of Canteens would be disposed of;

(c) what guarantee has been taken from the contractors that they would sell the goods at low profit;

(d) whether it is a fact that the annual sales in the said Canteens have reached upto Rs. 16 crores; and

(e) if so, the reasons for running the Canteens on contract basis ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

(d) The business in the CSD (I) Station Canteens amounted to Rs. 2.35 crores and Rs. 2.70 crores during the year 1965-66 and 1966-67, respectively.

(e) No Station Canteens are run on contract basis.

Military Vehicles

2090. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the engine and costly spare parts for military vehicles are imported and only the body and some other minor item are manufactured in the country;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(e) the time likely to be taken in starting the manufacture of the trucks and jeeps within the country ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) to (c) : Three types of vehicles, namely, Shaktiman, Nissan 1-ton trucks and Nissan Patrols are at present being manufactured at Ordnace Factories, utilising their spare capacity; a few components are imported. No engine as such is being imported but in the absence of indigenous manufacturing facilities some major and some minor components, like Steering Gear, Crankshaft, Ball Bearings etc. are being imported. At present the indigenous content is approximately 72% of the cost of Shaktiman trucks, 45% of the cost of Nissan 1- ton trucks and 33% of the cost of Nissan Patrols.

The imported items are being progressively replaced by those of indigenous manufacture, and it is planned to increase its indigenous content to over 90% some time after the establishment of the self-contained vehicle production unit at Jabalpur. This factory is expected to be commissioned in 1970.

Terminal Ballistics Research Station

2091. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of experiments which can be performed per day by the Terminal Ballistics Research Station in Chandigarh and the average number of experiments per day actually being performed since the beginning of this year to-date;

(b) the reasons for the actual number being much less than its capacity;

(c) whether it is a fact that the said research station is the best and well-equipped as compared to all other stations in the country for performing internal, external and terminal experiments; and

(d) if so, the reasons for not first conducting such experiments there ?

The Minister of State (Defence Producton) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra):

(a) and (b): In progressing a project the Terminal Ballistics Research Laboratory has to carry out a series of firings most of which have to be recorded by high speed cameras. The number of such firings is limited by the time required for setting up the experiments and the instruments. Arranging for safety precautions preliminary to a firing is also time consuming. As the costly and sophisticated instruments have been commissioned only recently and the staff is not yet fully trained in the use of this equipment, it is not easy at this stage to lay down a yardstickas to how many experiments T. B.R.L. can conduct per day. After about a year, it should be possible to do this.

(c) and (d): The Terminal Ballistics Research Laboratory has been set up only for work on terminal ballistics and for that it is the best equipped laboratory in the country. All Defence Research on Terminal Ballistics is concentrated in this institution.

गणतंत्र दिवस समारोह (1968) पर व्यय

2092. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री रवि राय :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री हेमराज :
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर कुल कितना धन व्यय हुआ;

(ख) पिछले वर्ष कितना धन व्यय हुआ था;

(ग) क्या भवनों पर रोशनी की व्यवस्था प्रतिरक्षा विभाग द्वारा की गई थी या संबंधित विभागों द्वारा; और

(घ) दिल्ली में इस रोशनी पर कुल कितना धन व्यय हुआ है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित हिसाब-किताब अभी सम्पूर्ण नहीं हो पाया। हिसाब-किताब सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात् इस वर्ष दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस समारोह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया खर्च दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 1967 पर किया गया खर्च लगभग 924000.00 रुपए था।

(ग) कुछ भवनों में सी० पी० डब्ल्यू० डी० के प्रबन्ध में रोशनी की गई थी और अन्यों में, संगठनों द्वारा अपने-अपने प्रबन्ध में।

(घ) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी.

रेडियो ट्रांजिस्टर

2093. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने ट्रांजिस्टर रेडियो सेट की उत्पादन लागत 18 प्रतिशत कम करने के लिये कोई तरीके निकाले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो लोकप्रिय किस्म के ट्रांजिस्टर सेटों की उत्पादन-क्षमता क्या होगी और क्या इस क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है और यदि नहीं, तो बेकार क्षमता कितनी है; और

(घ) आगामी वर्ष में और कितनी अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) और (ख) : भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० ट्रांजिस्टरों और डायोड्ज का उत्पादन करते हैं, जो ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों के निर्माण में आवश्यक महत्वपूर्ण संघटक हैं। उन्होंने 1-1-1968 से इन संघटकों का मूल्य 18 प्रतिशत घटा दिया है। इस समय एक बैंड के विभिन्न मेकों के सस्ते रेडियो सेटों की कीमत 75 रुपए से 125 रुपए तक विभिन्न है। रेडियो निर्माताओं ने ऐसा आश्वासन दिया है कि बी० ई० एल० द्वारा ट्रांजिस्टरों और डायोड्ज की कीमत में कमी का लाभ, जो लगभग 3 से 4 रुपए प्रति ट्रांजिस्टर सेट बनती है, उपभोक्ता को पहुँचेगा।

(ग) और (घ) : 1967 के दौरान देश में सभी किस्म के रेडियो के उत्पादन की क्षमता 16 लाख की संख्या के स्तर की थी, और उसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया था। इसे 1968 में 20 लाख तक बढ़ाने की आयोजना है। जहाँ तक सस्ते रेडियो सेटों का संबंध है, इसके लिए अलग कोई फालतू क्षमता विद्यमान नहीं है, और उसके वर्तमान उत्पादन के आँकड़े सहज प्राप्य

नहीं हैं। सितम्बर 1966 से लेकर संगठित क्षेत्रों के पक्ष में जारी किए गए सभी लाइसेंसों के लिए यह शर्त विद्यमान है कि नई क्षमता का 75 प्रतिशत सस्ते रेडियो सेटों के निर्माण के लिये इस्तेमाल किया जाएगा।

विदेशों के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम

2094. **श्री वेणीशंकर शर्मा : श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के लिए आकाशवाणी के हमारे केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले समाचार तथा समीक्षायें इस प्रकार के तथा इस स्तर के हैं जिनसे यह आशा की जा सकती है कि उनका विदेशी श्रोताओं पर उचित प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या विदेशी श्रोताओं से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें विदेशी श्रोताओं ने भारतीय प्रसारण की सराहना अथवा निन्दा की है; और

(ग) भारतीय प्रसारण को तदनुसार सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

R (क) : जी, हाँ।

r (ख) : जी, हाँ, काफी संख्या में।

(ग) : विदेशों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है! हमारे अपने अनुभव तथा श्रोताओं और हमारे विदेशी दूतावासों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उनके स्तर में सुधार करने के लिये समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों से पाकिस्तान द्वारा लोगों को हटा लिया जाना

2095. **श्री वेणीशंकर शर्मा : श्री श्रीगोपाल साबू :**

श्री ब्रह्मानन्द जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने सीमा से दस मील अन्दर तक रहने वाले लोगों को वहाँ से हटा कर देश के भीतरी भागों में बसा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान का तात्कालिक उद्देश्य क्या है तथा क्या इससे भारत की सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Programme for Abolition of Untouchability

2096. **Shri Lakhan Lal Kapoor**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the activities undertaken by his Ministry in regard to the propagation of the abolition of untouchability; and

(b) the amount spent on this item during the last five years ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) Campaign against untouchability is an important plank in Govt. information and publicity programmes. This fundamental directive enshrined in the constitution, is emphasised by all media units of this Ministry namely, Radio, Field Publicity, Films etc. Besides, press releases, posters, pamphlets, exhibitions, group discussions, publications and documentary films give support to the information programme. Some of the specific instances are publications like 'All are Equal in the Eyes of God'; 'Harijans Today'; 'Welfare of Backward Classes' and 'Fair Deal for Backward Classes' in various languages. The Films Division have produced and released documentary films entitled 'Children of God ; 'Andhere Se Ujale Me'; 'Raidas'; 'Brahmin' 'Bargad Ki Aap Beeti' and 'Sankararukku Oru Sodhanai'. Items regarding eradication of untouchabilty have also been covered and included in the Indian News Reviews from time to time.

(b) No separate account of expenditure is maintained in respect of various campaigns undertaken by this Ministry and as such it is not possible to compute the amount spent during the last five years on this item. However an amount of Rs. 57,700 has been spent on the production of films during the last five years.

केन्द्रीय प्रसारण में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

2097. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय प्रसारणों में हिन्दी के प्रयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): फीचरों और नाटकों का राष्ट्रीय कार्यक्रम हिन्दी में नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है। जहाँ भी सम्भव हो ख्याति प्राप्त व्यक्ति विशेष अवसरों पर हिन्दी में भी प्रसारण करते हैं। सामयिक कार्यक्रम जैसे 'समाचार दर्शन' और "सामयिकी" में नियमित रूप से, घटनाओं पर हिन्दी में वर्णनात्मक विवरण और टिप्पणी प्रसारित की जाती है। गणतन्त्र दिवस को परेड जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का आँखों देखा हाल भी हिन्दी में प्रसारित किया जाता है। इन कार्यों के लिये अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी उत्तरोत्तर प्रयोग का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

भारतीय स्तम्भ संख्या 782 की स्थिति के बारे में विवाद

2098. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारतीय स्तम्भ संख्या 782 की जो हल्द्वाबारी और दाहाग्राम के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के रेखांकन से संबद्ध है, स्थिति के बारे में विवाद खड़ा किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भाषा राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में एक विदेशी द्वारा भाग लिया जाना

2099. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी ने, जिसे अमरीकी नागरिक बताया जाता है, नागा राष्ट्रीय परिषद् की हाल में हुई बैठक में भाग लिया था ;

(ख) क्या वह विदेशी आसाम में किसी स्थान पर ठहरा हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) राज्य सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि जनवरी 1968 में जोत-सोना में छिपे नागाओं की बैठक में किसी विदेशी की उपस्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

कम्बोडिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

2100. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा लगाये गए इस आरोप के सम्बन्ध में कि वियतकांगों ने कम्बोडिया के राज्यक्षेत्र में शिविर स्थापित कर लिये हैं, कम्बोडिया संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने कोई जाँच-पड़ताल की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) : कम्बोडिया-स्थित अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण कमीशन ने कम्बोडिया की शाही सरकार के अनुरोध पर इस तरह के कुछ मामलों की पड़ताल की है। अब तक जिन मामलों की पड़ताल की गई है, उसके परिणामस्वरूप कमीशन को इन आरोपों को सिद्ध करने के सबूत नहीं मिले हैं।

Railway Line Connecting Pakistan with Iran and Turkey

2101. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistani engineers have conducted a survey for the construction of the Railway line upto Iran and Turkey;

(b) if so, the names of places through which this Railway line will pass and whether it would pass through the Indian Territory as well; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, Government's reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) As partners in 'Regional Cooperation' for Development Pakistani engineers are collaborating with Iranian engineers in conducting a survey for the construction of a railway to connect West Pakistan with Iran and Turkey.

(b) According to our information, the Railaway line will not pass through Indian territory.

(c) Does not arise.

Scholarships for Children of Jawans Killed in Action

2102. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the scholarships given to the children of Jawans killed during the Chinese aggression in 1962 have since been stopped;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the categories of students awarded scholarships by different Departments, Department-wise and amounts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna):

(a) to (c): A statement containing the details regarding scholarships admissible for the children of service personnel killed during the Chinese aggressionin 1962 is attached. **[Placed in Library See. No. L.T. 251/68]** The scholarships admissible under the orders of the Central Government have not been stopped. As regards those admissible under orders of State Governments and Administrations, the position is being ascertained from them and the information will be laid on the Table of the House in due course.

I.A.F. Hindon Airport, Ghaziabad

2103. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to State:

(a) the number of civilian employees posted in Hindon Airport, Ghaziabad since its inception, on transfer from other departments.

(b) whether it is a fact that their service records have not been received so far on account of which full salary is not being paid to them;

(c) whether it is also a fact that leave as admissible is also not granted to them on account of it; and

(d) if so, the action taken by Government to remove the difficulties of the employees ?

The Deputy Minister, in the Ministry, of Defence, (Shri M. R. Krishna):

(a) Ninety.

(b) Service records in respect of 10 employees have not yet been received. Pending receipt of the records, they are being paid at the minimum of the scale applicable to them, along with normal allowances.

(c) No. Earned leave is being granted to these personnel provisionally, subject to revision on receipt of the service records.

(d) All possible efforts ate being made by the local authorities to procure the service records in respect of the 10 civilian emplopees.

Expenditure on Drama Division

2104. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the amount spent on the Songs and Drama Division under his Ministry during the last five years; and

(b) whether it is commensurated with the results achieved ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) Yearwise expenditure during the past five years is as under:—

(i)	1962-63	7,51,487
(ii)	1963-64	8,03,419
(iii)	1964-65	9,30,267
(iv)	1965-66	12,35,599
(v)	1966-67	15,24,700

(b) Yes, Sir.

The Song and Drama Division has been an effective media of mass communication and well fulfilled its triple role of information, instruction and entertainment.

Relay of All India Radio Programme in Braj Bhasha from Delhi Station

2105. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the duration of the programme relayed in Braj Bahsha from the Delhi Station of the All India Radio is being extended; and

(b) if so, the duration of time by which it is being extended ?

The Minister of Information and Broacasting (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Documentary Films Produced by Films Division.

2106. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Information and Broadcating** be pleased to state:

(a) the number of documentary films produced by the Films Division during 1967;

(b) the number of Hindi films out of them; and

(c) the number of Hindi films displayed in foreign countries ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) 89.

(b) Five of these were produced with Hindi as the basic version and 57 have been or are being dubbed in Hindi.

(c) Hindi prints of 89 documentary films were supplied by the Films Division to the Indian Missions in foreign countries during 1967. Besides, Hindi prints of three documentary films were sold for non-commercial exhibition abroad.

Employees of Central Information Service

2107. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the total number of employees in each grade in the Central Information Service; and

(b) the number of employees belonging to the Scheduled Castes and Schduled Tribes amongst them ?,

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) and (b): A statement is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in Library See. No. L.T. 252/68**]

उड़ीसा में सैनिक स्कूल

2108. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सैनिक स्कूल के प्रशासन में सुधार करने के लिये कोई ठोस उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख): हाल ही की जांच के परिणामस्वरूप कुछ सीनियर नियुक्तियों में तब्दीलियाँ करने, स्कूल के सुपरविज़न और नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये प्रशासन के स्थानीय बोर्ड को शक्तिशाली बनाने के लिये और प्रशासन का स्तर व्यापकतौर पर ऊँचा करने के लिये उपाय किए जा रहे हैं।

पिछड़े क्षेत्र

2109. **श्री दामानी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे आर्थिक और सामाजिक विकास के विशिष्ट संकेतकों के आधार पर उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करें। 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 के उत्तर की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। देश में पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी में विदेशी राष्ट्रीयता वाले कर्मचारियों के लिये होस्टल

2110. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा विदेशीय राष्ट्रीयता वाले कर्मचारियों से होस्टल में रहने के लिये जो किराया लिया जाता है वह इतना कम होता है कि उससे साधारण व्यय भी पूरा नहीं होता;

(ख) क्या यह भी सच है कि लेखापरीक्षकों ने यह आपत्ति की थी कि किराये की दर अलाभप्रद है परन्तु इस बारे में 1965 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी और इस प्रकार हुए एक लाख छः हजार रुपए की हानि के बारे में अब फिर आपत्ति की गई है;

(ग) यदि हां, तो इतने समय तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बारे में अब कोई कार्यवाही की गई है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) : आकाशवाणी होस्टल के लिये सितम्बर, 1966 से पूर्व जो किराये की दरें ली जाती था वह अलाभप्रद थीं। सितम्बर, 1966 में दरों में इस प्रकार संशोधन कर दिया गया कि जरा भी हानि न हो।

(ख) से (घ) : यह सच है कि लेखापरीक्षकों ने 1959 में आकाशवाणी होस्टल की अलाभप्रद दरों के बारे में आपत्ति की थी। तब से सम्बन्धित विभिन्न विभागों से विचार-विमर्श के साथ इन दरों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन था। 1965 में लेखापरीक्षकों ने फिर इन अलाभप्रद दरों और 1957-58 से 1963-64 के बीच होने वाला लगभग 1,06 लाख रुपए की हानि की ओर ध्यान आकर्षित किया परन्तु हानि को बिल्कुल दूर करने के लिये दरों में अस्थायी

रूप से संशोधन करने के आदेश सितम्बर, 1966 में जारी किए गए। अन्य सरकारी निवास के लिये जो फारमूला लागू है उसी के आधार पर शीघ्र ही इन दरों में और संशोधन करने का प्रस्ताव है।

प्रतिरक्षा अनुसन्धान संगठन

2111. **डा० रानेन सेन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा अनुसंधान संगठन में सुधार करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है :—

(ग) 1966 और 1967 के लिये प्रतिरक्षा अनुसंधान के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई थी; और

(घ) इसमें से वस्तुतः कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ङ) क्या सरकार ने गत पाँच वर्षों में प्रतिरक्षा अनुसंधान सगठन द्वारा किए गए कार्य का पुनर्विलोकन किया है और

(च) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) से (च) : एक विवरण संलगन है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 253/68)

Hillmen Evacuated from Burma

2112. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports wherein was stated that some groups of hillmen evacuated from Burma have entered Tengnopal and other areas in Manipur;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether this matter has been taken up with the Government of Burma ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Government are aware of press reports on this and have also reeeived a report from the Chief Commissioner, Manipur.

(c) Yes, Sir.

भारतीय वायु सेना के बेकार विमान

2113. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना में ऐसे कितने विमान हैं जो फालतू पुर्जे न मिलने के कारण इस समय बेकार पड़े हैं; और

(ख) भारतीय वायु सेना को शीघ्र फालतू पुर्जे देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) वायुसेना को समय पर फालतू पुर्जे प्राप्य करने के लिये प्राप्तियों की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए उपाय किए गए हैं।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2114. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये क्वाटर बनाये जाने चाहिये और यदि हाँ, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) ऐसे किन-किन नगरों में जहाँ आकाशवाणी केन्द्र हैं आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिये अब तक क्वाटर बनाये गए हैं तथा प्रत्येक ऐसे नगर में अब तक कितने-कितने क्वाटर बनाय गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)

(क) : जी, हाँ। इस प्रकार के अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और उनमें दिए गए सुझावों का, कर्मचारियों के लिए क्वाटर बनाने के लिये व्यवस्था करते समय, ध्यान रखा जाता है।

(ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 254/68)**

सैनिक समाचार के मुख्य सम्पादक

2116. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री मंगला थुमाडोम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) "सैनिक समाचार" के मुख्य सम्पादक के पद के लिये क्या अर्हताएं निर्धारित की गई है;

(ख) क्या वर्तमान पदधारी की जो इस पद पर दो वर्ष की अवधि में तीसरी नियुक्ति है, ये सभी अर्हताएँ हैं;

(ग) इस पद पर वर्तमान पदधारी के चयन क लिय क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी;

(घ) क्या सैनिक समाचार के मुख्य सम्पादक की नियुक्ति का मामला संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ङ) : सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए सैनिक समाचार के मुख्य संपादक का अस्थायी पद सेवा के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के अफसर या इसके समतुल्य पद के अफसर या लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा धार्य है। तदपि, इस पद को, वर्तमान समय में धारण करने वाला एक सेवा अफसर

है। आरम्भिक तौर पर उसे सैनिक समाचार से अटचमेंट के लिए (जो नियुक्ति से भिन्न है) 27-3-1967 से उसकी अर्हताओं और पृष्ठभूमि को समक्ष रखते हुए चुना गया था। चूंकि अटचमेंट के दौरान उसका कृत्य संतोषजनक पाया गया था 21-8-67 से मुख्य सम्पादक नियुक्त कर दिया गया था। जब इस प्रकार की नियुक्ति पूर्ण की जाती है, यू० पी० एस० सी० को पूछना आवश्यक नहीं होता।

इस स्थान के लिए असैनिक पदस्थ के लिए अर्हताएँ निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

आयुध कारखानों में मिस्त्रियों के वेतनमान

2117. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा सी० टी० आई० से प्रशिक्षण लेने वाले मिस्त्रियों को आयुध कारखानों में अर्द्धप्रवीण मिस्त्रियों का वेतनमान दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वायु सेना में उन्हें प्रवीण-मिस्त्रियों के वेतनमान दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ तो इस भेदभाव के कारण क्या हैं; और

(घ) इसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) भिन्न व्यवसायों में औद्योगिक प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट और सी० सी० आई० में 18 मास के पाठ्यक्रम के पश्चात् अर्हता-प्राप्त कारीगर आवश्यकता पड़ने पर 6 मास के लिए इन-प्लांट प्रशिक्षण पर लगाए जाते हैं और आयुध कारखानों में अर्धकुशल ग्रेडों में खपा लिए जाते हैं।

(ख) वायु सेना में नियुक्ति स्थान "कुशल" अथवा "अर्धकुशल" तौर पर वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। विभिन्न व्यवसायों के लिए वेतनमान निर्धारित किए गए हैं और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवार, चाहे वह औद्योगिक प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट से अर्हता प्राप्त किए हों, या सी० टी० आई से सेवा की आवश्यकता के अनुसार भर्ती किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

आयुध कारखाने में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

2118. **श्री स० मो०बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के 30 प्रतिशत कर्मचारियों को भी क्वार्टर नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1967 में क्वार्टरों के निर्माण के लिए कितना धन मंजूर किया गया था ; और

(ग) 1968 में कितने क्वार्टर बनाये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) जी हाँ।

(ख) 1967 की स्वीकृतियों का मूल्य था 392.12 लाख रुपये इसमें शामिल हैं चाण्डा, तिरूचिरापल्ली और वरगाँव में स्थापना अधीन नए कारखानों के लिए भवनों की स्वीकृतिएँ।

(ग) आशा है कि 1968 में लगभग 2600 भवन सम्पूर्ण हो जाएँगे। इन आँकड़ों में वह भवन भी शामिल हैं, जो चाण्डा बरगाँव और तिरूचिरापल्ली में सम्पूर्ण होने प्रत्याशित हैं।

टेलिविजन तथा रेडियो संचार के लिये उपग्रह की सुविधाएं

2119. **श्री सेझियान :** **श्री अंबचेजियान :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'यूनेस्को तथा अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार यूनियन के विशेषज्ञों से कोई ऐसी सिफारिश प्राप्त हुई है कि टेलीविजन तथा रेडियो संचार के लिए उपग्रह की सुविधाएँ प्रयोग में लाई जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, नहीं। यूनेस्को के उस मिशन की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जो इस देश में उपग्रह प्रायोजना की सम्भावना पर विचार करने आया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय दूतावासों का खर्च

2120. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित हमारे दुतावासों तथा उनके कर्मचारियों आदि पर सरकार का वर्ष 1967-68 में कितना धन व्यय हुआ।

(ख) क्या हमारी विदेश नीतियों का स्पष्टीकरण करने तथा अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध दृढ़ करने के लिए उन देशों में हमारे दूतावासों द्वारा कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) 1967-68 के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रशासकीय और बजट सम्बन्धी नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले राजदूतावासों और सिब्बंदियों पर 1016.09 लाख रुपए का खर्च होने की आशा है।

(ख) जी हाँ। अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे विभिन्न देशों में स्थित हमारे मिशन साप्ताहिक पत्रिकाएं निकालते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राकेट छोड़ने के दूसरे केन्द्र की स्थापना

2121. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राकेट छोड़ने वाला दूसरा केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे केन्द्र के कब तक पुनः स्थापित हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिए किसी स्थान का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो किस स्थान का चयन किया गया है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस केन्द्र पर कितना धन व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) यह बता सकना अभी सम्भव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) खर्च का अनुमान अभी नही लगाया गया है ।

सैनिक समाचार

2122. **श्री मंगलाघुमाडोम** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1966, 1 जनवरी 1967 और 1 जनवरी 1968 को विभिन्न भाषाओं में सैनिक समाचार साप्ताहिक की बिक्री कितनी-कितनी थी ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में किसी भाषा के संस्करण की बिक्री कम हुई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) सभी भाषाओं में सैनिक समाचार की कुल खपत के आँकड़े इस प्रकार थे :—

1 जनवरी 1966	26219
1 जनवरी 1967	26494
1 जनवरी 1968	23002

(ख) जी हाँ ।

(ग) सार्थक गुणरूप को होने के कारण, कमी की जाँच करना नयाय्य न होगा ।

छिपे हुए नागाओं की संघीय सरकार

2123. **श्री हेम बरुआ** :क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं की तथाकथित संघीय सरकार में जिसके साथ सरकार इस समय नागालैण्ड समस्या के राजनैतिक हल के लिये बातचीत कर रही है हाल ही में छिन्न-भिन्न हो रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विघटन के बारे में क्या विचार है और इस अशान्त क्षेत्र में शान्ति कायम करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) और (ख) : छिपे नागाओं के विभिन्न वर्गों में कुछ मतभेद और दलगत दुश्मनी की खबर मिली है। लेकिन, उनकी आन्तरिक समस्याओं से उस नीति पर कोई असर नहीं पड़ता जिस पर कि भारत सरकार भारत संघ के ढांचे में इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए चल रही है। नागालैण्ड में शांति का सुनिश्चय करने के लिए और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

फ्रांस के विदेश कार्यालय के महासचिव के साथ बातचीत

2124. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री वेदव्रत बरुआ : श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जनवरी, 1968 को फ्रांस के विदेश कार्यालय के महासचिव ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति पर विचार किया ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) जी हाँ। बातचीत सामान्य रूप से की गई थी और उसमें पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति पर चर्चा भी शामिल थी।

(ख) इस विचार-विमर्श का परिणाम यह रहा कि दोनों पक्षों ने विश्व की बदलती हुई स्थिति पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझा। इस बातचीत से यह पता चला कि बहुत-से वर्तमान मसलों पर दोनों के विचार निकट और समान थे।

आकाशवाणी में टेलीफोन केन्द्र

2125. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं ;

(ख) आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र में टेलीफोन एक्सचेंजों में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(ग) क्या उनके कर्त्तव्य तथा काम के घंटे निर्धारित किए हुए हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनका निर्धारण करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) 22।

(ख) यह संख्या विभिन्न कार्यालयों में अलग-अलग है जो वहाँ के टेलीफोन एक्सचेंजों के काम करने के घंटों पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी एकत्र की जा रही

है और सदन की मेज पर रख दी जायगी। प्रत्येक केन्द्र / कार्यालय में कर्मचारियों की कम से कम संख्या एक और अधिक से अधिक संख्या दस है जो महानिदेशालय के साथ लगे दो टेलीफोन एक्सचेंजों में है।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। कर्मचारी प्राय 7 से 8 घंटों की शिफ्टों में काम करता है जिसमें लंच के लिए आधे घंट की छुट्टी भी होती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के टेलीफोन केन्द्रों के कर्मचारी

2126. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के टेलीफोन केन्द्रों में चौबीस घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को वे सुविधायें और वेतनमान नहीं मिलते हैं जो डाक तार विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को दिये जाते हैं ;

(ख) आकाशवाणी में टेलीफोन आपरेटरों के पदोन्नति के अवसर क्या हैं ;

(ग) टेलीफोन आपरेटरों को समयोपरि भत्ते के कुल कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) ब्राडकास्टिंग हाउस में महानिदेशालय के साथ केवल एक ही टेलीफोन केन्द्र लगा है जो चौबीस घंटे काम करता है। अन्य टेलीफोन एक्सचेंज जो केन्द्रों के कार्यालयों में है, सीमित समय के लिए चलते हैं। यह सत्य है कि इस टेलीफोन केन्द्रों के कर्मचारियों को वही सुविधायें और वेतन मान प्राप्त नहीं है जो डाक तार विभाग में उसी पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

(ख) महानिदेशालय कार्यालय में काम करने वाले टेलीफोन आपरेटर/मानिटर जिसका वेतनमान 210-10-290-15-320 रुपये हैं, पद के लिए पदोन्नति के योग्य हैं। आकाशवाणी के विभिन्न कार्यालयों/केन्द्रों के टेलीफोन केन्द्रों, जो चौबीस घंटे काम नहीं करते, मे काम करने वाले टेलीफोन आपरेटरों को पदोन्नति का कोई चैनल नहीं है।

(ग) और (घ) : फिलहाल टेलीफोन आपरेटर समयोपरि भत्ते के हकदार नहीं हैं।

सैनिक अधिकारियों के लिये सरकारी मकान

2127. **श्री प्र० के० देव :** **श्री मुहम्मद इमाम :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी का नई दिल्ली में तबादला हो जाता है तो उसे सरकारी मकान लेने के लिए लगभग कितना समय लग जाता है ;

(ख) क्या सरकारी मकान दिये जाने में अत्यधिक देरी होने के बारे में कई शिकायतें आई हैं ; और

(ग) क्या इसके लिए कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है कि उन्हें शीघ्र मकान मिलें ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) सेवाओं के किसी अफसर की नई दिल्ली में नियुक्ति और उसे विवाहितों के लिए वास्य भवन अलाट किये जाने में औसतन लगभग समयावधि इस प्रकार है :

मेजर जनरल (और इसके समतुल्य) तथा इससे ऊपर——	एक मास से कम
कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर (और इनके समतुल्य)	10 मास
लेफ्टिनेंट और सेकेंड लेफ्टिनेंट	एक मास से कम

तदपि विवाहितों के लिए वास्य भवन अलाट किए जाने तक ऐसे अफसरों को अकेलों के लिए वास्य भवन और संबंधित सेवाएं, उनके दिल्ली में पहुंचने के पश्चात् शीघ्र ही प्राप्य की जाती हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) शीघ्रातिशीघ्र वास्य भवन अलाट किये जाने के उद्देश्य से निम्न उपाय किए गये हैं :

(1) रहाईश के लिए सरकारी भवनों के पूल की वृद्धि के लिए 225 निजी भवनों को किराये पर लेने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(2) 50 अतिरिक्त निजी मकानों को किराए पर लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(3) सेवाओं के सीनियर अफसरों को अलाट करने के लिए विवाहितों के लिए 150 भवनों का निर्माण किया जा रहा है ; निर्माण 30-6-69 तक सम्पूर्ण किये जाने की आशा है ;

(4) अकेले अफसरों के लिए एक आफिसर मेस और 80 भवनों के निर्माण की एक प्रायोजना स्वीकृत की गई है ;

(5) अस्थायी उपाय के लिए, संक्रियात्मक क्षेत्रों में नियुक्त सेवाओं के अफसरों के विमुक्त कुटुम्बों के लिए दिल्ली, नई दिल्ली में किराए पर लिये गये 23 मकान, सशस्त्र सेवाओं के मुख्यालयों में नियुक्त सेवाओं के अफसरों को अलाट किए जाने के लिए प्राप्य कर दिए गए हैं ;

(6) उन अफसरों को जिनके दिल्ली और नई दिल्ली में अपने मकान हैं, अपने मकानों में रहने और किराया भत्ता वसूल करने की अनुमति दी गई है।

प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेबिलशमेंट बालासोर

2128. **श्री स० कुन्दू** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालासोर में प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नैमित्तिक श्रमिकों को रखना भी बन्द कर दिया गया है और यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया गया, और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या समयोपरि कार्य, पुनः शुरू करने तथा कर्मचारियों के समयोपरि बिलों का भुगतान करने तथा इस संस्थान में नैमित्तिक श्रमिकों को पुनः नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :

(क) से (घ) : चूंकि कार्यभार को देखते ओवरटाइम नियमित रूप से न्याय्य नहीं, 1 जनवरी 1968 से ओवरटाइम बन्द कर दिया गया है। जब साधारण कार्यविधि के पश्चात् काम करना आवश्यक होता है, कार्मिकों को आवश्यक संख्या ओवरटाइम पर काम में लगाई जाती है, और उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार ओवरटाइम प्रदान किया जाता है। सामयिक श्रमिकों को केवल अल्पकाल की विशिष्ट अवधियों के लिए काम पर लगाया जाता है न कि नियमित रूप से। अब भी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काम पर लगाया जाता है, और इस पर काम पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या कार्यभार पर निर्भर होती है।

उप-ग्रह संचार के भू-केन्द्र

2129. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर, डेकरा तथा अहमदाबाद के उपग्रह-संचार भू-केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसे केन्द्र और भी खोले जायेंगे ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह कार्य उसी संगठन को सौंपा जायेगा, जिसके नियंत्रण में विद्यमान केन्द्र काम करते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भाप बनाने वाले भारी पानी के रिएक्टर

2130. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप बनाने वाले भारी पानी के रिएक्टर सर्वाधिक उन्नत किस्म के हैं ;

(ख) क्या उनके ईंधन को चालू अथवा बन्द अवस्था में कम शक्ति के युरेनियम डाइ-आक्साइड द्वारा भी बदला जा सकता है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त किस्म के रिएक्टर इस देश में भी ग्रहण किये जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) ये रिएक्टर सर्वाधिक उन्नत किस्म के रिएक्टरों में हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) ऐसा करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(घ) इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है।

Disregard of Hindi Writers in A. I. R.

2131. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the article entitled "Yeh Delhi Radio Hai—Jahan Hindi Siskiyan Bharati Hai" which appeared in the "Navbharat Times" of the 10th February, 1968; and

(b) if so, Governement's reaction thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) and (b): Yes, Sir. The article seems to refer to the recording of a discussion of 'Bhasha ka Prayog' on 27.1.68. The studio in which the recording was to take place got engaged for work of an emergent nature at short notice, and the participants had to be taken to another studio resulting in a delay of 5 to 7 minutes. There was some inconvenience to the participants but this was unavoidable. However, there is no discrimination against Hindi as alleged in the article.

Indian Consulate in South Korea

2132. **Shri Ramavatar Shsatri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to sate:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister recently had a talk with the Commerce Minister of South Korea in connection with the expansion of trade between the two countries;

(b) whether it is also a fact that Government are contemplating to set up its consulate there; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) The Commerce minister of South Korea, Mr. Chung Yum Kim, who visited Delhi to attend UNCATD II, made a courtesy call on our Prime Minister. During this call expansion of trade between India and South Korea was briefly discussed.

(b) and (c): Government had decided to open concular missions in the capitals of North and South Korea respectively. However, the decision has remained unimplemented on account of financial stringency. It is now proposed to implement the decision in the near future.

Consulate in Cuba

2133. **Shri Ramautar Shastri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to expand India's trade with Cuba and to set up its Consulate there ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) and (b) : Government are always desirous of expanding India's trade with all countries, including Cuba. The Indian Embassy has been in existence in Havana since 1962.

Flag Hoisting Ceremony in Military Farm, Pimpri

2134. **Shri S. M. Joshi:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whethere it is a fact that the National Flag hoisting ceremoney was performed on the 26th January, 1968 by D. D. M. F. Headqaurters, S. C. Kirkee in Military Farm, Pimpri ;

(b) whether it its also a fact that the flag hoisting ceremony, which was scheduled to be performed at 8.30 A. M, was performed at 10.30 A. M. ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that Class III or Class IV employees were not invited to attend the ceremony ; and

(e) whether it is also a fact that a sum of Rs. 450 from the Welfare Fund was spent for the purpose of distributing sweets on this occasion and if so, whether O. I. C., M. F., Pimpri had obtained the prior sanction of the Works Committee for incurring this expenditure ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) The ceremony originally scheduled to be held at 0830 hrs. was performed at 0933 hrs.

(c) The D. D. M. F., H. Q. Southern Command, had to attend a similar ceremony earlier at Military Farm, Kirkee. The Officer Incharge, Military Farm, Pimpri, was informed a day earlier about the possibility of delay in the arrival of D. D. M. F. to attend the ceremony at Pimpri and also at 0900 hrs. on 26-1-1968 on the telephone.

(d) No, Sir. All the Class III and Class IV staff were invited and many of them were present along with their families.

(e) Against the original approval of the Works Committee for spending a sum of Rs. 350/- from Welfare fund, the actual expenditure was Rs. 492.37 as a large number of persons were present. The committee has accorded **ex.post-facto** approval to the excess amount.

बर्मा में भारतीयों की आस्तियों को छुड़ाना

2135. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार द्वारा बर्मा में कुछ वर्ष पहले व्यापार का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद जब्त की गई भारतीयों की आस्तियों को छुड़ाने में और कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : विदेश मंत्रालय के सचिव जब जनवरी 1968 में रंगून की यात्रा पर गये थे, तब बर्मी अधिकारियों के साथ इस मामले पर आगे बातचीत हुई थी। रंगून-स्थित हमारा राजदूत इस बातचीत की रोशनी में मामले पर लिखा-पढ़ी कर रहा है।

भारत-बर्मा सीमा आयोग

2136. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बर्मा की सीमा निर्धारित करने के लिए हाल में गठित आयोग ने, जिसमें भारत और बर्मा के प्रतिनिधि हैं, अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो आयोग द्वारा अब तक किए गए कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और यह आयोग अपना कार्य कब तक पूरा कर लेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) : 10 मार्च 1968 के भारत-बर्मा सीमा करार में निहित सम्मिलित सीमा कमीशन की स्थापना के प्रश्न पर बर्मा के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। पहली मीटिंग मार्च के अन्त में या अप्रैल 1968 के आरंभ में होने की संभावना है।

हिन्दी साप्ताहिक के सम्पादकीय बोर्ड में मंत्री

2137. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली हिन्दी साप्ताहिक 'मुक्तधारा' की ओर दिलाया गया है जिसके संपादकीय बोर्ड में एक मंत्री का नाम दिखाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को नियमों के अन्तर्गत समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्डों में नाम देने की अनुमति दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) शायद माननीय सदस्य "मुक्तधारा" के २७ जनवरी के अंक का हवाला दे रहे हैं। राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) श्री ललित नारायण मिश्र का नाम उस अंक में छपे एक लेख के रूप में दिखाया गया है। श्री मिश्र का कहना है कि वे सम्पादकीय मंडल में नहीं हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

वैमानिक क्षेत्र में उल्कापिंडों (मैटियोरिक) की वृद्धि के बारे में जांच समिति

2138. **श्री देव अमात :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैमानिक क्षेत्र में उल्का पिंडों की वृद्धि के बारे में एक उच्चस्तरीय जांच समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा निर्देश पद क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) विमानों तथा उनसे सम्बन्धित अभिकल्पना, विकास और उत्पादन के संबंध में दीर्घ-कालिक आयोजना के अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए 10-11-1967 को एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है।

(ख) इस समिति का संगठन और विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

संगठन

अध्यक्ष : श्री सी० सुब्रमण्यम

सदस्य : डा० एस० भगवन्तम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

श्री एस० एस० खेड़ा

डा० एस० दीवान, डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंसिज, बंगलौर ।

एयर मार्शल आर० राजाराम, डी० एफ० सी०
वायुसेना उपाध्यक्ष, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली ।

एयर मार्शल पी० सी० लाल, डी० एफ० सी० मैनेजिंग डायरेक्टर
हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर ।

कैप्टेन जी० सी० आर्य, डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन, नई दिल्ली ।

श्री एस० कृष्णास्वामी, संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, सदस्य सचिव ।

विचारार्थ विषय :

(1) विमानों और उनसे संबंधित साजसामान के संबंध में देश की आवश्यकताएं निर्धारित करना ।

(2) सप्लाई के वर्तमान संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण करना और सिफारिशें करना कि अधिकाधिक किस तरह देशीय साधनों का निसूत्रण किया जा सकता है और क्षमता बढ़ाई जा सकती है ।

(3) रिसर्च और डिवेलपमेंट समेत वैज्ञानिक उद्योग के आयोजित विकास के लिए उपायों की सिफारिशें करना, ताकि देश समग्रतौर पर इस क्षेत्र में यथासंभव कम से कम समय में आत्मनिर्भर बन पाए, और आर्थिक दृष्टि से लाभकर ढंग से ।

नेफा में वैम्पायर जेट विमान की दुर्घटना

2139. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 फरवरी, 1968 को नेफा के कामेंग जिले में एक वैम्पायर जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार मिला है ;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)

(क) जी हां। दुर्घटना उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी के कामेंग सीमा डिवीजन में दीरांग जोंग से 4 मील पश्चिम में हुई ।

(ख) दुर्घटना के कारण कोई हताहत नहीं हुआ ।

(ग) और (घ) : वायुसेना के नियमों के अनुसार दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है । पूर्ण विस्तार कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट की अंतिम रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद ही ज्ञात हो सकेंगे ।

गोरे लोगों के शासनाधीन दक्षिण अफ्रीका के देशों में अफ्रीकी परिवारों की दशा

2140. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव अधिकार सम्बन्धी आयोग में ईरानी प्रतिनिधि द्वारा इस आयोग की 7 फरवरी, 1968 को हुई बैठक में दिए गए इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि गोरे लोगों के शासनाधीन दक्षिण अफ्रीका के तीन देशों में अफ्रीकी परिवार अति दयनीय निर्धनावस्था में रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन लोगों के लिये अत्यावश्यक मान अधिकार तथा रहन-सहन ा समुचित स्तर उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिसमें सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठनों के माध्यम से की गई कार्यवाहियाँ शामिल हैं?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हाँ। माननीय सदस्य संभवतः उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जो मानवाधिकार आयोग के विशेष रिपोर्टर के रूप में ईरान के श्री मनूशेर गाँज़ी ने पेश की थी।

(ख) हमारे प्रतिनिधियों ने विशेष रिपोर्टर द्वारा किए गए काम की प्रशंसा की है और वे हमेशा की तरह, उन सभी उपायों का समर्थन करेंगे जो कि इसमें दक्षिण अफ्रीका सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं कि वह अपनी पृथक्करण और जातिगत भेदभाव की नीतियों को छोड़ दे। समुचित समय पर सरकार इसपर भी विचार करेगी कि इन मसलों को मानवाधिकार कमीशन के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंचों पर भी उठाया जाए या नहीं।

सैनिक स्कूल

2142. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सभी सैनिक स्कूलों तथा ऐसे ही अन्य पब्लिक स्कूलों में, जब से वे स्कूल स्थापित हुए हैं तब से लेकर अब तक, कुल कितने लड़के दाखिल हुए हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लड़के हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे लड़कों की वास्तविक संख्या कितनी है, जिन्हें सेना, नौसेना तथा वायुसेना में अब तक भर्ती किया जा चुका है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :
(क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

केडटों के रूप में नियुक्तियां

2143. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 15 वर्षों में प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कैडटों के रूप में नियुक्ति के लिये कुल कितने लड़कों की सिफारिश की गई;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लड़के थे;

(ग) इस अवधि में प्रतिवर्ष कुल कितने लड़कों को वस्तुतः नियुक्त किया गया; और

(घ) इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लड़के थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ग) : आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 255/68]**

(ख) और (घ) : सूचना प्राप्य नहीं है। जैसे कि पहले ही उद्धृत प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैंने बताया है, प्राप्य रिक्त स्थानों के लिए चुनाव, चुनाव बोर्डों की सिफारिश पर मैरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के चुनाव के संबंध में कोई अलग आँकड़े नहीं रखे जाते। पिछले 15 वर्षों के दौरान प्राप्त एक-एक प्रार्थनापत्र की जाँच द्वारा सूचना इकट्ठी करने में अन्तर्ग्रस्त श्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा।

शसस्त्र सेना में अनुसूचित जातियां तथा अनसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण

2144. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना में भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो आरक्षण के सिद्धान्त का, जिसका सहकारी सेवाओं में नियुक्ति करने में पालन किया जाता है, इस मामले में पालन न करने का संवैधानिक आधार क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र सेना की सेवायें आरक्षण के प्रयोजनार्थ संविधान में निहित सरकारी सेवाओं के क्षेत्राधिकार में आती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इनको सरकारी सेवाओं के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने के औचित्य को सिद्ध करने वाले विशिष्ट उपबन्ध क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : संविधान की धारा 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के सदस्यों का, सेवाओं में नियुक्तियें करते समय और संघ तथा राज्यों के कार्यों से संबंधित नियुक्तियों के लिए प्रशासन की कार्यक्षमता को बनाए रखते संगति के दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। चूंकि सशस्त्र सेनाओं में कार्यक्षमता के उचित मान दंड को बनाये रखने की आवश्यकता बड़ा महत्व रखती है, सरकार की यह नीति रही है कि जब कि उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के रास्ते के सभी प्रतिरोधों को दूर करने के लिए यथासंभव सब कुछ किया जाएगा, जो रक्षा सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं होना चाहिये।

सशस्त्र सेना मुख्यालय, असैनिक सेवा

2145. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 26 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना, जल सेना और वायुसेना के कार्यालयों में वरिष्ठ असैनिक कर्मचारियों को खपाने के लिये सशस्त्र सेना मुख्यालय असैनिक सेवा का इस बीच गठन हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों के व्यापक तथा स्टेनोग्राफरों के काडरों के असैनिक कर्मचारियों के लिए एक ए० एफ० एच० क्यु० असैनिक सेवा, एक ए० एफ० एच० क्यु० क्लर्की सेवा और एक ए० एफ० एच० क्यु० स्टेनोग्राफरों की सेवा के संगठन के लिये 1-3-1968 से एक योजना प्रस्तावित करने का फैसला किया गया है।

(ख) इसके मुख्य लक्षण हैं:—

(1) सीनियर सिविलियन कर्मचारीगण अफसरों के नाम से पुनः नामित किए जाने वाले सिविलियन कर्मचारीगण अफसरों ग्रेड 1 के वेतनमान को 900–50–1250 रुपये से बढ़ा कर 1100–50–1400 रुपए कर देना।

(2) सिविलियन कर्मचारीगण अफसर ग्रेड 2 (प्रथम श्रेणी राजपत्रित वेतनमान 800–40–1000 रुपए) और आफिसर सुपरवाइजर (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित, वेतनमान 740–30–830–35–900 रुपए) को मिला कर दोनों ग्रेडों के स्थानों की संख्या में कुछ कमी करके सिविलियन कर्मचारीगण अफसर (प्रथम श्रेणी, राजपत्रित; वेतनमान 740–30–800–50–1150 रुपए) का एक ग्रेड बना देना।

(3) सुपरिटेंडेंटों के स्थानों को उन्नत करके द्वितीय श्रेणी अराजपत्रित से द्वितीय श्रेणी राजपत्रित कर देना, और ऐसे स्थानों का वेतनमान बढ़ा कर 300(400)–25–625 रुपए से 350 (400)–25–500–30–590–अर्हता रोक–30–800 रुपए कर देना;

(4) असिस्टेंटों के स्थानों को उन्नत करके तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) से द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित) कर देना।

(5) स्टेनोग्राफरों के ग्रेड 1 को उन्नत करके द्वितीय श्रेणी—अराजपत्रित से द्वितीय श्रेणी राजपत्रित कर देना, और ऐसे स्थानों के वेतनमान को बढ़ा कर 375–20–575–25–600 रुपए से बढ़ा कर 350–(400) 25–650 रुपए कर देना।

(6) ग्रेड 2 के स्टेनोग्राफरों के स्थानों को उन्नत करके द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित) से द्वितीय श्रेणी राजपत्रित कर देना।

(7) असिस्टेंटों, अपर डिवीजन क्लर्कों, लोअर डिवीजन क्लर्कों के वर्तमान अनुपात में संशोधन करके 22:33:45 से 25:35:40 कर देना।

(8) सुपरिंटेन्डेंट और असिस्टेंट के ग्रेडों में स्थायी रिक्त स्थानों के कुछ अनुपात को दूर करने के लिये सीधे भर्ती का पुरस्थापन।

सेवाओं के आरम्भिक संघटन और भावी रखरखाव के लिये नियम बनाए जा रहे हैं, और शीघ्र ही प्रकाशित किए जायेंगे।

मनीपुर के लिये योजना में नियत राशि का वर्ष 1967–68 में उपयोग

2146. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967–68 में मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र की योजना के लिये नियत राशियों का पूरा-पूरा उपयोग किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) यह सूचना वर्ष 1967–68 के समाप्त होने के बाद उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय इस्लाम सम्मेलन द्वारा पास किया गया काश्मीर सम्बन्धी प्रस्ताव

2147. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रावलपिंडी में हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय इस्लाम सम्मेलन द्वारा पास किए गए उस प्रस्ताव के बारे में जिसमें काश्मीर की स्वतंत्रता के लिये सभी मुस्लिम देशों से अपील की गई है, पाकिस्तान रेडियो द्वारा किए गए प्रसारण की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हाँ, लेकिन कश्मीर पर अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है। आम घोषणा में कश्मीर की चर्चा की गई थी जिससे सम्मेलन ने समाप्ति पर अन्य विषयों के साथ स्वीकार किया।

(ख) कश्मीर की स्थिति पर भारत सरकार की स्थिति सर्वविदित है और पाकिस्तान सरकार जो दावे और घोषणाएं करती है, उनसे और अन्य ऐसे लोगों की घोषणाओं से हमारी स्थिति पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता जिन्हें पाकिस्तान के दावों और उनकी माँगों का समर्थन करने के लिए वहाँ आमंत्रित किया जाता है।

जर्मनी का पुनर्मिलन

2148. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य की राष्ट्रीय परिषद् के कार्यकारी सदस्य तथा संसत्सदस्य मि० एलबर्ट नार्डेन द्वारा कलकत्ता में हाल में दिए गए इस आशय

के वक्तव्य की ओर दिलाया है कि भारत केवल पश्चिम जर्मनी को मान्यता देकर जर्मनी के पुनर्मिलन में बाधा डाल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हाँ।

(ख) हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते; इसके विपरीत हमारी नीति का उद्देश्य जर्मन प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करना है।

राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

2149. **श्री दामानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों की आगामी बैठक के कब होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या उस सम्मेलन के लिये कोई स्थान नियत किया जा चुका है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) : सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

पाकिस्तान उच्चायोग, नई दिल्ली द्वारा वितरित साहित्य

2150. **श्री दामानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चयोग ने तथा कथित अगरतला षडयंत्र से संबंधित साहित्य बाँटा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राजनयिक परम्पराओं का इस प्रकार उल्लंघन किए जाने को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन के उन वृत्तकों के खिलाफ विरोध प्रकट किया जिसमें भारतीय अधिकारियों के विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाए गए हैं और ढाका के मामले को गलत तरीके से "अगरताला षडयंत्र" बताया है। पाकिस्तान हाई कमीशन से कहा गया है कि वह इस तरह की सामग्री का प्रसार न करे जिससे स्थिर राजनयिक व्यवहार का उल्लंघन होता है।

काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के विदेश-मंत्री का वक्तव्य

2151. **श्री दामानी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के विदेश-मंत्री के 13 फरवरी, 1968 के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान 'जम्मू और काश्मीर' पर 20 वर्षों से अधिक समय से भारत द्वारा जबरदस्ती किए गए कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) जी हाँ।

(ख) जम्मू और काश्मीर भारतीय संघ का अंग राज्य है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और वह राज्य के एक हिस्से पर जबर्दस्ती कब्जा किए हुए है। यह पाकिस्तानी प्रचार का अंग है कि अपनी अनावश्यक कार्यवाइयों की जिम्मेदारी दूसरों के खिलाफ आरोप लगाकर डाल दी जाए।

Lingiuistic Knowledge of Officers of Indian Embassies

2152. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the quaiifications particularly kept in view at the time of selection of Officers for our Embassies abroad and whether knowledge of Indian languages is considered essential therefor; and

(b) if so, the percentage of Hindi knowing staff in our Embassies in foreign countries ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Officers for Indian Embassies abroad are considered for particular assignments taking into account their experience, knowledge of foreign languages, seniority and such factors. All IFS officers are now required to qualify in Hindi prior to confirmation in the service.

(b) In most Indian Missions abroad there are Hindi knowing personnel. It would be difficult to state exact percentages as the position changes with the transfer of personnel in the normal course.

Advertisements in the Indian language Newspapers

2153. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the number of advertisements relating to public sector given last year to the newspapers of Indian languges as compared to those of foreign languages as and the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): The requisite information is given in the attached Statement. **[Placed in Library See. No. L.T. 256/68]**

कोयरेनगी हवाई अड्डा, मनीपुर

2154. **श्री मेघचन्द्र**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में मनीपुर के कोयरेनगी हवाई अड्डे की देखभाल और उसके अच्छी हालत में बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की है और इसपर कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या हवाई अड्डे के अन्तर्गत जमीन को अन्य उत्पादी कार्यों के लिये काम में लाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) और (ख): कोयरेनगी हवाई अड्डे की देखभाल के लिए पिछले 5 वर्ष में कोई खर्च नहीं किया गया, क्योंकि यह हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना की आवश्यकता से फालतू है। आई० ए० एफ० की आवश्यकताओं से फालतू हवाई अड्डों के निपटारे का व्यापक प्रश्न विचाराधीन है।

मनीपुर में दैनिकों/पत्रिकाओं के नाम

2155. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के किन-किन दैनिक समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को अखबारी कागज का कोटा मिलता है;

(ख) उनकी कितनी प्रतियाँ बिकती हैं और 1966-67 तथा 1967-68 में क्रमशः अखबारी कागज का कितना-कितना कोटा उन्हें दिया गया; और

(ग) क्या उनकी बिक्री की वृद्धि को देखते हुए अखबारी कागज के कोटे में वृद्धि की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) (1) पंचतन्त्र और (2) खोल्लओ।

(ख) आपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) 1967-68 का अखबारी कागज के नियतन की नीति, जिसकी घोषणा पब्लिक नोटिस संख्या 30-आई टी सी (पी एन) 167 में की गई थी और जिसकी एक प्रति 6 अप्रैल, 1967 को सदन की मेज पर रख दी गई थी, के अनुसार 10,000 प्रतियों तक के खपत वाले समाचार-पत्र, आवेदन करने पर अखबारी कागज के कोटे का 50 प्रतिशत अतिरिक्त ले सकते हैं। ऊपर बताये गए समाचार-पत्रों ने अपनी खपत बढ़ाने के लिये अतिरिक्त कोटे के लिये आवेदन नहीं किया है।

विवरण

क्रम संख्या	समाचार-पत्र का नाम	1966-67 समाचार-पत्र द्वारा बताई गई खपत (1965-66)	1966-67 खपत जिस पर कोटा दिया गया	1966-67 मी० ट० में न्यूजप्रिंट का कोटा	1967-68 समाचार-पत्र द्वारा बताई गई खपत (1965-66)	1967-68 खपत जिस पर कोटा दिया गया	1967-68 मी० ट० में न्यूजप्रिंट का कोटा
1.	प्रजातन्त्र, मणीपुरी, दैनिक, इम्फाल।	1953	1953	10.00	1953	1953	10.00
2.	खोलाओ, बहुभाषी दैनिक, इम्फाल।	1219	1000	4.60	1850	1000	4.60

एडवांस आर्डनेंस डिपो, गौहाटी पर सेना अधिनियम का लागू किया जाना

2156. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतगाँव (गौहाटी) स्थित 222 एडवांस आर्डनेंस बेस डिपो के असैनिक कर्मचारियों पर सेना, अधिनियम लागू होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ये असैनिक कर्मचारी अपनी शिकायतों के निवारण के लिये सामूहिक रूप से बातचीत करने के लिये एक यूनियन बना सकते हैं जैसा कि भारत के संविधान में गारंटी दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

Directive Principles of State Policy

2157. **Shri N. S. Sharma:**
Shri R. S. Vidyarthi:
Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Sharda Nand:

Will the **Prime minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have failed to follow some of the Directive Principles of State Policy as laid down in the Constitution of India; and

(b) if so, the details thereof and the reasons for such failure ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Ghandhi):

(a) and (b): The Directive Principles cover a vast and comprehensive field. Government's policies are designed to lead ultimately towards the achievement of the objectives underlying the Directive Principles. The Central and State Government have all along been taking action in mutual consultation to achieve these objectives. Considerable progress has already been made in this direction.

अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to Unstarred Question No. 5144

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 10 जुलाई, 1967 को लोकसभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5144 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय की सम्पत्ति की लगभग 12800 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई थी, जिससे प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया लगभग 19 लाख रुपए बनता था।

2. तदनु, जांच करने पर पता चला है कि 1966-67 के दौरान रक्षा की वास्तव में पट्टे पर दी गई सम्पत्ति-भूमि 28273.525 एकड़ थी, और उक्त क्षेत्र के पट्टों के संबंध में वार्षिक किराया 12.40 लाख रुपये है। इसमें पट्टों के अतिरिक्त अन्य साधनों जैसे कि लाइसेंसों, चरागाहों के अधिकारों, खदानों के अधिकारों और सूखे वृक्षों के निपटान से होने वाली आय शामिल नहीं है।

3. पहले दिए गए उत्तर में संशोधन करने के लिये मैं यह अवसर ग्रहण करता हूँ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चलचित्र (सेंसर-व्यवस्था) संशोधन नियम

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं चलचित्र अधिनियम, 1958 की धारा

8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चलचित्र (सेंसर व्यवस्था) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 3 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 233 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 218/68]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के दर्जे के बारे में विवरण

समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : मैं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के दर्जे के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखती हूँ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 219/68]

राष्ट्रपति का संदेश

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 26 फरवरी, 1968 के निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"मैंने 12 फरवरी, 1968 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके प्रति लोक-सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ।"

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन को उपस्थित करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : मैं परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय-प्रदीप पत्तन के बारे मे प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सत्तरवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ।

मंत्रि- परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। मध्याह्न भोजन से पूर्व एक या दो वक्ता बोलेंगे तथा उसके बाद प्रधान मंत्री तथा प्रस्तावक श्री बलराज मधोक उत्तर देंगे।

श्री तु० मू० सेठ (कच्छ) : मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इस प्रश्न पर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोग भी उतने ही क्षुब्ध हैं जितने देश के अन्य क्षेत्र के लोग। यह जानकर कि छादबेट भारतीय राज्य क्षेत्र नहीं माना गया है, न केवल विस्मय हुआ, बल्कि दुःख भी हुआ। मैं उस निर्वाचन क्षेत्र से सम्बद्ध हूँ जिसका अधिकांश भाग जायेगा। इसलिये मैं इसे व्यक्तिगत हानि समझता हूँ। फिर भी इस प्रश्न पर शान्त दिमाग से विचार करना है और भावना के स्थान पर तर्क से काम लेना है। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से तीन बातों पर विचार करना है—क्या यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्णय के लिये सौंपना चाहिये था; क्या निर्णय ठीक है अथवा गलत; और क्या भारत इस निर्णय को क्रियान्वित करे या न करे।

जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है कि कच्छ और सिंध की सीमा 1871 में ही निर्धारित की जा चुकी थी और 1947 से पूर्व कोई सीमा विवाद नहीं था गलत है क्योंकि 1903 से 1940 तक कच्छ के महाराव ने सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया था। परन्तु यह बात सच है कि कच्छ और सिंध की सीमा द्विपक्षीय आधार पर कभी तय नहीं हुई थी और 1947 के बाद भी यह स्थिति चली आ रही थी। 1947 के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिये जब नेहरू-नून वार्ता हुई तो यह समझौता हुआ था कि यदि यह विवाद बातचीत के आधार पर हल नहीं होता, तो यह मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये। इस आधार पर मेरा यह विचार है कि इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपा जाना बिल्कुल उचित और आवश्यक था।

कच्छ न्यायाधिकरण के निर्णय को अनुचित बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका निर्णय 1000 पृष्ठ पर लिखे साक्ष्य, 300 नक्शों तथा दोनों पक्षों की 200 दिन तक चली सुनवाई की जाँच और अध्ययन पर आधारित है। तीसरे, मेरे विचार से निर्णय को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिये, क्योंकि विवाद का न्यायाधिकरण को सौपा जाना ठीक था और उसका निर्णय दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर आधारित है और दोनों पक्षों को तर्क करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। साथ समझौते से बंधे होने के कारण भारत कानूनी आधार पर इस निर्णय को लागू करने से हट नहीं सकता। साथ ही मेरा यह निवेदन है कि भारत की दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि प्रायः इस क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठिये प्रायः घुस आते हैं। इस क्षेत्र के लखपत तालुक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : कच्छ निर्णय के सम्बन्ध में श्री जो बलराज मधोक ने कहा है, उसका मैं बहुत हद तक समर्थन करता हूँ। यह पंचाट ठीक नहीं है पर पंचाट एक डिग्री की तरह है जो कि निर्णय के फलस्वरूप प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, नगर परकार के दोनों ओर की उपखाड़ियाँ (इनलैट्स) निर्णय में भारत के बताये गए हैं। परन्तु मध्यस्थ ने इसे भारतीय

राज्यक्षेत्र नहीं माना है। इस प्रकार आदेश निष्कर्षों से भिन्न हो गया। इस आधार पर हमारी सरकार न्यायाधिकरण को इस आदेश पर पुनर्विचार के लिये कह सकती है। मध्यस्थ निर्णय के लिये जो शर्त थी वे स्पष्ट होनी चाहियें थी। दुर्भाग्य से इस न्यायाधिकरण के निर्देश-पद अस्पष्ट रहे तथा 'सीमांकन' और 'सीमा-निर्धारण' शब्द निर्देश-पदों में बहुत ही अस्पष्ट थे। यह तर्क देना कि संघर्ष टालने के लिये ये (इनलैट्स) पाकिस्तान को दिए गए तर्कसम्मत प्रतीत नहीं होता।

वस्तुतः न्यायाधिकरण को उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर काम करना चाहिये था जिनके आधार पर 1935 में सिंध सरकार, बम्बई सरकार तथा भारत सरकार में सीमा सम्बन्धी समझौता हुआ था। 1947 में भी दोनों पक्षों ने इन नक्शों आदि को पर्याप्त समझा था। न्याया-धिकरण को तथ्यों के आधार पर सीमा निर्धारण का काम दिया गया था। उसे विभाजन आयोग के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिये उन्हें स्वयं यह सोचना चाहियें था कि वे निर्देश-पदों की सीमा से बाहर न जायें। वे एक ओर कहते हैं कि प्रवेश मार्ग भारत के हैं, दूसरी ओर वे उन्हें पाकिस्तान को भारत-पाक संघर्ष टालने के लिये दे देते हैं। हमने वचन दिया था तथ्यों पर आधा-रित निष्कर्षों को मानने का। परन्तु यह आदेश तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। इसलिये भारत निश्चित रूप से न्यायाधिकरण को अपनी गलती ठीक करने के लिये कह सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि भारत सरकार कच्छ निर्णय के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय करने से पहले मामले पर दोबारा विचार करे।

श्री दशरथ राम रेड्डी (कावली) : श्री बलराज मधोक द्वारा प्रस्तावित अविश्वास के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ। कच्छ-निर्णय से सरकार तथा हम सबको दुख हुआ है। विवाद इस बात पर था कि दोनों देश लगभग 3500 मील के क्षेत्र को अपना अपना बतलाते थे। पाकिस्तान का दावा था कि यह एक पृथ्वी से घिरा समुद्र या झील है जिसका आधा भाग अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर उसे मिलना चाहिये। भारत का यह दावा था कि चूंकि सारा क्षेत्र कच्छ का राज्य क्षेत्र है इसलिए वह भारत का है और उस पर पाकिस्तान का हक नहीं है। साथ ही भारत का कहना था कि इस क्षेत्र के बारे में कोई विवाद नहीं है बल्कि विवाद सीमांकन के सम्बन्ध में है। हमने इस विवाद को स्वीकार करके यह मामला न्यायाधिरकरण को सौंप दिया तथा यह कहा कि मध्यस्थ निर्णायकों को न केवल सीमाँकन करने का बल्कि सीमा निधारण का भी अधिकार होगा। इसी आधार पर न्यायाधिकरण को तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री की जाच करने तथा पाकि-स्तान के द्वारा उठाये गये इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिल गया कि इसका कुछ क्षेत्र उसका है क्योंकि वह उसके अधिकार-क्षेत्र में है।

सर्वप्रथम भारत-पाकिस्तान ने इस विवाद को बातचीत से हल करने का प्रयास किया तथा उपरोक्त प्रयास के सफल न होने पर दोनों इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को सोंपने की व्यवस्था पर सहमत हो गये। न्यायाधिकरण के एक-एक निर्णायक दोनों देशों ने नियुक्त किया था और तीसरा निर्णायक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने नियुक्त किया। इस न्यायाधिकरण ने सम्बन्धित दस्तावेजों, नक्शों आदि के अध्ययन के साथ-साथ समानता के सिद्धान्त को भी सामने रखा। कभी-कभी इस प्रकार के विवाद अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिधि से बाहर निकल कर समानता के सिद्धान्त पर भी सुलझा दिये जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। यह कहना बिल्कुल अनु-

चित है कि भारत का पक्ष ठीक से न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। क्योंकि भारत के पास जितने तत्सम्बन्धी दस्तावेज अथवा जितनी अन्य सामग्री उपलब्ध थी वह सब कुछ न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत किया गया था। भारत द्वारा नियुक्त निर्णायक ने भी हमारे पक्ष को योग्यतापूर्वक पेश किया था। साथ ही यह कहना असंगत न होगा कि भारत को अपने केस की दृढ़ता के सम्बन्ध में पूरा भरोसा था। इसीलिये वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सामने जाने के लिए तैयार हो गया था। निर्णय के पहले भाग में तो पाकिस्तान के दावे का खंडन किया गया है। निर्णय में विवादाधीन क्षेत्र को न झील बताया गया है और न भूमि से घिरा समुद्र, उसे दलदल बताया गया है। दूसरे भाग में यह कहा गया है कि सम्पूर्ण क्षेत्र भारत का नहीं है। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि दोनों पक्ष द्वारा दिये गये साक्ष्य संतोषप्रद नहीं है इसलिये सबल साक्ष्य के अभाव में समानता के सिद्धान्त को अपनाया गया। इसी आधार पर कच्छ निर्णय दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस निर्णय को मानने से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिये इस पर हमें, जो खोया है उसकी दृष्टि से नहीं, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखना चाहिए। अतः हमें यह निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिए।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जिस समय यह समझौता किया गया था उस समय में मंत्रि-मंडल का सदस्य था तथा कच्छ क्षेत्र में युद्ध-कार्य के संचालन का भार भी मुझ पर था, इसलिये मैं इस प्रस्ताव पर बोलना उचित समझता हूँ। कच्छ का मामला फरवरी से शुरू हुआ था उस समय यह स्पष्ट हो गया था कि भारत-पाक सीमा का यह क्षेत्र विवाद-ग्रस्त क्षेत्र में से एक है। इसके पश्चात् समस्या के समाधान के लिये भारत सरकार के पास तीन विकल्प थे—एक सीधे बातचीत करना, दूसरा मामले को पंचनिर्णय के लिये सौंपना तथा तीसरा युद्ध करना। चूंकि पाकिस्तान ने पहले से ही हमारी सरदार चौकी, बायरबैट तथा प्वाइंट 84 पर आक्रमण शुरू कर दिया था इसलिये हमें भी उसका उसी रूप में उत्तर देना पड़ा। साथ हमारी सरकार ने अन्य विकल्पों पर भी विचार किया। यह कहना गलत है कि पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए पंच-निर्णय का मार्ग अपनाया गया। क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने आक्रामक कार्यवाहियाँ कीं तभी भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका प्रमाण 1965 का संघर्ष है। पाकिस्तान के सम्बन्ध हमारे साथ अच्छे नहीं है इसलिये पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध भी परिवर्तनशील होने चाहिए। यदि वह मित्रता प्रदर्शित करता है तो हमें भी मित्रता का रुख अपनाना चाहिए। यदि वह शत्रुता का व्यवहार करता है तो हमें भी उसके शत्रु के रूप में काम करना चाहिए। परन्तु एक बार यह मान लिये जाने पर कि विवाद है, हमारे लिए युद्ध से अन्य किसी विकल्प को खोजना आवश्यक हो गया था। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने राष्ट्रहित में कच्छ न्यायाधिकरण सम्बन्धी इस समझौते को माना। उन्होंने सोचा था कि इससे समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकल आयेगा। हमारे पास जो भी साक्ष्य उपलब्ध थे उक्त न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत कर दिये गये। उनके आधार पर हमारा केस मजबूत दिखाई देता था। इसी कारण हमने यह तर्क-संगत खतरा मोल लिया था।

इस प्रश्न का निर्णय करना कि भविष्य में मध्यस्थ निर्णय स्वीकार किया जाये अथवा नहीं, संसद् तथा सरकार का काम है। परन्तु मुझे इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है कि जब श्री लाल-

बहादुर शास्त्री ने अपने सहयोगियों के परामर्श से मध्यस्थ निर्णय के बारे में समझौता करने का सिद्धान्त माना था, तो उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय हित में किया था तथा विवादास्पद मामले का शान्तिपूर्ण हल ढूंढ़ने के लिये ऐसा किया था।

यह नहीं कहा जा सकता कि कल न्यायालय क्या कहेंगे परन्तु वर्तमान परामर्श के अनुसार, संवैधानिक संशोधन आवश्यक नहीं है। इस मामले में हमारा रवैया यह होना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय वचनों का पालन किया जाये, चाहे इसके लिए राजनैतिक दृष्टि से कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हमें किसी बात से उत्तेजित होकर मुकदमेबाजी का रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

कुछ क्षेत्रों के हमारे हाथ से जाने का मुझे बहुत दुख है। मैंने यह क्षेत्र देखे हुए हैं। 1956 में जब हमारी पुलिस तथा सेना ने छाड़बेट की सुरक्षा की थी, तब मैं द्विभाषी राज्य का मुख्य मंत्री था और मैं वहाँ सब से पहले गया था। हमें इस मामले में संवैधानिक रवैया अपनाना चाहिए।

Shri N. R. P. Salve (Betul): The Members of the opposition have not only assailed the Congress on the decision of the Kutch Tribunal, they have also not spared other political parties.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

It has been argued that the Late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri had assured that our case is cast iron case and therfore, it ought to be referred to the tribunal. It is true that Shri Shastri thought that our case was strong in the matter but at the same time he gave a warning that in such cases of referring any matter to a tribunal, a certain amount of risk is also involved.

It has also been alleged that our case was not properly represented. This allegation is entirely baseless. Judge Babler held that India has very ably represented her case.

After going through the judgment of the majorty, it becomes evident that those judges have clearly violated the recognised principles of internatioanl law. Their decision is based not on justice but on something else. It is also wrong to say that the decision does not go against us since we had to part with only ten percent of the disputed land. The area awarded to Pakistan under the award is very important from strategic point of view.

The opposition parties want to take political advantage of this matter but they should not cause anarchy , illwill, lawlessness and disorder in the country. We will have to honour the award and also implement it.

(इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.)

(लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair.]

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 352 में दर्ज है कि कोई सदस्य किसी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करेगा जिसके बारे में न्यायिक निर्णय निलम्बित हो। इस मामले पर दो लेख याचिकायें पहले ही दायर हो चुकी हैं। उन याचिकाओं के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का न्यायाधिकरण का पंचाट लागू करने से रोकने की माँग की गई है। अब प्रधान मंत्री इस मामले पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रही हैं....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि न्यायालय के समक्ष किसी मामले का उल्लेख किया गया तो मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नियमों के अनुसार ग्राह्य नहीं है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद सदस्य यह नहीं कह सकते कि मैं चर्चा का उत्तर न दूं। उन्हें प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये।

विरोधी दलों के तथा हमारे विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है परन्तु हम देशभक्ति में किसी से पीछे नहीं हैं। कुछ सदस्यों का सुझाव है कि हम न्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने के अपने उत्तरदायित्व से मुकर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय जनमत से बाध्य होकर ही हम इस पंचनिर्णय को स्वीकार कर रहे हैं। यह ठीक है कि हम बहुत से मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत की उपेक्षा नहीं करते परन्तु जहाँ राष्ट्र के हित का प्रश्न उठता है, वहाँ हम सोचते हैं कि राष्ट्र के हित को सबसे अधिक मान्यता दी जाये। भारत को ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जो ठीक तथा उचित न हो। सरकार को अपना वचन पूरा करना चाहिये जो यह है कि न्यायाधिकरण का निर्णय दोनों सरकारों को अनिवार्य रूप से मानना होगा तथा किसी भी आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

न्यायाधिकरण को सीमांकन करना था और भारत द्वारा जिस सीमा का दावा किया गया था, उसे काफी हद तक स्वीकार किया गया है। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं पंचाट से संतुष्ट हूँ। तथापि हमें 10 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। यद्यपि हम शत प्रतिशत सफलता चाहते थे, तो भी इससे निराश होकर हमें अपना कर्त्तव्य नहीं भूल जाना चाहिये। हम इस आशा से अपने अन्तर्राष्ट्रीय वचनों का पालन करना चाहते हैं कि इस विवाद के समाप्त हो जाने से दुर्भाग्यपूर्ण विवाद समाप्त हो जायेंगे तथा इससे दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध बढ़ेगा।

कुछ सदस्यों का यह कहना कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई विवाद ही नहीं था, विचित्र बात है। न केवल विवाद था, अपितु इस सम्बन्ध में पारस्परिक बातचीत भी हुई थी तथा संघर्ष भी। इससे कोई वांछनीय फल नहीं निकले। अतः संसद के अनुमोदन से यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा गया था।

माननीय सदस्य, श्री आशाभाई पटेल ने कच्छ में भूमि को नर्मदा परियोजना का प्रयोग किए की सम्भावनाओं के बारे में कहा है। स्थिति यह है कि नर्मदा नदी के जल संसाधनों के ग तथा समेकित विकास के लिये नर्मदा जल संसाधन समिति ने एक वृहद योजना की की थी। इसमें कच्छ के छोटे रन में 3 लाख एकड़ तथा बड़े रन में साढ़े चार लाख

एकड़ की सिंचाई करने का विचार है। अब पंचाट ने सीमा निर्धारित कर दी है। अतः हमें कार्य शुरू कर देना चाहिये तथा इस क्षेत्र का विकास करना चाहिये ताकि देश की समृद्धि में वह भी अपना योगदान दे सके।

कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध कभी स्थापित नहीं कर सकते। यह प्रवृत्ति निराशाजनक है। सरकार स्थायी शत्रुता के आधार पर नहीं चल सकती। पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने की आशा कितनी ही धूमिल क्यों न हो तथा उसका मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो हमें पाकिस्तान को यह अनुभव कराने के लिये सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिये कि पाकिस्तान का हित भी यही है कि वह भारत के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोग के सम्बन्ध स्थापित करे।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विरोधी दल के कुछ सदस्य यह समझते हैं कि हमें भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के मामले में उचित तथा जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिये। कुछ सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इस पंचाट के बाद जब सीमा का रेखांकन हो जायेगा, तो किसी को इस बारे में शंका नहीं रह जानी चाहिये कि देश की अन्य सीमाओं की भांति इस सीमा की सुरक्षा भी हमारे राष्ट्र तथा हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाओं द्वारा की जायेगी।

माननीय सदस्य श्री कृष्णामूर्ति ने कोयमबटूर तथा मदुरै में राष्ट्रीय पताका के जलाये जाने, राष्ट्रीय गान का अपमान करने की जो निन्दा की है, उसे सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी घटनाओं तथा आसाम में हुई घटनाओं पर हम सभी को दुख होना स्वाभाविक है। हमें पूर्ण आशा है कि पथभ्रष्ट युवक भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रतिष्ठा बनाये रखने में सहयोग देंगे। ऐसे सभी आन्दोलनों तथा ऐसी प्रवृत्तियों को जिनसे तनाव अथवा विघटन की कार्यवाहियों या पृथकतावाद को प्रोत्साहन मिले, मजबूती से दबा दिया जाना चाहिये। हम तभी ऐसा सुदृढ़ आधार स्थापित कर सकते हैं, जिसके बल पर हम अपनी एकता तथा अखण्डता की रक्षा कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ सदस्यों ने इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करना उचित समझा है, इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने जो तर्क दिए हैं, वे प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय वचनों से बाध्य हैं। उप-प्रधान ने कहा है कि प्राण जायें पर वचन न जाई। आपको अपने वचन तभी याद आते हैं जब उससे आपका उद्देश्य पूरा होता है। देश के अन्य भागों के बारे में आप अपने वचन भूल गए हैं।

मैं अब भी चाहता हूँ कि सरकार अपने वचनों को पूरा करे। सरकार ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने राज्यक्षेत्र की एक इंच भूमि भी नहीं देंगे। हमने पहले ही भारत का 50,000 वर्ग मील का क्षेत्र खो दिया है। गत 20 वर्षों में हमारे देश पर चार आक्रमण हुए हैं। सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने देश में प्रभुसत्ता की रक्षा की है।

जब मैं यह कहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा शत्रु बना रहेगा तो मेरे कहने का अर्थ यह है

कि पाकिस्तान के शासक हमारे शत्रु बने रहेंगे। मैं श्री चव्हाण से सहमत हूँ कि कोई भी मित्र स्थायी नहीं होता और न ही कोई शत्रु स्थायी होता है। परन्तु हमारा शत्रु बना रहना पाकिस्तानी शासकों के हित में है। हमें पाकिस्तान के साथ पिछले 20 वर्षों के सम्बन्धों से कुछ सीखना चाहिये। हमारी सरकार पाकिस्तान को जितना संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, वे हमें अपमानित करते रहे हैं। में युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम युद्ध से बच सकते हैं? सरकार ने यह समझौता किया है। परन्तु पाकिस्तान के लोगों के मन में इस समझौते की यह प्रतिक्रिया हुई है कि भारत लड़ नहीं सकता, भारत कमजोर है, उसमें लड़ने की शक्ति नहीं है और इससे पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रोत्साहन मिला है। मेरा कहना यह है कि इस तुष्टीकरण और कमजोरी की नीति से युद्ध निकट आयेगा। युद्ध से बचने का तरीका यह है कि हम शक्तिशाली बनें और अपने पावों पर स्वयं खड़े हों। आज यदि हम शक्तिशाली होते तो हमपर न पाकिस्तान आक्रमण करता और न चीन आक्रमण करता।

शक्तिशाली बनने के लिये हमरे पास सभी साधन उपलब्ध हैं। हमारे पास जनशक्ति है, औद्योगिक शक्ति है, लड़ने की परमपरा है परन्तु हमारा नेतृत्व नहीं है, हमारी नीतियाँ ठीक नहीं हैं और इसीलिये हमारा देश कमजोर है। यह सरकार देश की रक्षा करने में असफल रही है और इसीलिमे में कहता हूँ कि इस सरकार को हटना चाहिये। यदि प्रधान मंत्री देश की कोई सबसे बड़ी सेवा कर सकती हैं तो वह यह है कि वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें। मैं किसी को देशभक्ति पर संदेह नहीं करता क्योंकि देशभक्त भी गलती कर सकता है।

फिर इस बात का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है कि यह समझौता बड़ा अच्छा है, हमने 90 प्रतिशत क्षेत्र की रक्षा कर ली है। यह कोई तर्क नहीं है। सारा रन हमारा है। केवल पश्चिमी क्षेत्र के बारे में विवाद था और वह विवाद भी बम्बई सरकार द्वारा 1914 में पारित संकल्प से हल हो गया था। पाकिस्तान ने 1947 में इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की थी। यदि सरकार पाकिस्तान के पक्ष को वकालत करना चाहती है तो यह अलग बात है। यह कहा गया है कि छादबेट पाकिस्तान को मिल गया है परन्तु प्वाइन्ट 84 हमें मिल गया है। सेना ने पहचान के प्रयोजन से कुछ प्वाइन्टों के नाम रखे थे। प्वाइन्ट 84 ऊँची या नीची भूमि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्वाइन्ट 84 का नाम लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। 'सत्य' का नाम लेकर सत्य की हत्या की जा रही है।

मेरा अनुरोध यह है कि स्थिति अब भी नियंत्रण के बाहर नहीं हुई है। अब भी इस स्थिति में सुधार हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कई ऐसे मामले हैं जिनमें मध्यस्थ निर्णय पर आपत्ति की गयी है। वर्ष 1911 में मेक्सिको और अमरीका के बीच एक मार्ग के बारे में विवाद था। इस सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय यह था कि इस मार्ग के दो भाग कर दिए जायें। इस मामले में मध्यस्थ के विचारार्थ विषय के बाहर जाने के कारण मध्यस्थ निणय पर आपत्ति की गयी थी। इसी प्रकार 1931 में कनाडा और अमरीका के बीच कुछ सीमा विवाद था। नीदरलैण्ड के राजा को मध्यस्थ चुना गया। परन्तु उन्होंने किसी एक रेखा या दूसरी रेखा के पक्ष में निर्णय देने के स्थान पर एक तीसरी रेखा बना दी और कहा कि यह रेखा होनी चाहिये। इस निर्णय पर भी आपत्ति की गयी थी क्योंकि उन्हें दो रेखाओं के सम्बन्ध में निर्णय देना था, उन्हें तीसरी रेखा बनाने का अधिकार नहीं था।

कच्छ के मामले में न्यायाधिकरण को यह देखना था कि वहां पर सीमांकन हुआ है या नहीं। परन्तु न्यायाधिकरण ने कहा यह है कि क्योंकि सिंघ (पाकिस्तान) के पशु छाडबेट क्षेत्र में चरने जाते हैं, इसलिये छाडबेट पाकिस्तान को दिया जाता है; इसी प्रकार भारत के कुछ प्रवेश मार्ग और बस्तियां नागर पार्कर के दोनों ओर पाकिस्तान में पड़ती हैं, इसलिये वे प्रवेश मार्ग पाकिस्तान को दिए जायेंगे।

श्री मोरारजी देसाई का कथन है कि यह सीमांकन है, राज्य-क्षेत्र का स्थानान्तरण नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। न्यायाधिकरण को यह कहने का क्या अधिकार है कि वे प्रवेश मार्ग पाकिस्तान को दिए जाने चाहिये। वास्तव में यह स्पष्ट स्थानान्तरण ही नहीं, अपितु पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिये भारतीय क्षेत्र को लूटना है। राज्यक्षेत्र का स्थानान्तरण संविधान में संशोधन करने के बिना नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में एक और रचनात्मक सुझाव यह है कि यदि सरकार मध्यस्थ निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकती तो वह इस निर्णय की त्रुटियाँ बता कर इसे न्यायाधिकरण के विचारार्थ पुनः भेज सकती है। परन्तु हमारी सरकार का कहना है कि जो निर्णय किया गया है, हम उसे स्वीकार करने में बाध्य हैं। यह गलत दृष्टिकोण है।

शासक दल को अपने दल की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देना चाहिये। राष्ट्रीय सुरक्षा, और प्रभुसत्ता के मामले किसी दल के मामले नहीं हैं। हमने ऐसे सभी मामलों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। हमने कई बार यह सुझाव दिया है कि हम सबको मिल कर ऐसे मामलों के लिये राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये परन्तु सरकार उसके लिये तैयार नहीं है।

इस समय देश को आन्तरिक एवं बाह्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये मैं शासक दल से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने दल की अपेक्षा देश को अधिक महत्व दें। यदि हम अपने दल की अपेक्षा देश को अधिक महत्व दें तो हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है और हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। परन्तु आज शासकों पर जनता का विश्वास नहीं रहा है और इसीलिये हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें मजबूत सरकार की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार असफल हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ और मुझे आशा है कि इस सरकार को हटाने में देशभक्त कांग्रेसी भी मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair.]

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं योगोस्लाविया के न्यायाधीश बेबलर की प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने इस मामले पर न्यायिक दृष्टि से विचार किया है, राजनीतिक दृष्टि से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	72	विपक्ष में	203
Ayes	72	Noes	203

[**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**
The Motion was negatived.]

राष्टपति के अभिभाषण के समय दो सदस्यों के आचरण के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION REGARDING CONDUCT OF TWO MEMBERS DURING PRESIDENT'S ADDRESS—CTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री पें० वेंकटासुब्बया द्वारा 20 फरवरी को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि यह सभा सर्वश्री मौलाना इसहाक सांभली तथा ही० ना० मुकर्जी के आचरण का बड़ा निरनुमोदन करती है जिन्होंने 12 फरवरी, 1968 को संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डाली तथा उनके प्रति असम्मान प्रदर्शित किया तथा उनके अवांछनीय, अभद्र एवं अनुचित व्यवहार के लिए उनकी भर्त्सना करती है।"

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): There were several other Members who staged walkout on 12th February and I am not aware of the reason as to why this motion has been moved against two Members only. I do not know the reason of this discrimination. I had just asked the steps taken by the Government to prevent the communal disturbance in which Muslim minority is being crushed. Our President had replied, "This is not the proper time for this matter". Thereater I and my colleagues which include Sarvshree S.M. Banerjee Jyotirmay Basu, Sarju Pande etc. walked out saying that "If not today when we are going to get a chance ? It is only in democratic system of Government that we can raise our voice against the atrocities. I have great respect for our President. Our leader Shri Mukerjee had spoken before the Address was started. The question of disrespect would have arisen only if we had interrupted during the course of Address. I took up this opportunity because our President was going to deliver his address relating to the policy of the Government. I thought it proper to point out that the incidence of communal disturbances has been increased and our Government have not taken any action against these Fascists. It was therefore necessary to bring these things to the notice of the Government.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने श्री इसहाक साम्भली को अपना आचरण स्पष्ट करने के लिये अनुमति दी थी। परन्तु वह विषयान्तर पर जा रहे हैं। आप उनसे कहें कि वह अपने आपको अपने स्पष्टीकरण तक सीमित रखें।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : सरकार की इस बात के लिये आलोचना की जा सकती है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। मेरठ में जो घटनाएँ हुई हैं वे दुःखद घटनाएँ थी। परन्तु समस्त भारत को साम्प्रदायिक कहना अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री साम्भली से अनुरोध करता हूँ कि वह केवल उसी दिन की घटना पर प्रकाश डालें।

Shri Ishaq Sambhli: It is true that I belong to minority community and I am pained to say all this. I have fought for the independence of the country and I have been to jail during the freedom struggle. I wanted to raise voice against the atrocities. In case it is crime to do so then all of us should commit that crime time and again. I had no intention whatsoever to insult the President.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में तीन संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : After hearing Shri Ishaq Sambhali. I do not want to press my amendment. We have decided to support the motion.

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी का संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया समझा जायेगा।

Shri Madhu Limaye : In case the honble Member would withdraw the motion, I shall withdraw my amendment otherwise I would not change my stand.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री मधु लिमये का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकार हुआ।

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सर्वश्री मौलाना इसहाक सांभली तथा डी० ना० मुकर्जी के आचरण का बड़ा निरनुमोदन करती है जिन्होंने 12 फरवरी, 1968 को संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डाली तथा उनके प्रति असम्मान प्रदर्शित किया तथा उनके अवांछनीय, अभद्र एवं अनुचित व्यवहार के लिए उनकी भर्त्सना करती है।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय :—मतविभाजन का परिणाम निम्नलिखित है :

पक्ष में=241
Ayes =241
विपक्ष में=45
Noes =45

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

रेलवे आय-व्यक 1968-69—सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET 1968-69—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब सभा रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा करेगी। श्री लोबो प्रभु

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री लोबो प्रभु : इसी अवसर पर प्रत्येक वर्ष रेलवे द्वारा किराये, माल भाड़े, पदों और परि-

योजनाओं में वृद्धि की जाती है। बजट का संधारण सम्बन्धी व्यय 45 करोड़ रुपए बढ़ गया है। इसके कारण खर्च बढ़कर 892 करोड़ रुपए हो गया है जबकि 1950-51 में यह खर्च केवल 243 करोड़ रुपए था। मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 1966-67 के बजट में 24 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है जबकि इस घाटे को पूरा करने के लिये 17.5 करोड़ रुपए अधिक रखा गया था। चालू वर्ष के बजट में 17.5 करोड़ घोटे का अनुमान लगाया गया है और लगभग 24.4 करोड़ रुपए अधिक खर्च होगा। इन आँकड़ों से बजट के गलत होने का पता लगता है।

मंत्री महोदय ने माल से होने वाली आय में गिरावट की बात को भी स्वीकार किया है। 1966-67 में 2030 टन माल ढोया और उससे आगे के वर्ष में 2010 लाख टन सामान ढोया गया। यद्यपि चालू वर्ष में 80 लाख टन और अधिक सामान ढोने का अनुमान लगाया गया था तथापि वास्तव में 21.4 लाख टन सामान कम ढोया गया।

मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि कृषि उत्पादन में कमी हुई है और उद्योग में मन्दी आ गई है। दुर्भाग्य से उनके द्वारा दूसरे प्रकाशनों में दिए गए आँकड़े इससे मेल नहीं खाते। उद्योग सूचकाँक 187 से बढ़कर 192 हो गया है। चालू वर्ष में कृषि उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

इससे यह ज्ञात होता है कि माल से होने वाली आय में गिरावट के कुछ और ही कारण हैं। पहला कारण यह है कि आय में यह गिरावट चौथी योजना के समाप्त किए जाने के कारण हुई है। जब सरकार ने अपना व्यय कम किया तो गैर-सरकारी व्यय में चार गुनी कमी हो गई। मुझे आशा है जब रेलवे बजट पर चर्चा की जायेगी तो रेलवे मंत्रालय उत्पादन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये खर्च की और माँग करेगा। योजना को पुनः चालू करने के लिये सरकारी खर्च और सरकारी कर्मचारियों का ही बनाये रखना आवश्यक नहीं है अपितु सम्पूर्ण अर्थतन्त्र को बनाये रखना भी आवश्यक है।

माल से होने वाली आय में गिरावट के और कारण भी हैं जैसे अच्छी वर्षा, सरकारी खर्चे पर अनाज को अधिक दूरी ले जाया जाना चूंकि छोटी दूरी पर माल को सामान्यतः सड़क द्वारा आसानी से ले जाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि मूल्यों में अधिक कमी हो गई तो उसकी आमदनी और व्यय का क्या बनेगा। इस ओर उन मंत्रियों को भी ध्यान देना चाहिये जो रेलवे मंत्रालय में नहीं हैं। आज मूल्य सूचांक 176 है जबकि इसी समय गत वर्ष यह 190 था और अब से केवल 4 मास पूर्व यह 209 था। इस ओर न केवल रेलवे मंत्री बल्कि वित्त मंत्री को भी ध्यान देना चाहिये।

रेलवे ने यह दावा किया है कि उसने अपनी सेवायें बढ़ाई हैं, 'कन्टेनर प्रणाली लागू की है और विक्रेता विभाग खोला है। इन सबके परिणामस्वरूप माल यातायात में कमी हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि या तो ये उपाय बेकार हैं या ये वर्तमान स्थिति के अनुकूल नहीं हैं। यद्यपि गाड़ियों की गति बढ़ गयी है तथापि माल को चढ़ाने और उतारने या पहुँचाने की गति वही है।

इस ओर मंत्री महोदय न केवल इसलिये ध्यान देंगे कि माल में विलम्ब होता है बल्कि इसलिये भी कि इन सब मामलों में भ्रष्टाचार भी होता है। मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि अचानक किए जाने वाले निरीक्षण पूर्ण होने चाहिये।

रेलवे में भाड़े का बढ़ाया जाना बाधक सिद्ध हो रहा है। रेलवे किराये-भाड़े आयोग ने 1958 में यह आश्वासन दिया था कि रेलवे के भाड़े कम से कम कुछ समय के लिये स्थिर होने चाहिये। परन्तु उस आश्वासन का पालन नहीं किया गया।

रेलवे भाड़े को इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि रेलवे यातायात गैर-सरकारी व्यापार का मुकाबला नहीं कर सकता।

जहाँ तक यात्री किराये का प्रश्न है; उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उसकी स्थिति इतनी बुरी नहीं है। पिछले वर्ष किलोमीटर–मील 177 से बढ़कर 182 हो गए हैं और इस वर्ष भी आय में कुछ वृद्धि हुई है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह वृद्धि किराये में वृद्धि किए जाने के कारण हुई है अथवा यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप। आय के आंकड़ों में ऊँचे दर्जे के किराये से 4.5 करोड़ का घाटा दिखाया गया है जबकि तीसरे दर्जे के किराये में इतना ही लाभ प्राप्त हुआ दिखाया गया है। रिपोर्ट से विदित हुआ है कि 'सेन्ट्रल स्क्वैड' द्वारा जाँच किए जाने के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में टिकटों की बिक्री में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह लाभ काफी है। अतः रेलवे को चाहिये कि इसके लिये अन्य सभी क्षेत्रों में भी निरीक्षण कर्मचारियों को तैनात करें।

उपनगरीय क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महीने के 30 या 31 दिनों के दो तरफा किराये देने की बजाय 7 इकतरफा किराया देते हैं। इससे केवल कुछ श्रेणी के यात्रियों को ही लाभ होता है। ऐसी विषमताओं की जाँच की जानी चाहिये और इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि सभी उचित किराये का भुगतान करें।

गाड़ियों में भीड़ रहती है। ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनकी क्षमता 72 है और उनमें 120 यात्रियों को यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी भी गाड़िया है जो खाली जाती हैं। ऐसी लाइनों पर जहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है स्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

रेलवे के पूंजी बजट को 304 करोड़ से घटाकर 278 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रेलवे के खर्च में कमी का प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करता है, परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार को यह ध्यान देना चाहिये कि रेलवे के सामान्य खर्चे में कमी की जानी उचित नहीं होगा।

रेलवे ने नए यात्री–डिब्बों और माल–डिब्बों के लिये 105 करोड़ रुपए का उपबन्ध किया है। मार्गों को फिर से चालू करने के लिये 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में रेलवे और अधिक खर्च कर सकती थी। यातायात की सुविधाओं के लिये भी लगभग 50 करोड़ रुपए रखा गया है। दोहरी लाइन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देश में दोहरी लाइन की व्यवस्था का किया जाना देश के लिये बहुत लाभदायक है। कर्मचारियों पर खर्च को कम करके और अधिक गाड़ियां चलाई जा सकती हैं।

खर्च की दशा और भी खराब है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 1950–51 के कर्मचारियों की तुलना में 106 प्रतिशत अच्छी है। माल यातायात में 50 प्रतिशत और यात्री यातायात में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि बहुत अधिक है। किन्तु इसपर भी कल्याण-कार्यों पर होने वाला खर्च 34 रु० प्रति व्यक्ति से बढ़कर 140 रु० प्रति व्यक्ति हो गया है। इसके साथ रेलवे के लिये यह सौभाग्य की बात है कि वह वेतनों में बढ़ोत्तरी पर 5 करोड़ रुपया ही खर्च करती है। रेलवे ने वेतन आयोग की रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है। रेलवे को इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये और इस समय चल रही स्थिति में वेतनों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के रूप में 97 करोड़ रुपया दिया गया है। यह बहुत बड़ी राशि है। यह ठीक है कि उन्हें उचित सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये परन्तु आज जब कठिन परिस्थिति है तो किराया और भाड़ा बढ़ाने की उनकी माँग के सम्बन्ध में सोचना पड़ता है कि क्या रेलवे कर्मचारियों को भी कुछ त्याग करना चाहिये अथवा नहीं।

पी० टी० ओ० और रेलवे पास के सम्बन्ध में हाल ही में की गई जांच से यह विदित हुआ है कि एक वर्ष में इनके ऊपर 18 करोड़ रुपया व्यय होता है। पदाधिकारियों को इतने पासों का दिया जाना कहां तक न्यायोचित है?

इससे रेलवे पर बहुत भार पड़ा है। लेकिन मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि रेलवे के व्यय में कमी की जायेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वर्ष 1966–67 में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के 734 अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

रेलवे बोर्ड में पहले 4 सदस्य होते थे। अब उन चार सदस्यों के अतिरिक्त उसमें पहले ही बहुत से सदस्यों को और शामिल कर लिया गया है। मंत्री महोदय द्वारा यह कहने पर भी कि नियुक्तियों के करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसमें तीन सदस्यों को 3000 रुपए के वेतन पर नियुक्त किया गया है।

रेलवे के चेयरमैन का स्टाफ रेलवे के मंत्री के स्टाफ से अधिक है। मंत्री महोदय पूर्णतया रेलवे बोर्ड पर निर्भर हैं।

71 लाइनों का बन्द किए जाने का प्रस्ताव और उनके स्थान पर नई लाइनों का चालू किया जाना, जिनके बारे में यह निश्चित नहीं है कि उनसे खर्च में कमी होगी अथवा नहीं, उचित नहीं है। बहुत से रेलवे लाइनों पर बहुत कमियां हैं। नीलगिरि सेक्शन पर गाड़ी एक घन्टे देरी से चल रही है। बस की यात्रा के मुकाबले रेल में तीन घंटे अधिक लगते हैं।

मेरे विचार से सिलीपर कोच के किरायों में वृद्धि किया जाना उचित है। मेरे विचार से माल पर दस प्रतिशत प्रतिभार का देश में स्वागत नहीं किया जायेगा क्योंकि इससे देश की निर्धन जनता पर भार पड़ेगा। इसके बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि इससे 10 करोड़ रुपए की आय होगी। मेरे विचार से यह अनुमान ठीक नहीं है। इससे कम से कम 20 करोड़ रुपए की आय होगी।

माल का भाड़ा बढ़ाया जाना उचित नहीं है क्योंकि माल के मूल्य पहले ही कम हो रहे हैं। यदि आप इस ओर ध्यान दें तो आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप खर्च में कैसे कमी कर सकते और इन करों को कैसे दूर किया जा सकता है। आपको या तो इन आंकड़ों को स्वीकार कर लेना चाहिये या सम्बन्ध में ब्यौरा देना चाहिये। अन्यथा आप रेलवे की आय और व्यय का गलत अनुमान, कर्मचारियों को अनुचित प्रकार से उकसाना और उनको दी जाने वाली वर्तमान सुविधाओं में कमी की जाना और देश की आर्थिक स्थिति में विकास न किए जाने के दोषी हैं।

Shri Baswant (Bhiwandi) : Some criticism is bound to be there but it will not be proper if the House is not beng informed of the exact position. In Bombay, the people are mostly depenidng upon Railways. It is, therefore necessary to give more attention to suburban trains. The Railway Ministry had surveyed regarding linking Central Railways with Western Railways in Bombay suburban areas.

So far as the recent accident at Malar station is cencerned, it is caused due to six coaches train run in the suburban area. In 1957 I suggested the General Manager, Railways that the suburban train should be of nine coaches instead of six coaches. But it could not be done because of short of coaches with the Railways. On the one side we have agreed to supply 10,000 coaches to Russia on the other hand we are not able to increase even three coaches in the suburban trains, Railway Ministry never agree to the appropriate demands of the people.

I suggest that a twelve mile underground train should be started for Bombay so that the traffic difficultties may be solved.

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जब बम्बई परिवहन सेवा की पूर्ण हड़ताल थी तब रेलवे ही ने अधिकतम सेवा की। रेलवे के बिना बम्बई में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जायेगा।

Shri Baswant : When I went home on 18 of this month all the first compartments were full to the capacity and mostly the persons travelling in those compartments were without tickets. You are not able to stop this tickeless travelling and you have got no alternative except imposing additinal taxes worth 20-30 crore of rupees to meet the deficit.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

Stolen railway lines are being melted in the railway factory nearby and they are being converted into steel. In 1962 aso I drew the attention of the Railway Minister towards this fact. The Kalayan yard store has suffered a loss of 1 lakh and 92 thousand during the last ten months. In 1956 a provision of rupees 11 lakhs was made for the construction of Kalyan platform. But latter on this scheme was dropped due to non-avialability of funds.

Facilities in the railways are not being given to the prople. Only six cattle are permitted to be taken in a wagon from Rohtak to Bombay. Even seven cattle are not permitted to be taken in a wagon. Whereas people more than four times can sit in a compartment of a capacity of 72 passengers. It is pity that there are such type of facilities for the cattle but not for the passengers.

I hope the hon. Minister will look into my suggestions.

श्री मंडल के बिहार के मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त किये जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: INSTALLATION OF SHRI MANDAL AS CHIEF MINISTER OF BIHAR

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री नाथपाई द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा बिहार के राज्यपाल द्वारा श्री बी० पी० मण्डल को मुख्य मंत्री बनाने में अपनायी गई रीति एवं प्रक्रिया का निरनुमोदन करती है चूंकि उससे संविधान का अवमान होने और उसके लिये खतरा होने की सम्भावना है।"

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रस्ताव में निरनुमोदन शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है निन्दा करना। नियम 184 में यह उपबन्ध है कि जब तक संविधान में अथवा इन नियमों में उपबन्ध न किया जाये तब तक सामान्य सार्वजनिक हित के किसी मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस प्रस्ताव में राज्यपाल के आचरण की निन्दा करने को कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत संसद् को राज्यपाल की कार्यवाही पर चर्चा करने से रोका जा सकता है। संसद् को राज्यपाल पर महाभियोग चलाने की शक्ति है।

श्री रा० डो० भण्डारे : इस सम्बन्ध में मैं 1936 की विधान सभा के वाद-विवाद जिल्द 6, पृष्ठ 373 का उल्लेख करना चाहता हूँ। यदि राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव होता तो मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाता। परन्तु इस प्रस्ताव में राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही की निन्दा करने की माँग की गई है। इसलिये 1936 में विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्णय इससे सम्बन्धित है। श्री एम० एन० कौल और श्री एस० एल० शकधर की 'प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट' नामक पुस्तक के पृष्ठ 393 में भी यह दिया गया है कि अध्यक्ष महोदय समय-समय पर यह निर्णय देते आये हैं कि राज्य के राज्यपाल के आचरण के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा सकती। जहाँ तक राज्यपाल का सम्बन्ध है उसको कुछ शक्तियाँ तथा कार्य सौंपे गए हैं और वह राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। अतः उसके कार्य पर राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में चर्चा की जा सकती है। परन्तु उसकी सभा में निन्दा नहीं की जा सकती। राज्यपाल को विवेक है कि मुख्य मंत्री द्वारा पदत्याग देने के पश्चात् वह ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसके साथ बहुमत हो और जो सरकार बना सकता हो।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने श्री कौल तथा श्री शकधर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का उल्लेख किया है। श्री शकधर ने स्वयं इस प्रस्ताव को देखा है। हम राज्यपाल के व्यक्तिगत रूप में आचरण नहीं बल्कि उसकी कार्यवाही पर चर्चा कर रहे हैं और संसद को ऐसा करने की शक्ति है। संसद के निर्णय को जो, कि सर्वोच्च निकाय है चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव को तथा 15 नवम्बर के प्रस्ताव को साथ-साथ पढ़ा जाये। तभी यह बात स्पष्ट होगी कि हम क्या चाहते हैं। यद्यपि हमारा वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका था तथापि बिहार, पंजाब तथा देश के कुछ अन्य भागों में घटने वाली घटनाओं ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह प्रस्ताव कितना दूरदर्शी था।

"फ्री प्रेस" के लेख में दिया गया है कि श्री मण्डल को गठजोड़ द्वारा मुख्य मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल ने वही किया है जो उसको कहा गया है। इससे संसदीय लोकतंत्र के नाम को धब्बा लगा है। शायद यही कारण है कि श्री चव्हाण श्री कानूनगो को राज्यपाल बनाकर बिहार भेजने के लिये उतने तत्पर थे। श्री चव्हाण ने यह धमकी भी दी थी कि यदि श्री कानूनगो को राज्यपाल के रूप में स्वीकार न किया गया तो अवश्यम्भावी संवैधानिक कार्यवाही करनी होगी।

भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। परन्तु एक के बाद दूसरे सभी देशों में एक तथा दूसरे प्रकार की तानाशाही स्थापित हो गई। केवल भारत में ही लोकतंत्र बना रहा और 1967 के चुनाव में लोगों ने सिद्ध कर दिया कि वे लोकतंत्र के प्रति जागरूक हैं। यह इससे भी सिद्ध होता है कि लोगों ने बिना रक्त बहाये शान्तिपूर्ण मतदान से क्रान्ति लाई है और अनेक राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारें स्थापित हो गईं। परन्तु इसके पश्चात् जो कुछ हुआ उससे लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया। बिहार की घटनाओं से लोकतंत्र की हंसी हुई है।

यह समूची प्रक्रिया राजस्थान से आरम्भ हुई जब श्री चव्हाण ने श्री सुखाड़िया को राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया था। इस बारे में श्री गजेन्द्रगडकर, भूतपूर्व न्यायाधिपति ने श्री चव्हाण को यह राय दी थी कि राज्यपाल ने श्री सुखाड़िया को अनुचित तथा गलत ढंग से मुख्य मंत्री बनाया है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस विशिष्ट मामले पर उनसे राय नहीं माँगी गई थी। वास्तव में चार पाँच संविधान विशेषज्ञों से इस बारे में राय माँगी गई थी कि यदि कोई एक दल बहुमत प्राप्त करने में असफल रहे तो राज्यपाल को किन प्रथाओं का अनुसरण करना चाहिए।

श्री नाथ पाई : केवल दो व्यक्तियों से ही राय माँगी गयी थी। श्री महाजन ने राजस्थान के राज्यपाल के व्यवहार के बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं की थी। परन्तु श्री गजेन्द्रगडकर ने अपनी राय दी थी। मैंने जो कुछ कहा वही सच्चाई है और आशा है कि श्री चव्हाण इसका खण्डन नहीं करेंगे। अतः लोकतंत्र के नाम पर धब्बा लगाने का काम राजस्थान से ही शुरू हुआ। वास्तव में कांग्रेस सत्तारूढ़ तो होना चाहती है परन्तु जिम्मेदारी नहीं बाँटना चाहती। जहाँ तक बिहार का सम्बन्ध है, श्री मण्डल के साथ केवल 29 व्यक्ति हैं जो अन्य दल छोड़कर उनके साथ मिल गए हैं। परन्तु श्री मण्डल कांग्रेस के हाथों एक खिलौना हैं। यही स्थिति पंजाब में सरदार लक्षमण सिंह गिल की है। वह भी कांग्रेस के समर्थन के कारण ही आज पंजाब के मुख्य मंत्री हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा दल बदलने से देश की एकता तथा स्थिरता को खतरा

उत्पन्न हो गया है। डा० सुभाष काश्यप के अनुसार लगभग 350 विधायकों ने गत एक वर्ष में दल बदले हैं। यह लगभग देश के कुल विधायकों का दसवाँ भाग है। कई विधायकों ने एक से अधिक बार दल बदले हैं। दल बदलने के लिये लोगों को मंत्री पद का प्रलोभन देना देश के हित में नहीं है। यह बात किसी अन्य देश में दिखाई नहीं देती।

बिहार के राज्यपाल ने राज्य परिषद् में सदस्य को नामनिर्देशित करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार खण्ड (3) के उप-खण्ड (ड़) के अधीन राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा समाज-सेवा के बारे में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव के व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकता है। संविधान में दी गई इन पाँच श्रेणियों में से श्री मण्डल किसी भी श्रेणी में नहीं आते। श्री मण्डल केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर केवल हेरफेर ही कर सकते हैं।

यदि संविधान के साथ इस प्रकार खिलवाड़ होता रहा तो हम छोटे-मोटे तथा अस्थायी राजनैतिक लाभों के लिये अपने संविधान की कबर खोद देंगे। इस बारे में श्री चव्हाण पर विशेष जिम्मेदारी आती है। यदि संविधान में कुछ त्रुटियाँ हैं तो उनको दूर करने के लिये यह सुनहरा अवसर है। इस संक्रमण काल में हमें अपने संविधान को मजबूत बनाने तथा उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिये ऐसे अवसरों का प्रयोग करना चाहिये।

'भारत छोड़ो' आन्दोलन के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक संकल्प में कहा गया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के पश्चात् कांग्रेस को शक्ति प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं है। जब शक्ति प्राप्त होगी तो भारत के समूचे लोगों की ही होगी।" परन्तु इस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है और शक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की हेराफेरी की जा रही है।

चिन्ता इस बात की नहीं है कि दल बदलने की प्रवृत्ति किसी दल ने आरम्भ की है। चिन्ता इस बात की है कि इससे हमारी स्वाधीनता को ही खतरा उत्पन्न हो गया है। अब कीनिया और मालवी जैसे अफ्रीका के नए आजाद हुए देशों ने यह कानून पास किया है कि यदि कोई व्यक्ति दल बदलेगा तो उसे त्यागपत्र देना होगा। अतः हमें भी इस दल बदलने की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। आज जो आग भड़क उठी है हमें उसको शान्त करने के लिये प्रयत्न करने चाहिये।

आचार्य नरेन्द्र देव ने इस सम्बन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत की थी, जब उनके नेतृत्व में संविधान सभा के 41 कांग्रेस सोशलिस्ट सदस्यों ने कांग्रेस छोड़ी तो उन सभी ने विधान सभा तथा संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया।

श्री चव्हाण को इस मामले पर व्यापक पहलू से विचार करना चाहिये और राज्यपाल की निन्दा करनी चाहिये। उनके व्यवहार से हमारा यह विश्वास सुदृढ़ हो गया है कि कानूनगो वहाँ कांग्रेस दल के हितों की पूर्ति के लिये गए हैं। अतः उन्हें तत्काल पदच्युत कर दिया जाना चाहिये।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : श्री नाथ पाई का उद्देश्य हमें राजनैतिक नैतिकता के सिद्धान्त समझाना है और यह प्रवचन देना है कि हमें संसद में तथा उसके बाहर

किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये, परन्तु श्री नाथ पाई ने दल बदलने की प्रक्रिया की जो निन्दा की है, हमें उन पर झगड़ा नहीं करना चाहिये, हम सभी में इस बारे में निराशा की भावना है। दल बदलने की यह प्रक्रिया श्री चरण सिंह द्वारा दल परिवर्तन से आरम्भ हुई। अभी कुछ ही दिन पूर्व पश्चिम बंगाल में जब कुछ सदस्यों ने कांग्रेस को छोड़ा तो विरोधी दल के कई महत्वपूर्ण सदस्यों ने राज्यपाल को पत्र लिखे कि वे श्री शंकर बनर्जी तथा श्री आशु घोष की सहायता करने के लिए तैयार हैं।

यह विचित्र बात है कि कुछ दिन पहले बिहार में श्री मण्डल की उसी प्रकार प्रशंसा की गई थी जिस प्रकार श्री हुमायूं कबीर की पश्चिमी बंगाल में प्रशंसा की गई थी। परन्तु आज उन्हीं की निन्दा की जा रही है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों का समर्थन नहीं किया जो गत चुनाव में उनके साथी थे। अब उन्हें इस कारण बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वैसा नहीं किया है जैसा कि कुछ व्यक्ति चाहते थे। श्री मंडल से मंत्रिमंडल बनाने का अनुरोध किया गया था क्योंकि विधान मण्डल में उनका बहुमत था। परन्तु उनके विरोधियों के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ केवल उसी बहुमत का समर्थन है जो बहुमत विपक्षी दल का हो। यदि बहुमत कांग्रेसी सदस्यों का है, तो वह बहुमत नहीं है। यह बात बहुत विचित्र है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री नाथ पाई ने उच्चतम न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति का उल्लेख किया है। न्यायपालिका के सम्मान में मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष तथा निर्भय है, जनता के अधिकार सुरक्षित हैं। मैं विधि की सर्वोच्चता में विश्वास रखता हूँ। परन्तु जिन लोगों ने विधि की सर्वोच्चता की शपथ ली है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हम मूलभूत अधिकारों को कम करने अथवा समाप्त करने के लिये संधिान में संशोधन नहीं कर सकते तो क्या उन्हें उसके प्रति उतनी ही निष्ठा है ?

बिहार के राज्यपाल ने लोकतंत्रवादी रवैया अपनाया तथा विधान सभा के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की। उन्होंने सभा के नेता के, जो मुख्य मंत्री थे, त्यागपत्र देने की प्रतीक्षा की। उन्होंने उस व्यक्ति को, जिसके साथ बहुमन था, बुलाया। उनके साथ अब भी बहुमत है। बहुमत समाप्त होते ही वह अवश्य त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने संविधान के अन्तर्गत सौंपे गए कर्त्तव्यों में कहाँ तथा गलती की है। संविधान के अन्तर्गत चुने हुए विधायक बहुमत द्वारा सरकार बनाते हैं तथा राज्यपाल यह देखता है कि क्या बहुमत सम्भव हो सकता है और यदि बहुमत मिल जाता है, तो नेता किसे चुना जायगा। यदि पहले निर्वाचित व्यक्ति का बहुमत समाप्त हो जाता है, तो उसे अपने कर्त्तव्य से मुक्त कर दिया जायेगा। संविधान का सार यही है।

विपक्षी दलों के विचार के अनुसार बहुमत तभी समझा जायेगा जब उसमें कांग्रेस को छोड़कर 14 इधर उधर से इकट्ठे किए गए व्यक्ति शामिल हों। उसमें जनसंघ तथा वामपक्षी साम्यवादियों के शामिल होने पर भी वह बहुमत रहेगा परन्तु यदि बहुमत कांग्रेस तथा कुछ अन्य लोगों पर सम्मिलित हो, तो वह संविधान के अन्तर्गत बहुमत नहीं है।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : लोगों में अधिकार प्राप्त करने तथा उसे हथियाने की बहुत बड़ी इच्छा है। वास्तविकता यह है कि इसी कारण ही हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। यदि देश में राजनैतिक स्थिरता न रही तो आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। अतः राजनैतिक अस्थिरता पर काबू पाने का कोई मार्ग निकालने का गम्भीर प्रयत्न करना चाहिये।

श्री नाथ पाई ने दल बदलने के बारे में 8 दिसम्बर के वाद-विवाद की ओर श्री चव्हाण का ध्यान दिलाया है। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि दल बदलने की प्रक्रिया अच्छी नहीं है तथा दल बदलने के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों में कुछ समझौता होना चाहिये परन्तु मुझे बहुत खेद है कि अभी बहुत समय नहीं बीता था कि उन्होंने पिछले द्वार से बिहार के मंत्रिमण्डल के गठन में योगदान दिया।

कांग्रेसियों ने लगभग दो दशाब्दियों तक सत्ता का आनन्द उठाया है। वे सत्ता के बिना रह नहीं सकते। सत्ता के लोभी कांग्रेसी ही इस देश में राजनैतिक अस्थिरता के लिये जिम्मेदार हैं। कांग्रेस संस्था इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा बिहार में विचित्र कार्य प्रणाली अपनाई है। वे मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित नहीं होना चाहते क्योंकि उस स्थिति में वे जिम्मेदार हो जायेंगे। अतः उन्होंने मंत्रि-मंडल का भार कुछ दल परिवर्तन करने वाले लोगों को सौंप दिया। इसके पश्चात् उन्होंने मंत्रियों को बताया गया कि उन्हें अमुक-अमुक काम करना होगा क्योंकि वह ऐसा नहीं करेंगे तो हम समर्थन नहीं करेंगे। जो काम वे सामान्य तरीकों से नहीं कर सकते थे, उसे वे अब पिछले द्वार से करवा रहे हैं।

हैरानी की बात है कि कांग्रेस संगठन में तथा सरकार में उच्च पदों पर व्यक्ति उपदेश देते रहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिये तथा दल परिवर्तन नहीं होना चाहिये। परन्तु वे देखें कि उनमें कितना जातिवाद है तथा वे कहाँ तक दल परिवर्तन के लिये उत्तरदायी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हैदराबाद अधिवेशन में कहा था कि लोग दल बदल सकते हैं परन्तु ऐसा केवल कांग्रेस के पक्ष में होगा, उसके विरुद्ध नहीं। उन्होंने कहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ गए हैं, यदि वे वापिस आना चाहें, तो उन्हें वापस आने देना चाहिये। मैं उनका पूरा स्वागत करूँगा। यदि कांग्रेस दल को, जो एक बहुत बड़ा दल है और सत्तारूढ़ है, इस प्रकार का अनुशासन पैदा करना है तो यह समूचे देश के लिये अच्छा नहीं होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस दल न केवल अपने अपितु अन्य लोगों के लिये भी सिद्धान्त तथा स्वस्थ परम्परायें निर्धारित नहीं करता तब तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा लोकतंत्र एक उपहास बन जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi sadder): Shri A. K. Sen has tried to argue for a weak and lost case and distort the facts. He has said that Shri Charan Singh was the first defector. Whosoever the defector may be, floor crossing cannot be defended and ought to be condemned outright.

The Central Government has given birth to Soshit Dal in Bihar, nourished it and then brought it to power. The number of members of Soshit Dal is 38 and all of them are ministers. This is unparallelled in the history of democracy. Shri Mandal was assured by the Central Govern-

ment that if he defects, he will be made the Chief Minister. Ater the fall if he United Front Government, the Ministry of Law raised an obection that since he had already been a Minister for six mounth without being a menber of the legislature, he could not become the Chief Minister. A way to defraud the Constitution was found out and a makeshift Chief Minister was appointed only to recommend to the Governor to nominate Shri Mandal to the Legistative Council. I would like to know whether this action of the Minister was in accordance with the spirit of the Constitution. All those things prove inconclusively that it was a calculated and pre-planned conspiracy.

The Congress party has made a plan to bring down the non-congress Ministries one by one. In order to put an end to the enquiry being conducted against the former Chief Minister, Shri K. B. Sahai, the United Front Ministry in Bihar has been brought down. The Government should establish healthy democratic traditions. They cannot run democracy by interpreting the Constitution to suit their party interest. As there is Congress rule in the Centre, they are misusing the office of Governors to the mximum extent. An enquiry should be conducted into the manner in which Governors have been functioning.

The present Government in Bihar do not command majority in the State Assembly. President's Rule should be imposed and mid-term elections should be conducted in Bihar.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विरोधी पक्ष का यह स्वभाव हो गया है कि जब भी किसी राज्य में कोई बात उनके विचार के अनुसार असंवैधानिक होती है तो वे उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर डाल देते हैं। यह विचार ठीक नहीं है कि राज्यपाल जो कार्यवाही करता है, उसे उसके लिये केन्द्र से निर्देश भेजे जाते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि राज्यपाल जो भी कार्यवाही करता है वह राज्य के अध्यक्ष की हैसियत से करता है।

यह सर्वविदित विवाद है कि एक व्यक्ति पाँच महीने और कुछ दिन के लिये मंत्रिपरिषद् में एक मंत्री के रूप में रहा तो क्या कुछ समय बाद वह दल का नेता चुने जाने पर मुख्य मंत्री बन सकता है या नहीं। इसका उत्तर यह मिला कि वह नहीं बन सकता। राज्यपाल ने स्वयं यही दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने उन्हें बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने संविधान के शब्दों के ही नहीं अपितु संविधान की भावना के अनुसार कार्य किया है।

जब भी कोई दल बदलने की घटना होती है, उसके लिये मुझे जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। मैं दल बदलने की प्रवृत्ति से घृणा करता हूँ। जब तक सभी राजनीतिक दल दल बदलने का समर्थन करते हैं तब तक मैं कांग्रेस को यह प्रवृत्ति छोड़ने के लिये कैसे कह सकता हूँ। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि एक मनोनीत व्यक्ति को मुख्य मंत्री बना दिया जाये। परन्तु संविधान में ऐसा न करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। गत निर्वाचनों के बाद हमें राजनीतिक जीवन में कुछ नए अनुभव हुए थे कि हमें संवैधानिक त्रुटियों को दूर करने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूँ कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य को मुख्य मंत्री बनना चाहिये। परन्तु जब तक संविधान इस बात की अनुमति देता है तब तक क्या किया जा सकता है। पहले भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं। इसलिए हम सब को परस्पर मिल बैठ कर इन गलतियों को ठीक करना चाहिये। हमें दल बदलने से सम्बन्धित समिति में इस विषय पर विचार कर कुछ सिफारिशें करनी चाहिये। वास्तव में जब तत्कालीन मुख्य मंत्री

ने श्री मंडल को मुख्य मंत्री मनोनीत करने के लिये राज्यपाल से सिफारिश की और कहा कि वह समाज सेवा के नियम के अधीन बड़े योग्य व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में बेचारा राज्यपाल क्या कर सकता है? श्री मण्डल बड़े अच्छे समाज सेवक हैं और वह संविधान के अन्तर्गत मनोनीत सदस्य बनाये जाने योग्य हैं। यह कहा गया है कि श्री मंडल बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति हैं। हम यह कैसे कह सकते हैं कि एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति को ही मुख्य मंत्री बनाया जाना चाहिये। जब एक व्यक्ति दल का नेता चुना जाता है तो वह परिचित हो या अपरिचित, उसे मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से राज्यपाल को एक सदस्य मनोनीत करने की सलाह दी गयी थी, संविधान के अनुसार राज्यपाल का क्या कर्त्तव्य था?

इस मामले में मेरा मन बिल्कुल साफ है कि राज्यपाल को कोई अनुदेश देने की बात तो अलग रही, हमने राज्यपाल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई अनुदेश देने की बात को सोचा तक नहीं था। राज्यपाल ने जो कार्यवाही की है वह पूर्ण रूप से संवैधानिक है। जब मुख्य मंत्री ने किसी व्यक्ति को सदस्य नियुक्त करने की राज्यपाल को सलाह दी और जब उसे परिषद का सदस्य नियुक्त कर दिया गया, फिर यदि वह व्यक्ति दल का नेता चुन लिया जाता है तो राज्यपाल इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता। संवैधानिक रूप से मैं इस कार्यवाही का समर्थन कर रहा हूँ। परन्तु जहाँ तक राजनीतिक औचित्य का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं इस कार्यवाही से असंतुष्ट हूँ। परन्तु मैं भी राज्यपाल की तरह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता।

वस्तुस्थिति यह है कि जब तक सभी राजनीतिक दल आपस में सलाह करके कुछ परम्पराएं निश्चित नहीं कर लेते तब तक यह एक खेल बना रहेगा और मैं यह खेल खेलने के लिये तैयार हूँ। इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि हमें वास्तविकता को समझना चाहिये। विरोधी पक्ष कांग्रेस सरकारों की आलोचना कर सकता है। हम स्वयं उनकी आलोचना करते हैं। अपनी आलोचना स्वयं करना आवश्यक है। परन्तु विरोधी दलों में अपनी आलोचना करने की एक प्रतिशत भी इच्छा प्रतीत नहीं होती। संयुक्त मोर्चा सरकार की प्रत्येक असफलता के लिये राज्यपाल पर आरोप लगाया जाता है।

Shri Madhu Limaye: We have bern criticising ourselves as well.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदा यही कहा जाता है कि संयुक्त मोर्चा सरकारों को केन्द्रीय सरकार अपदस्थ कर रही है। इसी असत्य को वे आसानी से बोल सकते हैं।

श्री नाथ पाई : इस सम्बन्ध में हैदराबाद में संकल्प पास किया गया था। कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने गैर-कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करना कांग्रेस का कर्तव्य बताया है और कांग्रेस यही कार्य कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह कहा है कि भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है। दल का संगठन और सरकार दोनों अलग-अलग हैं। यदि विरोधी दलों को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को हराने और अपदस्थ करने का अधिकार है तो निश्चय ही कांग्रेस को बिहार में विरोधी पक्ष की सरकार को अपदस्थ करने का अधिकार है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

वास्तविक कठिनाई यह है कि आज जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उनका पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था। अब बड़े पैमाने पर दल बदले जा रहे हैं और वास्तव में राजनीतिक जीवन में इसने एक रोग का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए हमें इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करके इस समस्या का कुछ समाधान निकालना चाहिये जिससे इन कठिन परिस्थितियों में देश में लोकतंत्र चल सके। यदि यही भावना है तो मैं श्री नाथपाई से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें। मुझे इस बात का विश्वास है कि लोकतंत्र के सिद्धान्तों में उनका विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या श्री नाथ पाई अपने प्रस्ताव को वापिस ले रहे हैं? फिर तो वाद-विवाद का प्रयोजन सिद्ध हो गया है।

श्री नाथ पाई : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुतः मैं चकित रह गया हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर मुझे वाद-विवाद को न्यायोचित बनाना होगा। इस प्रस्ताव के लिए दो घण्टे का समय निश्चित किया गया था। मैं इसमें आधे घण्टे का समय और बढ़ा सकता हूँ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जब दो घण्टे समय की घोषणा की जा चुकी है तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं?

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि अब यह प्रश्न सभा में मतदान के लिए रखा जाये।"

Shri Nath Pai : I could not expect these remarks from Dr Ram Subhag Singh. It is within your right to fix the time limit for the discussion. It is established convention that Lok Sahba can take a decision in such matters. Dr. Ram Subhag Singh should withdraw his remarks.

In my opinion we should hear the views of the Members of other parties and we should not bring an end to the debate in this manner. I, therefore, appeal that closure motion should be withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस सम्बन्ध में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि सभा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले सकती है। परन्तु जो सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं वे कह सकते हैं। मैं इतनी ढील देने के लिये तैयार हूँ।

अब मुखबन्द प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। यदि सभा इससे सहमत हो तो हमें इस प्रस्ताव पर 6 बजे तक चर्चा समाप्त कर देना चाहिये। फिर इस पर मतदान होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balarmpur) **:** There is rule 362 with regard to closure motion. It has been stated therein that unless it appears that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasondable debate, the Speaker shall than put the motion 'That the question be now put". This rule is quite clear. It is for you to see whether reasonable debate is going on or not. In our view the Closure Motion has been moved to bring an end to the reasonable debate.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : यह निर्णय आपको करना है कि पर्याप्त वाद-विवाद हो गया है या नहीं। इसमें मतदान का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपने पहले ही अपने विचार बता

दिए हैं कि आप सभी दलों को बोलने का अवसर देना चाहते हैं परन्तु समापन प्रस्ताव के फलस्वरूप स्थिति विषम हो गयी है। इसलिये अब यह आपको ही निर्णय करना है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): जहाँ तक नियम 362 का सम्बन्ध है मैं श्री कुंटे के विचारों से सहमत हूँ कि इस सम्बन्ध में आपको निर्णय करना है। यह चर्चा नियमों के अनुसार होनी चाहिये। ऐसे कई उदाहरण हैं जब अध्यक्ष ने समय बढ़ाया है परन्तु ऐसा सभा की अनुमति से किया जाता रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी निर्णय ले सकता है। परन्तु मुझे केवल यह कहना है कि यदि आप इस प्रकार प्रत्येक मामले में समय बढ़ाते रहे, तो यह एक प्रथा चल पड़ेगी और सभा का विशेषाधिकार बन जायेगा और इससे बाद में बहुत कठिनाइयाँ पैदा हो जायेंगी। फिर ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये पर्याप्त समय नहीं रहेगा। मुझे केवल इसी बात की चिन्ता है। अतः हमें इस प्रकार से निर्णय करना चाहिये कि वह प्रथा या सभा का विशेषाधिकार न बन जाये। मैं व्यक्तिगत रूप से यह बात आप पर छोड़ता हूँ कि आप जैसे चाहें इस सम्बन्ध में निर्णय करें।

उपाध्यक्ष महोदय: यह अध्यक्षपीठ को देखना होता है कि सभा में चर्चा ठीक प्रकार से हो। अब प्रस्ताव यह है कि चर्चा समाप्त की जाये परन्तु हमें देखना होगा कि क्या बिहार के मामलों में रुचि रखने वाले सभी पक्षों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है अथवा नहीं। हमें उन सब को अवसर देना है।

श्री विश्वनाथन : (वंडीवाश) : मैं इस प्रस्ताव के लिये श्री नाथ पाई को बधाई देता हूँ। इससे देश को पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार का रवैया कैसा है और वह संविधान का दलगत हित के लिये कैसे प्रयोग करती है। बिहार के मामले में इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे समक्ष आया है।

गृह-कार्य मंत्री ने दलबदल प्रवृत्ति की निन्दा की है परतु पंजाब में कांग्रेस वालों ने दल बदलने वालों को प्रोत्साहित किया है और उनकी सरकार बनवायी है। बिहार में श्री आयंगर ने कांग्रेस को मनमानी नहीं करने दी। वहाँ पर श्री कानूनगो को राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। वहाँ का मंत्रिमंडल इसके विरुद्ध था। उसके बाद वहाँ कांग्रेस पार्टी ने श्री मंडल का मंत्रिमंडल बनवाया। यह अनुचित था। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक ओर दल बदलने की प्रवृत्ति के विरुद्ध बातें करती और दूसरी ओर ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। यह कहां तक उचित है। इस कार्य में बिहार के नए राज्यपाल की भी चाल है और गृह-कार्य मंत्री उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार का इसमें दोष है। इन्होंने श्री एस० पी० सिंह को कुछ ही दिनों के लिये मुख्य मंत्री बनवाया ताकि श्री मंडल को विधान परिषद् के लिये नामनिर्देशित कर सकें। ऐसा करके श्री मंडल को मुख्य मंत्री बनया गया। यह लोकतंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध था। यह लोग पार्टी के हित के लिए संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं। पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश में भी यह ऐसी ही चालें चल रहे हैं। इसकी निन्दा होनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो संविधान का संशोधन होना चाहिये।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai): It is a matter of satisfaction that the Home Minister agrees that the Governor of Bihar has not followed the right procedure in installing the Mandal Ministry there.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्यपाल को तो मुख्य मंत्री की मंत्रणा के अनुसार कार्य करना था।

Shri Yogendra Sharma : I want to know whether the procedure adopted by the Governor was right or wrong? Was it in accordance with the principles of parliamentry democracy? I feel democracy has been murdered there. The Governor appointed Satish Ministry in Bihar for three days only. The main question is that no care is being taken for the welfare of poor people of the State. The leaders are running after offices.

The nomination of Shri Mandal as a menber of Legislative Council is unconstitutional. He has no justification for that. He has no qualification to be nominated as such. He has not specialised in any subject. There was no vacancy in the Council .One Shri Parmanand Sahai was asked to resign to make room for Shri Mandal. I want to know whether it is proper and parliamentary ?

I want to appeal to the congressmen that this should not be made an issue of party politics. We should develop healthy parliamentary conventions.

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) **:** Sir ....

Shri Mudrika Sinha : Sir, you are calling Members from opposition only.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अ० कु० सेन आपकी ओर से बोल चुके हैं। हमारे पास समय बहुत कम है। (**व्यवधान**) यदि सभा में ऐसे ही चलता रहा तो मुझे बैठक समाप्त करनी पड़ेगी। मेरे लिये और कोई चारा नहीं है। कई माननीय सदस्य खड़े हो गए।.... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 29 फरवरी, 1968 / फाल्गुन 10, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday February 29, 1968/Phalguna 10, 1889 (Saka.).

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanad Marg, Alld.